खण्ड-182, अंक-5
मंगलवार, 26 चैत्र, शक संवत् 1879
(16 अप्रैल, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 182 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ चैत्र, शकाब्द १८७९

(१६ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८०)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाहु बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन, गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेंद्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
तारचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री

लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)

श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डयाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमु हत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २६ चैत्र, शकाब्द १८७९ (१६ अप्रैल, १९५७ ई०)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मधुवन, जिला आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में डाक्टर का न होना

**१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन, जिला आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में अब तक डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--पी० एम० एस० ग्रेड द्वितीय के डाक्टरों की कमी के कारण।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल में रोगियों को दवाई का वितरण या निदान किसके द्वारा कराया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--वहां के कम्पाउन्डर करते होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस अस्पताल में शुरू से ही डाक्टर नहीं भेजा गया या हाल में ही डाक्टर नहीं रहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न में लिखा है कब से नहीं भेजा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी योजना उनके विचाराधीन है जिस पर चल कर ऐसे समस्त अस्पतालों में जहां पर डाक्टर मौजूद नहीं ३ महीने में एक दो बार वहां पर डाक्टर भेजे जा सकें ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि अपने राज्य में और दूसरे राज्यों में हम इस ग्रेड के डाक्टर भर्ती करें। कुछ दरख्वास्तें आई हैं और मैं आशा करता हूं मुमकिन है और दरख्वस्तें आयें। यह हमारी एक योजना है ताकि जहां जहां अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां डाक्टर्स हम पहुंचा सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मधुवन अस्पताल कब खोला गया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डाक्टरों की कमी को देखते हुए इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---कमी को दूर करने के लिये कानपुर में एक और मेडिकल कालेज खोला जा रहा है। यहां भी मेडिकल कालेज है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री गेंदासिह---क्या इस कमी को देखते हुए इलाहाबाद में भी मेडिकल कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---पहले कानपुर का प्रयोग कर लें। अगर उससे कमी पूरी नहीं हुई तो वहां के लिए भी सोचा जायगा और जरूरत हुई तो देवरिया में भी खोला जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक मेडिकल कालेज से डाक्टर्स पास होने में समय लगेगा उस समय तक जो मरीज होंगे उनका कौन इलाज करेगा ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---उसके लिये भरती करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले बतलाया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जगह कितने दिन से खाली है?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---अर्से से।

श्री त्रिलोकीसिंह---कितने अर्से से ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---लगभग ४-५ माह † से।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---८०-९० के करीब हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह---इन ५ वर्षों में कितनी नई नियुक्तियां डाक्टरों की हुई हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ वर्ष के अन्दर इस अस्पताल में क्यों डाक्टर नहीं भेजा जा सका ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---डाक्टर के अभाव की वजह से।

---

† ७ मई, १९५७ को कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधन।

मझवारा, जिला आजमगढ़ के अस्पताल के भवन का निर्माण

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा, जिला आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल के भवन के निर्माण का कार्य क्यों बन्द है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—निर्माण-कार्य जारी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन प्लानिंग विभाग से इसका निर्माण हो रहा है और अभी ११ तारीख को मुझे एक तार मिला है, उससे मुझे सूचना दी गई है कि उसका काम जारी है।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों और सड़कों की मरम्मत के लिये धन की आवश्यकता

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को सन् १९५६ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों एवं सड़कों की मरम्मत के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—क्षतिग्रस्त भवनों और सड़कों की मरम्मत के लिये संबंधित जिला बोर्डों को सहायतार्थ अनुदान देने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन प्रश्न कब तक रहेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जब तक उनका हल न हो जायगा।

श्री गेंदासिंह—बरसात शुरू होने के पहले इस प्रश्न पर फैसला हो जायगा कि नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कहना कठिन है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड से सरकार के पास इस विषय में कुछ मांग आई है ? अगर हां, तो कितने धन की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरे पास सूचना इस समय नहीं है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि शायद मांग आई है।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि कई स्कूलों की इमारतें बिलकुल नाममात्र को भी नहीं हैं और मैदान में बच्चे पढ़ रहे हैं और बरसात में लड़कों के ऊपर साया तक न होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। बाकी मैं इसको देख लूंगा और अगर कुछ किया जा सका समय से पहले तो जरूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने जिला बोर्ड को इसी सन् में क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों की मरम्मत के लिये तीन लाख रुपया प्रदान किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

स्थानिक स्वशासन विभाग के निम्नवर्ग के कर्मचारियों को स्पेशल एलाउन्स देने पर विचार

**४—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के निम्न वर्ग के कर्मचारियों को ५ रु० मासिक स्पेशल एलाउन्स या और कोई स्पेशल एलाउन्स मासिक देना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस निश्चय का ब्योरा सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि यदि प्रान्तीय सरकार शेष धन इस निमित्त व्यय करे तो वे दो करोड़ की धनराशि पंचवर्षीय योजना में इस निमित्त दे सकेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा प्रस्ताव वहां से आया है, लेकिन उसमें अभी कई दिक्कतें हैं। सब से बड़ी दिक्कत यह है कि उसके बाद फिर यह पैसा कहां से आयेगा ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि यह सिफारिश मानी जाय और यह भत्ता दिया जाय तो कुल कितना अनुमानित व्यय होगा और कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—साढ़े तीन करोड़ के करीब अनुमान है, लेकिन अभी ठीक-ठीक आंकड़े जानने के लिये और हिदायत दी गयी है कि और भी इसके जो अभिप्राय होंगे वह तय करने पड़ेंगे और उसके मुताबिक जांच करली जायगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से यह जो प्रस्ताव आया है उसको कितने दिन हो गये ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—केन्द्रीय सरकार से इस प्रस्ताव को आये लगभग एक माह हुआ, लेकिन जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न पर बहुत आसानी से फैसला नहीं हो सकता है। अभी तो हमें ठीक से इस बात का भी अन्दाजा नहीं है कि कितने सरकारी नौकर होंगे और कितने स्थानीय निकायों के नौकर होंगे जिनको इससे लाभ पहुंचना है, क्योंकि उनका जो खत आया है वह केवल स्थानीय निकायों के लिये ही नहीं है बल्कि सरकारी आदमियों के लिये भी है। जो अन्दाजा किया गया है वह कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये का है जिसमें से डेढ़ करोड़ रुपया हमें खर्च करना पड़ेगा और बाकी दो करोड़ रुपया वह देंगे। लेकिन इस डेढ़ करोड़ रुपये को भी मीट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है जब कि हमारी सारी आमदनी प्लानिंग के कामों में बंधी हुई है और उनका यह भी कहना है कि इस चीज को आगे भी कायम रखना होगा और उस समय सारा रुपया हमें ही खर्च करना पड़ेगा और वह अपने पास से एक पैसा भी हमको नहीं देंगे। पूरे का पूरा खर्चा इस प्रदेश को ही बर्दाश्त करना होगा यह कोई आसान काम नहीं है। जब सारी फीगर्स आ जायं तो हम इसको बजट में रखेंगे, उसको सदन के सामने रखा जायगा और सदन को पूरा गौर करने का मौका होगा।

बलिया जिले में सोहांव राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खुलने में विलम्ब

**५—श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में ही जो बलिया में सोहांव एन० ई० एस० ब्लाक खुलने वाला था वह अब तक नहीं खुला ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, सोहांव अभी नहीं खोला जा सका है।

सन् १९५६-५७ में बलिया जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों में, जिला नियोजन समिति, बलिया द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार, सोहांव का तीसरा नम्बर था। पहले दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों को सोहांव की अपेक्षा प्राथमिकता देनी ही थी। प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण सोहांव का राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड १९५६ में नहीं खुल सका।

श्री मान्धातासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोहांव में कब तक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुल जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि प्रदेश में जहां जहां नये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुलने वाले हैं, उनके संबंध में रुपया इस साल गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलना है। वह मिल जायगा और आशा है कि वहां इस साल वह खुल सकेगा।

ग्राम चक्की मूसाडोही, जिला आजमगढ़ की सीमा पर का झगड़ा

**६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक्की मूसाडोही, जिला आजमगढ़ की सीमा पर का झगड़ा जो कि जिला देवरिया से है तय हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—ग्राम चक्की मूसाडोही, जिला आजमगढ़ की सीमा पर जिला देवरिया से कोई झगड़ा नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों में आपस में झगड़ा अवश्य था परन्तु उसका न्यायालय द्वारा फैसला हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास या जिलाधीश के पास किसानों की इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि देवरिया और आजमगढ़ की सीमा पर भूमि संबंधी किसानों के कुछ झगड़े हैं ?

श्री चरणसिंह—जिलाधीश आजमगढ़ के पास आई होंगी लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है कि इस तरह की कोई शिकायत आई हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश से इस प्रकार की जानकारी हासिल करेंगे कि इस सीमा पर कोई भूमि संबंधी झगड़ा है ? यदि है, तो इसको निबटाने के लिये कोई आदेश जारी करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जैसा सवाल में पूछा है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। हर साल किसानों की जमीन डीप स्ट्रीम से कट कर इधर-उधर हो जाती है और हर साल कुछ खेतों की बाबत आपस में कुछ न कुछ मतभेद हो जाता है और इसके लिये दोनों जिले के तहसीलदार मौके पर जाकर तय कर लेते हैं। इस तरह के जो डीप स्ट्रीम के झगड़े होते हैं, उनको नियमों के अनुसार हल करने की कोशिश की जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण (रिटायरमेण्ट) करने की वय को बढ़ाने पर विचार

**७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह सरकारी नौकरों के रिटायरमेंट की अवधि कुछ बढ़ा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की वय ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर दी जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार उन कारणों को व्यक्त करेगी जिनके वश वह ५५ वर्ष की अवधि बढ़ा कर ५८ वर्ष करने जा रही है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---करने जा रही है, यह कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि उत्तर में यही कहा गया है कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा है, लेकिन मैं सदन के सामने उन कारणों को बता देना चाहता हूं। कुछ दिन हुये नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि हमारे देश में कुछ ऐसा दस्तूर है जो कि दुनिया के और देशों में नहीं है और जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। खासतौर से टेक्निकल परसोनल के मामले में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि ५५ वर्ष के बाद वे अलग कर दिये जायं। इंजीनियर्स, डाक्टर्स, टीचर्स इनके बारे में सभी देशों में ऐसा माना जाता है कि जब काफी उम्र होती है तो इनका अनुभव परिपक्व होता है और हमारे यहां उसी वक्त ये लोग हटा दिये जाते हैं। चूंकि हमारे यहां इंजीनियर्स वगैरह की कमी है इसलिये इसकी वजह से और भी दिक्कत हो रही है। यहां तक हमारे सामने यह चीज आयी कि हमारे यहां जो डाक्टर्स और इंजीनियर्स अलग किये जाते हैं उनके लिये अमरीका और इंग्लैंड जैसे उन्नतिशील देशों से मांग है। उन देशों में बहुत उन्नति है, सब कुछ है, लेकिन अनेक कारणों से उनकी जरूरत है। वे इस बात की ताक में रहते हैं कि हमारे यहां से अच्छे आदमी हटायें जायं और वे उनको रख लें। तो यह सवाल उठा कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि इस बारे में क्या हो ताकि जिनका अनुभव परिपक्व है उनके अनुभव से देश वंचित न हो जाय। उसका एक तरीका यह हो सकता है कि लोगों को एक्सटेंशन दिया जाय या रिएम्पलाय किया जाय। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अपने देश की परिस्थिति ऐसी है कि जहां कहीं भी बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में किसी आदमी के साथ ऐसा किया गया तो लोग कहने लगते हैं कि उसके साथ पक्षपात किया गया। इसका परिणाम यह होता है कि किसी वक्त अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना भी होता है तो ६ महीने या साल भर से ज्यादा एक्सटेंशन देने की हिम्मत नहीं पड़ती, जिसका नतीजा यह होता है कि जिसको साल, ६ महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है उसकी काम में तबियत नहीं लगती है क्योंकि वह समझता है कि ६ महीने के बाद मुझको हटना ही है। तो प्रश्न यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार भी विचार करे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी विचार करें कि सब बातों को देखते हुये रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाय या न बढ़ाई जाय और अगर बढ़ाई जाय तो कितनी बढ़ाई जाय। एक सुझाव यह आया कि ६० वर्ष रख दी जाय। तो यह हुआ कि ६० वर्ष शायद ज्यादा हों इसलिये ५८ वर्ष रख दी जाय। तो ये सब प्रश्न हैं। अभी किसी निर्णय पर पहुंचे नहीं हैं। हर पहलू से सोच विचार हो रहा है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न एक्सपर्टस् के बारे में ही सरकार के विचाराधीन है या सामान्य प्रशासन में जो लोग लगे हुये हैं उनकी भी अवधि बढ़ाने की बात है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खास तौर से यह सवाल एक्सपर्टस् के लिये उठा। लेकिन इस प्रश्न पर विचार करते समय हम सामान्य प्रशासन के लिये भी जरूर विचार कर लेंगे। बाकी यह तो हमारे हाथ की बात होगी।

इसका एक पहलू और भी है। इस वक्त हमारे देश में एक और भेद है। आई० सी० एस० के जो आदमी हैं उनके लिये आज भी ६० वर्ष की अवस्था है और यह कि जो आई० सी० एस० के लोग हैं उनका शरीर और उनकी बुद्धि ६० वर्ष तक ठीक रहती है और दूसरे जो आई० सी० एस० नहीं हैं उनकी ठीक नहीं रहती है यह मानने का कोई कारण नहीं है। जब आई० सी० एस० वालों के लिये यह चीज मानी जाती है तो पी० सी० एस० और इसी किस्म की और सर्विसेज जो दूसरे विभागों की हैं वह क्यों निकम्मी मानी जायं कि वे उस उम्र तक काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी निर्णय नहीं हुआ है कि उसे किया जाय या न किया जाय। लेकिन जब भी हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो हर पहलू से इसको देखेंगे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के सामने इस प्रदेश की बढ़ती हुई बेकारी को देखकर यह भी प्रश्न विचाराधीन है कि जिनकी अवधि ६० साल तक की है उनकी भी अवधि घटाकर ५५ साल कर दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस पहलू से सोचा तो नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है इस पर भी जरूर सोच लेंगे ।

दोहरीघाट तथा मऊनाथ भंजन में घाघरा तथा टोंस नदी पर पुल निर्माण योजना

**८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट तथा मऊनाथ भंजन में घाघरा तथा टोंस नदी पर बनने वाले पुल की प्रगति क्या है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--पुलों के आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं जिसके प्राप्त होने के पश्चात पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों के निर्माण की योजना केन्द्रीय सरकार के पास कब भेजी गई है ?

श्री गिरधारीलाल--इस पुल के निर्माण का आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए ३१ अक्तूबर, १९५६ को भेजा गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना को भेजे हुये साल भर से ज्यादा हो गया और अभी तक स्वीकृति न आने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने अभी बतलाया कि बहुत थोड़ा समय हुआ है जिस समय कि आखरी खतोखिताबत हुई है । उसका इंतजार किया जा रहा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों के बनने की अवधि कब तक मुकर्रर है ?

श्री गिरधारीलाल--इसके लिये समय की जरूरत है । वैसे आमतौर पर इस किस्म के पुलों के लिये तीन वर्ष की जरूरत हुआ करती है ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पुलों की क्रमशः तखमीने की कितनी रकम की मांग सरकार की ओर से की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--एक पुल के लिये ९१ लाख रुपया है और दूसरे पुल के लिये शायद १२ लाख रुपया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथभंजन में टोंस नदी पर जो पुल है और जो टूटा हुआ है उसको टूटे हुये तीन साल से अधिक हो गये हैं ?

श्री गिरधारी लाल--हो गये होंगे, मुझे इसकी इस वक्त कोई इत्तला नहीं है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण† पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--अब श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद होगा ।

---

†११ अप्रैल १९५७ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण अथवा बजट वाद-विवाद में विरोधी दल के सदस्यों को अधिक समय देने की मांग

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--इस सिलसिले में आपकी इजाजत हो तो दो मिनट के लिये एक बात इस वादविवाद की व्यवस्था के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--फरमाइये।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैंने कल यहां यह देखा और सदन का यह नियम भी है कि साधारणतः जो किसी वादविवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपने स्थान पर उठ कर खड़े हों और जो सभापति या अध्यक्ष की निगाह में आ जायगा उसे वे बोलने की इजाजत दे देंगे। लेकिन प्रथा यहां यह भी रह चुकी है और दूसरे सदनों में भी यह है कि राज्यपाल के सम्बोधन या सालाना बजट या ऐसे मौके हैं कि जहां जो विरोधी दल के सदस्य हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिये, ज्यादा मिलना चाहिये या कम से कम बराबर मिलना चाहिये। श्रीमन्, आप यह भी गौर करेंगे कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन आये हैं वे सारे के सारे आज जो विचाराधीन हैं वे विरोधी दल की तरफ़ से हैं। तो मैं तो विरोधीदल के लिये कहना चाहता हूं और संसदीय प्रथा के अनुसार आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि एक भाषण देने वाला सरकार की तरफ का हो तो दूसरा विरोधी दल के पक्ष का हो। इस प्रकार की व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक कि धन्यवाद के प्रस्ताव के पारित होने का प्रश्न है उसके लिये समय नियत है। तीन दिन के पश्चात् उस पर राय ले ली जायेगी लेकिन इससे विरोधी दल के जो बोलने वाले हैं उनको पूरा मौका अपनी बातों को कहने का मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--माननीय त्रिलोकी सिंह जी, मेरा यह खयाल है कि कोई ऐसा नियम तो नहीं बनाया जा सकता कि एक उधर का और एक इधर का बोलने वाला हो, लेकिन इस बात का लिहाज रखा जायगा कि जो बोलने वाले हैं उनको काफी मौक़ा बोलने का दिया जाय।

दूसरी बात यह भी है कि अब १५ मिनट हर एक बोलने वाले के लिये हैं, लेकिन अगर तादाद ज्यादा होगी तो इस वक्त को भी घटाना होगा और जहां तक हो सकेगा सभी लोगों को मौक़ा दिया जायगा कि वे अपनी बातें कह सकें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं एक पुरानी परिपाटी की बात आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। जब कि सामान्य वादविवाद बजट में या राज्यपाल के सम्बोधन पर होता रहा है, तो जैसा कि नेता विरोधी दल, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा है, इस तरह का खयाल सर्वदा किया गया है, समय का बंटन होता है और बराबर इस बात का खयाल माननीय अध्यक्ष ने रखा था कि विरोधी पक्ष को ज्यादा समय मिले। इसलिये मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि आप के सम्मुख जो सुझाव प्रस्तुत किया गया यदि आप उसे मान लें तो किसी संसदीय प्रथा के बाहर आप नहीं जायंगे। हमारे यहां यह नियम रहा है। चाहे कांग्रेस पक्ष में ज्यादा सदस्य रहे हों मगर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बराबर यह परंपरा कायम रखी थी। पहले तो हम ४४ थे अब १४४ हो गये हैं, पहले से १०० ज्यादा हो गये हैं और उनकी तादाद घट गई है। इसलिये बहुत ही एक अच्छी परिपाटी का आप पालन करेंगे यदि आप एक इधर से और एक उधर से बुलायें। आप श्रीमन्, इस बात का भी खयाल रखें कि कांग्रेस सरकार को अपनी योजनाओं और कृत्यों को प्रकाशित करने का बराबर मौक़ा मिला करता है। समाचार-पत्रों में तो उनकी पूरी बात निकल जाती है, लेकिन अगर हम लोगों को समय नहीं दिया गया तो हम अपनी रीति-नीति और क्या ढांचा हम कायम करना चाहत हैं उसको हम जनता को कैसे समझा पायेंगे। इसलिये मैं आप से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आप हमको अधिक समय दें तो मैं समझूंगा कि जो एक स्वस्थ परिपाटी है उसको आपने कायम रखा है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि उनको मौक़ा कम दें और हमको ज्यादा, तभी ठीक होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। मैंने तो स्वयं यह निवेदन किया था कि ऐसा

कोई नियम नहीं है। मैं चाहता हूं और आप से निवेदन करूंगा, आप के द्वारा इस सदन से भी कि इस प्रकार की प्रथा यहां बन जाय, जैसी कि दूसरे संसदों में है। और यह भी मैं आपकी सेवा में श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथायें, कंवेन्शन्स हमेशा माइनारिटीज के इंटरेस्ट में होते हैं, कभी कोई प्रथा मैजारिटी के इंटरेस्ट में नहीं बनती है। इसलिये अल्पमत में होते हुये भी मैं आप से यह याचना करता हूं और आप के द्वारा नेता सदन स भी कि वे इस निवेदन को स्वीकार करें और इस प्रकार की प्रथा यहां कायम करें। बिजनेस उनका है, काम उनका है, पास कर देने की उनकी इच्छा है और हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह आवश्यक है कि उसके लिये उचित समय हो और विरोधी दल को पूरी टीका-टिप्पणी करने का मौक़ा मिले। वह तभी हो सकता है कि जब इस प्रकार की प्रथा हो जो मैंने अभी आपकी सेवा में पेश की।

श्री अधिष्ठाता--जो मैंने अभी अर्ज किया था, मैं अपनी उसी राय पर अब भी कायम हूं। मैं हर किस्म के खयालात को और विचारों को जाहिर होने का और उनको सदन के सामने लाने का पूरा-पूरा मौका दूंगा, लेकिन न तो मुझे ऐसी कोई प्रथा ही मालूम है कि लाजमी तौर से एक विरोधी दल का सदस्य बोले और फिर एक गवर्नमेंट के दल का और न ऐसा नियम ही मालूम है। ऐसी कोई प्रथा मुझे नजर नहीं आती लेकिन मैं आप सभी को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा मौक़ा नहीं आने दूंगा कि किसी साहब को बोलने का मौक़ा न मिले, बल्कि उनके पूरे-पूरे विचार जाहिर होने का मौक़ा दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--आप मुझे इसका मौक़ा देंगे कि लंच में मैं आप को प्रथायें प्रमाण सहित दिखा सकूं, आप की सेवा में प्रस्तुत कर सकूं।

श्री अधिष्ठाता--जी हां।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल बोलते समय मैं प्लानिंग के बारे में कुछ बातें कह रहा था और मैंने निवेदन किया था कि पिछले साल का जो अरसा है, हमारे देश में एक नयी बात, एक खास किस्म की व्यवस्था स्थापित होने के बाद, एक प्लैन्ड इकोनामी की बात आई। लेकिन हिन्दुस्तान एक मात्र ऐसा देश है जहां भिन्न सामाजिक व्यवस्था के रहते हुये भी प्लैन्ड एकोनोमी या योजनाबद्ध अर्थ-नीति की जो घोषणा की गई और उस पर अमल भी किया गया और बहुत से अन्य क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के अलावा दूसरे क्षेत्रों में जो उसमें कुछ प्रगतियां हुई हैं उनके ऊपर हम हिन्दुस्तान के रहने वाले काफी नाज और नखरा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे सूबे में प्लान्ड इकोनामी के नाम पर या प्लानिंग के नाम पर जो कुछ हुआ है उसके लिये हम लोग गौरव नहीं कर सकते, बल्कि किसी क़दर अगर देखा जाय तो हमारी जो राष्ट्रीय सम्पति है और इस प्रदेश के गरीब लोगों ने कर के रूप में जो धन दिया है, यहां के संरक्षकों ने उस धन का दुरुपयोग किया है, उन्होंने हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का बहुत ही नाजायज इस्तेमाल किया है। यदि अधिक समय होता तो मैं विस्तार के साथ आपको बतलाता कि किस तरीके से ये तमाम चीजें की गयी हैं। मैं यह समझता हूं कि आज यह रोना रोने की बिलकुल जरूरत नहीं थी जैसा कि माननी य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है कि यहां पर बड़े उद्योग खोले जायंगे। उद्योगीकरण की कोई भी बात हमारे सूबे में नहीं हो पायी है। उद्योगीकरण के मायने शायद यह लगाये जाते हैं कि अगर भिलाई स्टील प्लाण्ट जैसा प्लाण्ट यहां पर लगे तो हमारे कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। आखिरकार भिलाई स्टील प्लान्ट तो सब जगह सब सूबों में लगने वाला नहीं है और न वह लगना संभव ही है और न उन साधनों का दुरुपयोग करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यहां पर चार चीनी मिल लगने की बात कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। इस सदन में और इस सदन के बाहर मन्त्रिमंडल की जो बड़ी-बड़ी पोथियां छपती हैं उनके अन्दर वह सब चीजें छपी रहती हैं, लेकिन पता नहीं कि वे मिलें कब तक लगेंगी। आखिरकार हमारे

[आचार्य दीपंकर]

सूबे में यह चार चीनी के मिल लग जायं तो काफी तादाद में किसानों की समस्या इससे हल हो सकती है।

मेरे जिले में किसानों ने कई मर्तबा कोशिश की कि कोआपरेटिव आधार पर अगर मिल लगाई जा सके तो लगाई जाय, लेकिन पता नहीं कि कागज यहां पर आता है तो फाइलों में कहां पड़ा रह जाता है और इस प्रकार से किसानों की सारी की सारी इच्छायें दब कर रह जाती हैं। मैं समझता हूं कि आप सूबे के पच्छिमी हिस्से में जाइये। वहां पर १०, १५ मील का इलाका ऐसा है जहां पर शीरे से बदबू बहुत अधिक फैली हुई है। उस शीरे का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है और उसके द्वारा कुछ उद्योग शुरू किया जा सकता है। चीनी मिलें यहां पर लगायी जा सकती हैं, सिमेन्ट फैक्टरीज यहां पर लगायी जा सकती हैं। कागज का कारखाना यहां पर लगाया जा सकता है। ये इच्छायें जनता की जब पूरी होंगी तब शायद यहां पर प्लान्ट इकोनामी हो सके।

मैं समझता हूं कि इसी तरह से अगर यहां के प्लानिंग को देखा जाय तो बहुत से आदमी खेती में लगाये जा सकते हैं। मेरे पास जो किताब है और सरकार की तरफ से जो किताब निकाली गयी है उसमें भी जो खेती की प्लानिंग दी गयी है उसमें सब से पहले सहकारी खेती को स्थान दिया गया है। यदि उत्पादन और वितरण को योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता है तो प्लान्ड इकोनामी की बात करना बेकार है और यह शब्द जाल है। पिछले पांच साल के अर्से में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद यहां पर कुछ ५०, ६० कोआपरेटिव फार्म खोले गये हैं। उन फार्मों की क्या हालत है। किसी तरह से सिसक-सिसक कर वह खेती को चला रहे हैं यह सब जानते हैं।

हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन चीन भेजा गया था। उसने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वह किसी कम्युनिस्ट की छापी हुई किताब नहीं है। उसके अन्दर यह बतलाया गया है कि ९१ फीसदी किसान चीन में कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्दर शरीक हो चुका है। वहां पर २२२ कोआपरेटिव फार्म गवर्नमेंट की तरफ से खोले गये हैं। मैं समझता हूं कि यह सब चीजें हैं जो प्लानिंग के नाम पर यहां पर की गयी हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी प्लानिंग की है। यहां पर अगर वह मिनिस्टर न रहे तो किसी युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हो जायंगे और अगर वहां न हुये तो फिर पब्लिक सर्विस कमीन में चले जायंगे। लेकिन यह प्लानिंग व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ करती है।

चकबन्दी के मामले में बड़े लम्बे चौड़े दावे किये गये हैं किन्तु इस चकबन्दी से जो अन्धेर हुआ है वह किसी और जगह नहीं हुआ है। विरोधियों में जो हमारे बहुत से साथी हैं उनमें से बहुत से लोगों ने अधिकार के साथ इस बात को कहा था कि चकबन्दी के द्वारा बहुत फायदा हमारे प्रदेश का होगा, लेकिन १२–१३ जगहों का मेरा अपना अनुभव यह है कि चकबन्दी में साधारण सामाजिक परम्पराओं को भी बालायेताक रख दिया गया है। मैं चैलेन्ज करने के लिये तैयार हूं कि जिस इलाके कैराना और मुसाफिरखाना तहसील को इसके प्रयोग के लिये चुना गया था उस एक तहसील केराना में अगर ८–१० लाख से कम रिश्वत ली गयी हो तो जिले की जनता ने जो गौरव मुझे प्रदान किया है, उस असेम्बली की सदस्यता से मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं कि एक छोटे से गांव पोइस नगला में ३० हजार रुपया रिश्वत का लिया गया। जब डिप्टी डायरेक्टर साहब वहां गये तो सैकड़ों आदमी वहां उनके सामने बयान देने के लिये खड़े हो गये। जहां तक माननीय माल मंत्री जी का संबंध है मैं उनकी योग्यता, मेहनत और उनकी लगन की कद्र करता हूं, लेकिन उनकी इस योग्यता और परिश्रम का अगर हमारे सूबे के किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है तो क्या फायदा उस योग्यता और परिश्रम का। उन्होंने पूरे सूबे में घूम-घूम कर सब्ज बाग दिखाये। लेकिन इस चकबंदी से बहुत से किसान तबाह और बरबाद हो गये हैं। उन्होंने नहीं देखा कितने किसानों के कुएं और ट्यूबवैल्स और कितनों की जमीनें इधर की उधर हो गयी हैं। इस चकबन्दी के द्वारा जो मक़सद आपका फ्रेगमेंटेशन को रोकने का था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और इस

पर शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हूं कि इससे फ्रेगमेंटेशन भी रुकने वाला नहीं है। क्या आज जो भाई भाई हैं वे कभी अलहैदा नहीं होंगे? अगर अलहैदा होंगे तो क्या वह सब जमीन एक के पास छोड़ देंगे? जब आपको चक दिखाये जाते हैं तो कहा जाता है कि हमें पता नहीं कि ऐसे भी चक हैं। कहां क्या हो रहा है, क्या आप को इसका पता है? आप को पता नहीं है कहां कैसे चक बने हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे चक अब बन चुके हैं, हमारी दो साल की मेहनत बेकार हो जायगी। आप तो दो वर्ष के अपने चकों के लिये ऐसा कहते हैं लेकिन जो हजारों वर्ष से उन्होंने बनाया था उस को आप ने अपनी कलम की एक नोक से तहस-नहस कर डाला और आप को दर्द नहीं आया। इसलिये मैं समझता हूं कि चकबन्दी का प्रयोग बहुत महंगा प्रयोग है इसलिये इसको बन्द कर दिया जाना चाहिये। अगर आप इसको बन्द नहीं करते हैं तो कंसोलिडेशन आफीसर्स और कमेटियां आप को नयी बनानी होंगी और जो चकबन्दी हुई है उसमें भी लाजिमी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिये कि जो कुछ हुआ है उसमें कहां कहां गलती हुई है।

प्लानिंग के नाम पर जो बातें हो रही हैं वह भी अनोखी हैं। खुद मन्त्रिमंडल की प्लानिंग को लीजिये। इस सिलसिले में मुझे गोबिल्स की जिन्दगी याद आ जाती है। उसका कहना था कि अगर कोई कल्चर का नाम लेता है तो मेरा हाथ पिस्तौल की तरफ जाता है। अपने यहां भी करीब-करीब वैसा ही किस्सा है। एक तरफ तो शिक्षा का प्रबन्ध है जो कुछ लोगों को दिया जाता है और उन्हीं को दूसरी तरफ पुलिस का। अगर वह विद्यार्थी शिक्षा की, कल्चर की बात करेंगे तो उनको पुलिस की याद आयेगी। अगर ठीक ढंग से व्यवस्था को चलाना है तो लाजिमी तौर से सोचना पड़ेगा कि कहां पर किस तरीके से कौन-सी चीज अच्छी तरह से चलायी जा सकती है।

हमारे जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में एक छोटी रेलवे लाइन है। मार्टिन कम्पनी के अन्तर्गत कर्मचारियों की वहां क्या हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं जाता। वहां के मजदूरों की बुरी हालत की जांच की जाय।

राज्य कर्मचारियों के बारे में कहा गया कि वे भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन उनके अन्दर भी देशभक्ति है। जो पिछले पांच सालों में हुआ है वह इन मिनिस्टरों का ही किया हुआ नहीं है इन कर्मचारियों का ही किया हुआ है। उनमें भ्रष्टाचार भी है लेकिन क्या जब किसी कर्मचारी को कोई प्रमोशन मिला है तो क्या वह किसी मिनिस्टर का फेवर गेन करने के कारण नहीं मिला है अथवा क्या वह किसी न किसी का रिश्तेदार नहीं था? इन्हीं बातों से भ्रष्टाचार को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। एक ओर सेन्ट्रल गवर्नमेंट डी० ए० बढ़ाना चाहती है लेकिन यह सरकार ४५ रुपये पर काम करने वाले का डी० ए० भी नहीं बढ़ा सकती। मैं समझता हूं कि इन चीजों के बारे में भी इसमें जिक्र होना चाहिये था।

अब एक आखिरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और वह सही कही गयी कि वे हम सब का सहयोग चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम हर प्रकार का सहयोग इस सूबे के निर्माण के लिये देने को तैयार हैं। लेकिन अच्छा हो यही सहयोग देने के लिये कांग्रेस के अन्दर जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उनका भी सहयोग वे लें, तभी काम ठीक तरीके से चल सकेगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—चेयरमैन महोदय, राज्यपाल के भाषण के उपलक्ष में जो प्रस्ताव इस सदन में पेश है मैं उसको सपोर्ट करने के वास्ते उपस्थित हुआ हूं। इस राज्य में गुजिश्ता दिनों में जो तरक्की हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। किसी विभाग में और उस विभाग के अन्तर्गत किये गये हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाय तो ऐसी तरिक्कयां हुई हैं जो तारीफ के काबिल हैं और उस उन्नति के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं, वे उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। इस नुक्तेनिगाह से राज्यपाल महोदय का जो भाषण है उसकी तारीफ करना इस प्रदेश का फर्ज ही है। परन्तु इस मौके पर अगर कोई ऐसे काम रह जाते हैं जो राज्यपाल महोदय

---

* वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

के भाषण में होने चाहिये थे और जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है, अगर उसका भी वर्णन कर दिया जाय तो उसका मतलब यह कभी नहीं समझना चाहिये कि मैं उस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं अथवा उसका विरोध कर रहा हूं। इस सिलसले में इस मौके से फायदा उठा कर मैं इस सदन के माननीय सदस्यों और गवर्नमेंट के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस राज्य की सरकार और राज्यपाल महोदय स्वयं उन बातों की तरफ़ तवज्जह फरमायेंगे और उनसे इस प्रदेश और देश का लाभ होगा।

सब से पहले हमें इस बात की आशा थी कि राज्यपाल महोदय, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो असमानता (इनइक्वेलिटी) है उस को कम करने के लिये अपनी सरकार को कोई आदेश देंगे या कोई संकेत करेंगे कि इस राज्य की सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिये। मैं यह बता देना मुनासिब समझता हूं कि इस राज्य के लोगों की यह मांग है कि सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहों में जो इस वक्त भेद है वह कम होना चाहिये।

इसके बाद जहां तक बिजली के वितरण का सवाल है, उसके बारे में भी मैं राज्य के लोगों की राय इस सदन में जाहिर कर देना चाहता हूं। राज्य के लोग समझते हैं कि बिजली शहरों के लिये ही पैदा की जाती है, और यह सही भी है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई योजना इस किस्म की नहीं बनायी है जिसमें किसी प्लान्ड तरीके पर गांव को बिजली देने के लिये या वहां की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिये कोई प्रयास किया गया हो। अभी तक देहातों के लोग इस सूबे में यह नहीं जानते कि उनके गांव में या दूसरे गांव में या कौन-कौन से गांव हर जिले में लिये गये हैं जहां सरकार ने बिजली को देना तय कर लिया है। यह यहां के लोगों की मांग है। हम नहीं जानते कि देहातों की जनता को कब बिजली का फायदा उठाने का मौका मिलेगा।

तीसरी बात यह है कि जहां तक आबपाशी का ताल्लुक है उस तरफ इस सरकार ने बहुत बड़ी प्रगति की है और अब काफी जमीनों में आबपाशी पहले के मुकाबले में होने लगी है। लेकिन पानी के वितरण का जो तरीका है वह डेमोक्रेटिक नहीं है और इसी वजह से काश्तकारों को बहुत परेशानी होती है और काफी मुकदमेबाजी होती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कुछ भी संकेत नहीं किया है जिससे पानी के वितरण पर कुछ प्रकाश पड़ सके। जनता की यह मांग है कि पानी के वितरण का जो तरीका है उसे प्रजातांत्रिक सिद्धान्त पर लाया जाय। जो पानी के उपभोक्ता हैं उनका काफी हाथ उसके वितरण में होना चाहिये ताकि वे महसूस कर सकें कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। अब हालांकि पानी के मामले में पहले से काफी तरक्की हुई है लेकिन उसके वितरण की खराबी की वजह से पब्लिक को जितना फायदा होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, जहां तक जंगलात का ताल्लुक है, उस सम्बन्ध में जनता की जो मांग है, उसे मैं आप के सामने और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि जब से प्राइवेट फारेस्ट्स को गवर्नमेंट ने आकुपाई किया है उस समय से आम जनता को लकड़ी मिलने में बड़ी परेशानी होती है। पहले जनता को वहां से लकड़ी बड़ी आसानी से मिल जाती थी तथा कुर्ब व जुवार का काम आसानी से चल जाता था लेकिन अब उनको आसानी से लकड़ी नहीं मिल पाती है इसलिये सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना है। वन विभाग को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिये जिससे लोगों को लकड़ी आसानी से मिल सके।

श्रीमान् चेयरमैन साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार ने हालांकि सामाजिक भेदभाव मिटाने की बड़ी कोशिश की है जनता में और मैं समझता हूं कि वह कामयाब भी हुई जिसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। लेकिन एक बुराई भी पैदा हो ई है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और वह यह है गुजश्ता ५ साल के जमाने में जनता के अन्दर जो धनवान समाज है, राज्य की तरफ से उसको ही ज्यादा

.प्रतिष्ठा मिली है बमुकाबले उस समाज के जो कि गरीब समाज है। जहां तक इस राज्य में सोशलिस्टिक पैटर्न को इस्टेबलिश करने की बात है, जहां तक मेरा खयाल है इस तरफ कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मुझे आशा है कि सरकार आइन्दा इस तरफ ध्यान रखेगी और गवर्नमेंट की जो सोशल इकनामिक नीति है उसको सुधारेगी ।

एक बात अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने यह तो कहा कि गन्ने की पैदावार ज्यादा हो रही है इस सूबे में, लेकिन गन्ने की सप्लाई मिलों को जिस डिपार्टमेंट के जरिये होती है, मैं यह बतलाना मुनासिब समझता हूं कि उस डिपार्टमेंट की जो कार्यशैली है, वह निहायत खराब है। जहां तक केन कमिश्नर के आफिस का ताल्लुक है, केन-कमिश्नर यह नहीं समझता कि वह केन सप्लाई करने वालों की सेवा के लिये है बल्कि वह तो यह समझते हैं कि उनके सामने मिल मालिकों का हित ही ज्यादा है और जो केन प्रोड्यूसर्स हैं उनका हित कम है। मैं समझता था कि राज्यपाल महोदय अपने भाषण में इस मामले की तरफ भी कुछ संकेत करेंगे। जहां तक गन्ने की पैदावार का सम्बन्ध है मुझे आशा है कि वह गन्ना सप्लाई करने की नीति को सुधारेगी ताकि जनता को जो इस वक्त इस सम्बन्ध में परेशानी हो रही है वह हो सके ।

जहां तक मवेशियों का ताल्लुक है इस सम्पत्ति की तरफ सरकार ने क्या तरक्की की है तथा आगे वह और क्या तरक्की करना चाहती है इस तरफ राज्यपाल महोदय ने कुछ संकेत नहीं किया। ऐसे देखने से मालूम होता है कि सरकार ने इस तरफ काफी तरक्की की है और कर रही है लेकिन अभी भी इस तरफ बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे आशा है कि गवर्नमेंट इस दिशा में भी काफी तवज्जह देगी जिससे मवेशियों की हालत में सुधार हो सके। जिस स्पीड से काम कर रहे हैं वह ज्यादा बढ़ेगी और लाइव स्टाक को तरक्की देने में सरकार ज्यादा कोशिश करेगी ।

जहां तक इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है, चेयरमैन महोदय, इंडस्ट्रीज के मामले में लोगों को सुविधायें, ग्रांट्स देकर, काटेज इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज दोनों को सरकार ने काफी बढ़ाया है और इस मामले में सरकार धन्यवाद की पात्र जरूर है, लेकिन साथ ही एक चीज इसमें जरूर पैदा हो गई है, मैं नहीं जानता कि सरकार का ध्यान उस ओर गया है या नहीं कि जहां तक लोन्स व ग्रांट्स का सम्बन्ध है, वह उन्हीं लोगों को अधिकतर मिली हैं कि जो आसानी से सीक्योरिटी वगैरा दे सकते हैं और जो लोग जमानत नहीं दे सकते हैं या गरीब हैं, लेकिन काटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें यह ग्रान्ट्स या लोन उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस ओर तवज्जह देना होगी और सोचना पड़ेगा कि चाहे सरकार का रुपया वापस होने में कुछ कठिनाई भी पड़े तब भी वह इसका कोई खयाल न करे और जो वाकई जरूरतमन्द और गरीब हैं उनको लोन व ग्रान्ट देने में पहले से ज्यादा सुविधा दे ।

जहां तक एजूकेशन का ताल्लुक है मैं अपने खुले हुए दिल से सरकार की तारीफ करता हूं कि उसने शिक्षा के प्रसार में बहुत कुछ कार्य किया है और इस स्टेट के बजट का काफी रुपया शिक्षा के ऊपर सरकार ने खर्च किया है और इसके फलस्वरूप यहां काफी लोगों ने शिक्षा ग्रहण भी की है, उसमें गरीब अमीर दोनों हैं। लेकिन चेयरमैन महोदय, अगर समस्त देश के बहुत से राज्यों से हम इस दिशा में पीछे रह गये हैं तो यह सचमुच हमारे लिये एक लज्जा की बात होगी। हमारी जनता चाहती है कि इन्टर तक हमारे यहां शिक्षा फ्री हो जाय और कोई फीस लड़कों से न ली जाय। मेरा खयाल है कि भारत की कुछ दूसरी स्टेट्स ने हाई स्कूल तक शिक्षा फ्री कर भी दी है, लेकिन हमने अभी नहीं किया है। हम इस दिशा में पीछे हैं। हमारी सरकार को इस कमी को पूरा करने में कोई दक़ीक़ा नहीं उठा रखना चाहिये ।

[श्री खूबसिंह]

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा । जहां तक मेडीकल एड का ताल्लुक है सरकार के पास जनता को सुविधायें देने के लिये सीमित साधन हैं । डाक्टर नहीं मिलते वह अभी ट्रेनिंग में हैं और भी परेशानियां हमारे सामने हैं । लेकिन बावजूद इन परेशानियों के भी हम अपने सिस्टम को किसी हद तक दुरुस्त कर सकते हैं, इन्ही साधनों से जो हमें इस वक्त उपलब्ध हैं । सरकार ने अभी तक इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई कि समाज में जो ऐसे रोगी हैं जिनके समाज में रहने से समाज को खतरा रहता है जैसे टी० बी० के, सिफलिस के या कोढ़ के मरीज हैं, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जिनको मरीज नहीं पहचान सकता कि उसको यह क्या मर्ज है, कोई किसी मर्ज में मुबतला है तो उसको देहात के डाक्टर, वैद्य या हकीम नहीं बता सकते कि तुमको यह बीमारी है, इसलिये इसके लिये सरकार को कोई पद्धति ऐसी अपनाना चाहिये कि जिसके द्वारा अगर एक साल में नहीं तो कम से कम दो साल में जनता के प्रत्येक व्यक्ति की मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा डाक्टरी परीक्षा हो जाया करे और जिनको जिस हास्पिटल में भेजने की जरूरत हुआ करे उनको वहां भेज दिया जाया करे । आशा हैं आगे यह सब बातें माननीय राज्यपाल महोदय सामने लायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री नवलकिशोर जी ने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में जो कृतज्ञता का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैंने कल इस सदन में कुछ सुना, कुछ समझा और कुछ सोचने की भी कोशिश की । इस सदन में वादविवाद सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि विरोधीदल को समालोचना के सिवा समय को एक प्रकार से व्यर्थ करने का मौका मिलता है । समालोचना तो ठीक है और आलोचना भी ठीक है । किन्तु हाउस के समय को बिगाड़ने का कार्य मेरे खयाल से ठीक नहीं है ।

दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि हम लोग जो वाद विवाद करते हैं, उसको बास्तविकता से बिलकुल अलग रखते हैं ।

तीसरी चीज जो मैंने देखी है वह यह है कि मान और अपमान में ज्यादा अन्तर नहीं समझा जा रहा है । जरा-जरा सी बातों के लिए डिवीजन की मांग की जाती है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--बहुत गनीमत है कि आप थोड़ा समझे ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह--कोशिश करूंगा ज्यादा समझने की, समय मिलने दीजिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--यह तो इस हाउस और इस हाउस के मेम्बरों के ऊपर रिफलेक्शन है । इस सदन के अन्दर उनकी सेवाओं को इम्प्युन करना, यह तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि सभी को राय जाहिर करने का अधिकार है ।

श्री त्रिलोकीसिंह--हमको भी आप इजाजत देंगे कि हम एक दूसरे की नीयत पर जो हाउस के अन्दर कार्यवाही हो उस पर हमला करें ?

श्री अधिष्ठाता--नीयत का सवाल दूसरा है, आबजर्वेशन का सवाल दूसरा है ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह--अब जो मैं चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए केवल अभी दस वर्ष हुए हैं । दस वर्ष से भी कम हुए हैं । स्वतन्त्रता के साथ देश का विभाजन हुआ । विभाजन के साथ जो परिस्थितियां पैदा हो गयीं वह अकथनीय

हैं। उसके साथ-साथ हमारे देश के नेताओं ने जो कार्य करने की चीजें थीं, जो देश का पुनरुद्धार करने का मौका था उसको भी हाथ से नहीं छोड़ा। उसके साथ-साथ देश के निर्माण के कार्य को भी अपने हाथ में लिया और निर्माण का कार्य आरम्भ किया और उसको सुचारु रूप से चलाने के लिए पहले एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी और वह पंचवर्षीय योजना मार्च, १९५६ में खत्म हुई। इस देश में जो कार्य हुआ है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुआ है। उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काम था वह यह था कि देश में उत्पादन बढ़े और कच्चा सामान बढ़े ताकि हम उसके ऊपर अपनी पयुचर इकोनामी आइन्दा आने वाली अर्थ प्रणाली को बना सकें। इस देश में जो कार्य हुआ है उसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुआ और वह पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी है। राज्यपाल महोदय ने जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, जो प्रगति हुई है और जो उसका नतीजा निकला है उसको उन्होंने अच्छी तरह से दिखलाया है। जो कुछ हुआ है, जिन परिस्थितियों में जो कुछ हुआ है वह बहुत ज्यादा है और हमको उसके लिए सरकार का बहुत ऋणी होना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि और जो कुछ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होगा वह इतना ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपने देश के उस लक्ष्य पर पहुंचा सकेंगे जिस पर हम उसको पहुंचाना चाहते हैं।

मैं एक बात इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। वह यह है कि इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में अगले पांच वर्ष में या अगले वर्ष में क्या होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल तथ्य नहीं है। उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से दोहराया है और अच्छी तरह से साफ किया है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी इस देश का लक्ष्य है। और वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी क्या है यह सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान को पढ़ने वाले ठीक तरह से समझ सकेंगे क्योंकि वह चीज उसमें अच्छी तरह से दी हुई है। उसके लिये कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार का उद्देश्य इन्ही तीन शब्दों में दिया गया है उसको समझने की कोशिश की जाय। हम इस बात को समझते हैं कि हमारे देश में बड़ी-बड़ी अद्भुत घटनायें हो रही हैं और हुई हैं। गत दो सौ वर्षों के अन्दर जो घटनायें हुई हैं वह सब को मालूम हैं।

पहली घटना तो यह हुई थी कि कुछ अंग्रेज जो चार हजार मील दूर रहते थे हिन्दुस्तान तिजारत करने के इरादे से आये, लेकिन यहां उनका वही उद्देश्य नहीं रहा। यहां के वे राजा, ठेकेदार बन गये और यहीं तक नहीं, बल्कि इस देश के अलावा और देशों पर भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वह इतना बड़ा हो गया कि वहां सूर्य अस्त ही नहीं होता था। वही साम्राज्य दो लड़ाई लड़ने के बाद और विजयी होने के बाद इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गया कि वह अपने आपको इस संसार का चौधरी समझने लगा। दूसरी घटना यह हुई कि एक लंगोटीबाज जो डंडा इसलिये पकड़ता था कि उसको सहारा मिले उसने उन अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया और उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया। और अब तीसरी अद्भुत घटना जो होने वाली है और जिसकी रूप रेखा शुरू हो गई है वह यह है कि हमारा देश संसार के देशों में सब से आगे जाने को है और उन्नत शिखर पर चढ़ने को है। उसकी रूपरेखा अब शुरू हो गई है और वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में है और अगर हम उसको कामयाब बना सकेंगे तो हम इतने उच्च शिखर पर पहुंच जायंगे जिससे संसार के लोग हमको देखेंगे।

हम लोग अपने आपको न समझ करके अपनी सरकार को गालियां देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन आदमियों से पूछिये जो बाहर से आते हैं, उनकी राय हमारे मुताल्लिक क्या है। वे समझते हैं भारत इतनी तेजी से उन्नति कर रहा है कि वह थोड़े ही समय में संसार के उन देशों में हो जायगा जो प्रमुख हैं। इसको न समझकर हम अपना समय बेकार की चीजों में व्यतीत करते हैं जो वांछनीय नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

अब विरोधी दल के लोग जिस चीज पर जोर दिया करते हैं वह यह है कि सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसायटी क्या चीज है, कैसे बनेगी, क्या अर्थ है ? सोशलिज्म क्या चीज है हमारे विरोधी भाई उसको एक और चीज समझते है, मेरी समझ में तो मुश्किल से आ रहा है। जो सोशलिज्म वह फैलाना चाहते हैं जिस सोशलिज्म की बात वह किया करते हैं वह उन कंट्रीज के मुताल्लिक है जहां पर कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। हमारा सिविलाइजेशन उससे विभिन्न है, उससे बिलकुल अलग है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर ७६ फीसदी जनता कृषि करती है। यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है और न उन चीजों की यहां पर जरूरत है जो कि पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ती हैं। मैं यह समझता हूं कि यहां पर ऐसे सोशलिज्म की जरूरत नहीं है जैसा कि सोशलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में दीखता है और जिसकी नकल हमारे जो सदन के विरोधी दल के लोग हैं वह किया करते हैं। वेस्टर्न सोशलिज्म में एक प्रकार का रोग शुरू हो गया है। वह रोग यह है कि वहां पर पैदावार ज्यादा है, उसके वितरण का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट मसला चल रहा है। वहां पर दिन वा दिन इन झगड़ों की वजह से लड़ाई का डर रहता है। हमको इन चीजों से बचना है। इसलिए हमको जो सोसाइटी बनानी है वह इस प्रकार की सोसाइटी होगी कि जिसमें निर्धन निर्धन न रहें मालदार हो जायं और जो मालदार हैं उनको भी तरक्की करने का मौका हो। लेकिन वह तरक्की केवल अपने परिश्रम से करें, दसरे को लूट कर नहीं। दूसरे के धन से मालदार न बनें बल्कि अपने परिश्रम से बनें और हर एक को मौका अपनी-अपनी तरक्की करने का मिले। यह चीज हम चाहते हैं और इसी किस्म का हमारा सोशलिज्म है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिठाता महोदय, मैंने अपने नाम से ही एक संशोधन दिया था। वह संशोधन मैं आपके आज्ञानुसार हाउस में पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्न जोड़ दिया जाय—

"राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गत् मास में म्योर मिल्स कानपुर के एक मजदूर के आत्मघात करने के फल स्वरूप लाश के साथ जाने वाले मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों तथा अनेक मजदूर नेताओं के साथ पुलिस द्वारा अमानुषिक दुर्व्यवहार की चर्चा नहीं की,

ग्रामों में गो सदनों की व्यवस्था न हो सकी,

प्रेसीशन इन्स्ट्रमेंट फैक्ट्री के धन का एकाउंट आडिट कोट की रिपोर्ट के अनुसार अपव्यय होना तथा योजना की सफलता पर बिना विचार किये विदेशी विशेषज्ञों पर सरकार आश्रित रही,

ग्रामों में ५५ प्रोसेस समितियों तथा १५० क्रय विक्रय समितियों से अधिक संगठित न करा सकी,

समाज कल्याण विभाग द्वारा अकिंचन व असमर्थ व्यक्तियों का समुचित प्रबन्ध न करा सकने पर प्रकाश नहीं डाला,

ग्रामों के किसानों में काबिज बेकाबिज के झगड़ों को उलझते हुए देखते हुए भी किसी व्यवस्था का प्रबन्ध न करा सकना जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में फसल के अग्निकांडों का बढ़ जाना तथा भारतीय दंड विधान दफा १०७/११७ के जुल्मों का अधिकाधिक बढ़ जाना और उसकी रोकथाम न करा सकने पर प्रकाश नहीं डाला।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सुधारों की अवहेलना .....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य जरा रुक जायं। देखिए अवस्थी जी, कल यह बात तय हो गई थी कि और कोई अमेंडमेंट मूव नहीं होंगें बल्कि जो मूव हो चुके हैं उन्ही पर डिस्कशन जारी रहेगा। इसलिए आप अपने अमेंडमेंट को न पेश करके जो कुछ अपना भाषण हो, शुरू करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, फिर मैं सविनय प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भाषण में कहना चाहूंगा उसका ही सारांश इस संशोधन में था। इसलिए यदि मैं अपने भाषण का सारांश पढ़ कर सुना देता तो शायद हाउस को समझने में सुविधा हो जाती। अब मैं आपकी आज्ञानुसार शेषांक को नहीं पढ़ूंगा।

मैं आपका और आपके द्वारा हाउस का ध्यान कानपुर की अभी हाल की घटनाओं की ओर आकर्षित करूंगा। विशेष तौर से इसलिए कि मैं तो उसी कानपुर जिले से आया हूं। मुझे तो आश्चर्य उस समय और लगा जब कानपुर में ऐसी एक घटना घटे और हमारे ही सम्मान्य विरोधी पार्टी के नेता की ओर से उस घटना का उल्लेख न किया जाय। दुर्भाग्य या सौभाग्य से पार्टी के ही एक सदस्य श्री गौरीशंकर जी राय ने कुछ थोड़ा सा उसका उल्लेख किया। उसके साथ-साथ श्री झारखंडे राय ने उसका उल्लेख किया। इससे मुझे जरूर कुछ थोड़ा सा संतोष हुआ लेकिन फिर भी मैं इस सदन का ध्यान उस घटना की ओर पुनः आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसी घटनायें आम तौर से कानपुर में रोज होती रहती हैं लेकिन सन् ५७ के चुनाव के ठीक दो चार रोज के बाद फिर वही घटनायें घटीं और कोई ध्यान न दिया जाय और मखौल उड़ाया जाय यह हमारे कानपुर वालों के लिये एक अनोखी चीज रही है। मुझे कानपुर जिले की पुलिस के दुर्व्यवहारों की तरफ ध्यान दिला कर कहना है कि कानपुर बहुत काफी बदनाम हो चुका है और कानपुर के इस बुरे नाम को किसी तरह से दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये, वर्ना कानपुर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित रूप से कार्य करना असंभव हो जायगा और यह भी हो सकता है कि वहां नवयुवकों में कुछ ऐसी क्षमता आ जाय कि वे कुछ और भी सोचने लग जायं।

मुझे न केवल कानपुर की शहरी पुलिस के कार्यों की ओर ही ध्यान दिलाना है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस की ओर भी ध्याना दिलाना है जिसकी हालत शहर की पुलिस से भी बदतर है। अगर कानपुर जिले की देहाती हालत मैं आपके सामने रखूं तो आपको न केवल आश्चर्य होगा बल्कि आप उसे देख कर सोचने लगेंगे कि क्या आज भी यह बातें संभव हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रोज किसानों के खलिहानों में आग लगती है। यह आग लगना आपस का बैर भाव कह कर टाल दिया जाता है। इन गांवों में जहां आप भूमि के बटवारे की बात करते हैं और शांति व्यवस्था के लिये दफायें १०७, ११७ और १५१ लगाते हैं वहां आप क्या यह नहीं देख पाते कि ये घटनायें क्यों बढ़ती जाती हैं।

कानपुर के जिले में भ्रमण करके देखें तो आप पायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक छाया हुआ है। भूमि के पीछे अनेक कत्ल व हत्यायें बढ़ती जा रही है। मुझे तो कुछ ऐसे मुकामों के हालात पेश करने हैं जैसे जामू और बीपथपर के जहां जले खलिहानों के चिन्ह मेरे पास मौजूद हैं। यह सब इसलिये हो रहा है कि आप भूमि का बटवारा ठीक-ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप चकबन्दी की योजना लाते हैं और भूमि व्यवस्था की योजना लाते हैं लेकिन यह नहीं सोच पाते कि जमीन का बटवारा शान्तिपूर्वक किस प्रकार किया जाय। कार्य रूप में परिणत करने के लिये किसान चाहता है उसे कुछ मूलधन मिले, कुछ साधन मिलें लेकिन वह उन साधनों को नहीं जुटा पाता है। इसके लिये कुछ कर्जा समितियां अवश्य बनी हैं लेकिन चकबन्दी योजना से उनको हटाते जाते हैं। आप साधन जुटाने की बात कम सोचते हैं। परिणाम यह होता है आपस में वैमनस्य बढ़ता है और इतना आतंक और विद्रोह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जाता है जिसको दूर करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैं तो आपको कानपुर की स्थिति बतलाने के अलावा कुछ और भी बातें बतलाना चाहता था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ ६ पर गोसदनों की स्थापना के बारे में कहा गया है। यह एक बड़ी समस्या बन गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हम मानते हैं। जब से हमने गोहत्या का अधिनियम बनाया है तब से गायों की रक्षा अवश्य हुई है लेकिन देखना यह है कि क्या वास्तव में रक्षा हुई है जो गायें बिल्कुल ही मृतप्रायः हो चुकी हों उनकी रक्षा करने के हेतु कितने गोसदन तैयार किये गये। दो गोसदन आपकी रिपोर्ट में हैं, बाकी बनने जा रहे हैं। कब तक बनेंगे? देहातों में आज भी हजारों लाखों गायें मारी-मारी फिर रही हैं। इससे क्या फसलों को हानि नहीं होगी? उनके लिये कुछ व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये।

अन्य प्रस्तावों में ग्रामों में क्रय-विक्रय की समितियां बनाने की बात कही गई। क्या हमारे १५० क्रय-विक्रय समितियां पूरी समस्या को हल कर ले जायंगी। आगामी पांच वर्षों की योजना हम बनाने जा रहे हैं। ग्रामों की पिछड़ी हुई अवस्था को सुधारने के लिए क्रान्तिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे।

इसके बाद मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें भी रखना चाहता हूं जो मुझे विशेष तौर पर अपील करती हैं। शायद आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी हो कि मैं एक अध्यापक वर्ग का प्रतिनिधि हूं, अध्यापक वर्ग से आया हूं। इसलिए अध्यापकों की ओर से कुछ बात कह सकूं तो शायद हाउस का ध्यान आकर्षित हो। यह माध्यमिक शिक्षा का अध्यापक वर्ग, सेकन्डरी एजूकेशन का अध्यापक वर्ग यद्यपि सीधा-सीधा अपना प्रतिधिनित्व इस हाउस में नहीं पाते हैं कौंसिल में उनका प्रतिनिधित्व है, किन्तु हमें यह भी देखना है कि क्या उनका प्रतिनिधित्व इस हाउस में भी होना संभव है? यदि नहीं है, तो मैं उनकी ओर से कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आपके सामने रखना चाहता हूं। यह वह वर्ग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों में शिक्षा का प्रचार कर रहा है, जो ऐसे ग्रामीण नवयुवकों में शिक्षा का प्रचार कर रहा है जो शहरी क्षेत्र में आकर शिक्षा प्राप्त करने नहीं आ पाते हैं, उनकी सेवा वह वास्तविक रूप से कर रहा है –वह अद्वितीय है। इस सरकार ने पिछले वर्षों में उन्हें बड़े-बड़े सुनहले स्वप्न सुनाये कि बड़े अच्छे-अच्छे बिल पेश करने जा रहे हैं और यह भी कहा गया कि एक ऐसा बिल ला रहे हैं जो इस इंटरमिडिएट एजूकेशन बोर्ड को बदल देगा, बल्कि यह कहा कि हम इसको बिल्कुल ही समाप्त करने जा रहे हैं। उसको समाप्त करने के लिए बार-बार सूचना अख-बारों में निकाली लेकिन न केवल बिल ही समाप्त हो गया बल्कि उसके निर्माण कर्ता को ही इस हाउस में आने की कोई सुगमता नहीं प्राप्त हो सकी, "न रहे बांस, न बजे बांसुरी" और पता नहीं उन माध्यमिक वर्ग के अध्यापकों और शिक्षकों का सुधार कब हो पायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे अध्यापक वर्ग की ओर से हैं और आज ईश्वर ने उन्हें बहुत ही शक्ति-शाली पद दिया है, आज उनके हाथ में सारे प्रान्त की बागडोर है। ऐसे समय में यदि यह शिक्षक वर्ग निस्सहाय रह जाय तो बड़े आश्चर्य और दुख की बात होगी। इन आगामी ५ वर्षों क लिए जो बड़ी-बड़ी शानदार योजनाएं सुनायी गयीं उनमें कहीं उनके सुधार का उल्लेख नहीं है। केवल एक उल्लेख है कि उनके लिए हम हास्पिटल का प्रावीजन दे रहे हैं कि अगर बीमार होंगे तब तो उनकी सुनेंगे। लेकिन बिना बीमार हुए ही वह आज रोगग्रस्त हो रहे हैं। आज उनकी आर्थिक अवस्था, उनकी अन्य व्यवस्थाओं की ओर तनिक भी ध्यान न दें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ये मैनेजिंग कमेटी आज उनके लिए व्यापारिक समितियां हो गई हैं, वे कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पायेंगी? कहा जाता है कि हम बिल ला रहे हैं जिसमें इन सब चीजों की अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन वह बिल हाउस के सामने आवे तो, वह समय के अन्दर आवे तो!

अध्यापक वर्ग के साथ-साथ मैं विद्यार्थी वर्ग की बात भी कहना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि विद्यार्थी उच्छृंखल हो गये। यह बात उनके लिये सोचिये जिन्होंने अपना

सारा धन अपने गार्जियंस से लेकर, अपने अभिभावकों से लेकर जीवन में खर्च करके लगा दिया। जब वह कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके दिल की आप सोचें और उनको उच्छृंखल समझें। बेकारी क्या नहीं कराती? यह तो उन छात्रों की, विद्यार्थियों की बात है जिनकी कठिनाइयों को मैं आये दिन देखता हूं। मैं इस संबंध में बहुत सी बातें आपके सामने रखता लेकिन मुझे शायद इसकी अनुमति नहीं मिलेगी कि मैं उसमें ज्यादा विवाद कर सकूं।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से मैं इसके साथ-साथ जो और बातें हैं उनको भी रख देना चाहता हूं। वह है गवर्नमेंट की प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री। इसकी आडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यह वृहत योजना गवर्नमेंट के दिमाग में आई। लेकिन यह सब एक बड़ा मखौल दिखाई पड़ता है कि किस तरह से धन का अपव्यय किया गया है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट की जांच तक नहीं की जा सकी। आप इनके इशारे पर बड़ी-बड़ी योजनाओं को सोचते हैं और इसी के साथ-साथ यह भी सोचते हैं कि यह जो विदेशी एक्सपर्ट हैं, वह सब योग्य ही होंगे चाहे वह कुछ जानकारी रखते हों या न रखते हों। यह लोग हमारे लाखों रुपया बहाकर चले जाते हैं और हम हाथ मलकर रह जाते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य और शर्म की बात हो जाया करती है।

अब मैं आपके सामने ऐसी चीज रखना चाहता हूं कि जिससे दिल फटने लगता है। यह जो हमारा समाज कल्याणकारी विभाग खोला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है आंकिचन और भिखमंगों का सुधार करना। लेकिन उनके साथ आज मखौल किया जाता है। मुझे कानपुर के सरसैया आदि घाटों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि वहां के भिखमंगों को छिप जाने के लिये मजबूर किया गया। आप उनका प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, उनको भोजन नहीं दे सकते हैं और चन्द लाख रुपये उनके लिये खर्च नहीं कर सकते हैं और बाहर के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहां से भुखमरी खत्म हो चुकी है। इसके लिये आप भिखमंगों को छुपाकर रखते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां इन भिखमंगों की समस्या का हल हो चुका है। यह तो एक बड़ा भारी पाप है और सत्य से आंखों को मीचना है। आज जो आपने उनके लिये समाज कल्याणकारी विभाग खोला है और सोचते हैं कि लाखों रुपया उसके आफिस इस्टैबलिशमेंट में खर्च होने चाहिये और ५-५ लाख रुपये की इमारत बनाई जाय। इन सब बातों को भूलकर आज इस बात की जरूरत है कि इनके लिये भोजन की व्यवस्था हो। मुझे काशी की बात भी मालूम है। वहां विश्वनाथ जी की गली है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां बहुत बड़ी तादाद में भिखमंगे रहते हैं। आज भी उनकी हालत देखकर हर एक आदमी अवाक रह जाता है कि इस नगर के इन भिखमंगों की इतनी हालत खराब है जब कि इनके लिये सरकार की ओर से एक विभाग खुला हुआ है और उनके लिये अन्नदान तक की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मौका, जब कि राज्यपाल दोनों भवनों को सम्बोधित करते हैं, एक महत्व का है और क्योंकि वह संबोधित करके बड़े-बड़े प्रश्न जो इस प्रदेश के सामने हैं और होने चाहिये और वह कार्य जो यह सदन आगे करेगा, उसको सामने रखकर उस पर वाद-विवाद का मौका देते हैं, इसलिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस संबोधन में जो बातें कही गई हैं, उन पर जिक्र करने से पहले, मैं इस नये मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहता हूं, जिसने अभी कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस प्रदेश में एक सुसंगठित मजबूत शासन हो, उससे इस देश का भला होगा देश मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसलिये इस मंत्रिमंडल पर केवल इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की एक हद तक जिम्मेदारी जाती है। हमें विश्वास है कि यह मंत्रिमंडल इसको निभाने की सामर्थ रखता है और इसको निभाने का प्रयत्न करेगा। एक बात मैं अवश्य

[श्री मोहनलाल गौतम]

कहना चाहता हूं और वह यह है कि अच्छा होता अगर मन्त्रियों की श्रेणियां कम से कम हुई होतीं। पहले दो श्रेणियां हुआ करती थीं, मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज। फिर तीन हुई, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, अब चार हो गई हैं। अगर चार न हुये होते तो यह ज्यादा अच्छा था। पुराने सदन में जिसमें कि हम कुछ पुराने लोग हुआ करते थे उस समय यह बात मुख्य मंत्री जी के सामने रखी गयी थी कि इस मंत्रिमंडल में जो विभाजन विभागों का हुआ था वह कुछ सन्तुलन नहीं रखता था, ठीक नहीं था। कुछ मंत्रियों के ऊपर अधिक बोझ था और कुछ मंत्रियों को ज्यादा हल्का काम दिया गया था। मुझे खुशी है कि उस सुझाव पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने गौर किया और विभागों को ठीक ठीक बांटने की कोशिश की। फिर भी मेरा ख्याल है कि इससे भी अधिक उचित विभाजन इन विभागों का यदि होता तो ज्यादा अच्छा होता और मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी इस पर फिर गौर करके इसको अधिक उचित ढंग से विभाजित कर देंगे ताकि मंत्री लोग अच्छी तरह से काम कर सकें और प्रदेश को अच्छा शासन मिल सके।

इस संबोधन में वैसे तो बहुत ज्यादा विस्तार से उस पुराने तमाम कार्य की चर्चा की गई है जो पिछले पांच वर्ष में हुआ है। जो लोग यहां इस सदन में अब तक नहीं थे उनके लिए यह बहुत ही शिक्षा का विषय हो सकता है लेकिन जो पहले भी इस सदन में थे उनको इससे बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिये थी। इन विस्तार की बातों पर आने से पहले मैं जो सबसे महत्व की बात इस सम्बोधन में कही गई है, सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी उसका जिक्र करना चाहता हूं। हिन्दी और अंग्रेजी की प्रतियों में मुझे कुछ थोड़ा सा अन्तर मालूम होता है या मेरी समझ का फेर हो। लेकिन जो सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी अंग्रेजी में कहा गया है उसको "by graduali but steadily increasing stages" करने की बात कही गई है।

उसके बाद यह बताया गया है कि—

"This process, though less spectacular is certainly more paying; it has the advantage of avoiding a conflict between different interests which never helps but only hinders."

यों तो हम समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये शांतिमय उपायों को मान चुके हैं, लेकिन इस तरह का एक फतवा देना कि दूसरे प्रकार के तरीके हमेशा ही रुकावट डालते हैं एक बड़ा फ़तवा था जिस बहस में अगर राज्यपाल न पड़े होते तो ज्यादा अच्छा था। अगर अपना ही तरीका बताने से वह सब किये होते तो मुझे ज्यादा उचित मालूम होता क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में पड़ने में बड़ी दिक्कत नजर आती है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा यह समझने की कि पिछले दस साल में हम किधर जा रहे हैं। हम समाजवादी समाज की स्थापना करने की ओर जाने का दावा करते हैं। यों तो समाजवाद बहुत प्रकार का है, सिद्धांत भिन्न-भिन्न हैं और कई तरह से उसका इंटरप्रेटेशन किया जा सकता है, लेकिन कुछ आधारभूत चीजें ऐसी हैं जिनमें मतभेद नहीं हो सकता।

मैं सबसे पहले यह समझने की कोशिश करूंगा, अधिष्ठाता महोदय, कि पिछले दस साल में क्या हमने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। एक बात जो निर्विवाद सबही मानते हैं वह यह है कि धन में और आमदनी में जो अन्तर है वह कम हो। इस बात में किसी को मतभेद नहीं है कि समाजवाद की यह एक आधारभूत चीज है। मैं अगर पिछले दस साल की उस तस्वीर पर निगाह डालने की कोशिश करूं जो अबतक हमारे सामने है तो मुझे दिखाई देता है कि यह जो अन्तर है यह घटने के बजाय बढ़ा है। ऐसा मेरा विचार है, मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित होऊं और वे स्टैटिस्टिक्स के जानकार लोग जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं अगर मेरा यह भ्रम दूर कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

ऐसा मेरा अनुमान है कि अगर ५० या १०० सब से अमीर आदमी इस प्रदेश के निकाले जायं और उनकी सन् १९४७ में जो दौलत थी उसको देखा जाय और उसके बाद उन्होंने छिपी हुई आमदनी पर बाद में टैक्स दिया और जो खर्च अपने आप किया उन सबके होते हुये भी आज जो उनके पास दौलत है वह देखी जाय तो मेरा ख्याल है और मैंने कुछ इस तरह के लोगों से बातें भी की हैं, जिनके संबंध में विश्वास किया जा सकता है कि उनके आंकड़े सही होंगे, तो मुझे मालूम होता है कि उनकी दौलत बढ़ी है। पिछले दस सालों में सबसे अमीर लोग इस सूबे के ज्यादा अमीर हुये हैं न कि उनकी दौलत में कोई कमी हुई है और उस पर यह भी है कि जितने अमीर से अमीर लोग थे उनको डेढ़-डेढ़ करोड़ तक रुपये दिये गये ताकि वे और ज्यादा अमीर हो जायं और बड़े-बड़े कारखाने खोल लें। उनकी आमदनी पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। इस सदन में या इससे बाहर कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि यह जो अमीर लोग अब कारखाने खोलेंगे इनके डिवीडेंट्स पर कोई रोक होगी और उनकी आमदनी पर कोई रोक होगी, या मजदूरों को कुछ ऐसी सुविधायें मिलेंगी जिससे वे यह समझें कि यह जो दौलत हमारे प्रदेश में पैदा हो रही है इसमें हमारा भी हिस्सा है या जो टैक्सपेयर का रुपया लेकर हम उनको सुविधायें दें, जमीन सस्ती दें, बिजली सस्ती दें, उसके माल को बिकवाने की कोशिश करें और इस तरह के कंट्रोल लगायें कि जिससे कि एक खास कीमत से कम कीमत पर उसकी चीज न बिके, इस तरह से हम कंज्यूमर्स से भी एक हद तक इन्डाइरेक्ट टैक्स ले लें लेकिन उन तमाम सुविधाओं को देते हुये भी यह नहीं कि उन पूंजीपतियों पर कोई ऐसी रोक लगाई गई हो कि जो आमदनी उनकी बढ़ेगी वह एक हद तक बढ़ेगी और उसके आगे नहीं बढ़ेगी। वे अमीर होते जा रहे हैं ऐसा मेरा विश्वास है और दूसरी ओर गरीब से गरीब आदमी को देखा जाय तो उसकी कास्ट आफ लिविंग बढ़ी है। इस कास्ट आफ लिविंग के बढ़ने पर उसकी आमदनी तो ज्यादा बढ़ी नहीं है और एक माने में वह कुछ गरीब ही हुआ है उनकी गुजर ज्यादा मुश्किल हो गई है बनिस्बत उस वक्त के जबकि हम आजाद हुये थे।

इन्कम की बात लीजिये। हम यह सोचते थे कि इन्कम का गैप कम होगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जिस रोज सवा दो या ढाई साल हुये कार्य भार संभाला था उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि समाजवाद के और कोई माने वे जाने या न जाने लेकिन कम से कम इतनी बात वे जानते हैं कि आमदनी में जो अन्तर है वह कम किया जाय। उसके बावजूद भी जैसा इस सदन में पहले भी कहा जा चुका है और आज भी मैं दोहराता हूं कि जिनको सबसे अधिक तनख्वाहें मिलती हैं उनकी तनख्वाहें कुछ मानों में बढ़ गई हैं। जो सेक्रेटरीज यहां रहते थे जिनको सबसे ज्यादा तनख्वाहें मिलती थीं उनके लिये अब एक नया तरीका निकला है कमिश्नर्स बन गये। एक एल० एस०जी० के कमिश्नर साहब हैं जिनको तीन हजार तनख्वाह मिलती है उनका क्या काम है यह मुझे कम से कम अब तक नहीं मालूम है। इसके अलावा लखनऊ में रहने का सचिवों को स्पेशल एलाउन्स मिलता है। वह भत्ता ढाई सौ से तीन सौ कर दिया गया है। और जो सबसे कम तनख्वाह पानेवाले लोग थे उनकी तनख्वाह दो रुपये बढ़ी है। इस संबंध में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कम से कम तनख्वाह मिलती है और जिनकी तनख्वाह में वह दो रुपये भी नहीं बढ़े हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों की तनख्वाहें और बढ़ीं, सुविधायें ज्यादा मिलीं, नैनीताल में मुफ्त मकान भी उनको मिल सकता है, उनको एक बड़ी मोटर भी मिल जाय लेकिन जो गरीब आदमी हैं जिनको २० रुपये मिलते हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके २ रुपये भी नहीं बढ़े हैं। तो अन्तर कम हो रहा है या ज्यादा यह विचारने की बात है। हम कहां जा रहे हैं? क्या हम सोशलिस्ट पैटर्न कहलाने वाले समाज की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं लेकिन सारे समाज और सारे लोगों के विचार करने के लिये एक बात पेश करता हूं कि हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम अच्छी तरह से सोचें, विचार करें और अगर हमारा कदम सही नहीं है तो हम अपनी जगह से हटें, सही रास्ते पर चलें ताकि हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकें।

[श्री मोहनलाल गौतम]

मुझे दिक्कत यह भी नजर आती है कि जहां पूंजीवाद यहां बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है उसके साथ ही साथ एक और खतरा है और वह यह कि विदेशी पूंजी से मिल कर यहां की पूंजी जो गठबंधन कर रही है, उसके हो जाने के कुछ समय बाद उसको हमें नेशनलाइज करने में और दिक्कत होगी। उसको कंट्रोल करने में हमें और दिक्कत होगी। हमारी लड़ाई अगर यहां की पूंजी से ही होती तो ठीक था। यहां की पूंजी इतनी कमजोर नहीं है। यहां का सारा प्रेस उसी के पास है। एलेक्शन के फंड्स उसी के पास हैं। चाहे जिस गलत आदमी को वह बढ़ा सकती है और चाहे किसी अच्छे आदमी को वह पीछे खींच सकती है। आज की दुनिया में प्रोपेगेंडा की बहुत बड़ी शक्ति है और यहां के सारे न्यूज पेपर्स, एक दो को छोड़कर, पूंजीपति ही कंट्रोल करते हैं और अगर ऐसा है तो वह उनके हितों के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। वह एलेक्शन के फंड्स कंट्रोल करते हैं और अगर हम उन से फंड्स लेंगे तो यह कैसे हो सकता है कि हम उनके हितों को को खत्म कर दें। उन से रुपया भी लें और उनके हितों को पूरा भी न करें। वह इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम उनके हितों की रक्षा न करें और उनसे रुपया ले लें। आज भी उनमें शक्ति है और वह काफी मजबूत है। पूंजीवाद आज इस देश में कहीं ज्यादा मजबूत है बनिस्बत उस समय के कि जब हम आजाद हुये थे और इसके साथ जब विदेशी पूंजी मिल जाती है तो ज्यादा मजबूत पूंजीवाद हो जाता है और उसका अन्त करने में हमको कहीं अधिक कठिनाई होगी।

मैं और चीजों पर ज्यादा नहीं कहूंगा। लाल बत्ती हो गई है लेकिन यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है और उसके लिये रेक्रूटमेंट भी ठीक होना चाहिये। उसका एप्वाइंटमेंट भी ठीक हो और उसकी ट्रेनिंग भी ठीक हो। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि जहां तक रेक्रूटमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट से ऐसा कोई रेक्रूटमेंट न किया जाय जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता हो अथवा जिसे करना उसके हाथ में हो। उसको गवर्नमेंट को करना एक गलत चीज है।

एक और चीज, वह यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स अगर दूसरे प्रदेशों से आया करें तो ज्यादा अच्छा है। उनको यहां के, अपने प्रदेश के न होना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि वे अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भरती न कर सकें। एक बात और, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंम्बरों को बिल्कुल पर्दे के अन्दर रहना चाहिये। उनका किसी यूनिवर्सिटी या किसी संस्था से बिल्कुल ताल्लुक न होना चाहिये। मुझे मालूम है कि आज भी एक मेम्बर यहां हैं किसी यूनिवर्सिटी के एलेक्शन के सिलसिले में। अगर वह वाइस चांसलर बन सकते हैं, कमेटियों में आ सकते हैं, एलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं तो उन पर विश्वास होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरी राय यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स और हाई कोर्ट के जजेज किसी यूनिवर्सिटी के मेम्बर न रहें और न किसी और संस्था के सदस्य रहें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के भाषण में जो उन्होंने उपनिवेश की प्रशंसा की है, जो मेरे जिले के सम्बन्ध में है, उसकी कुछ जो रूपरेखा और वास्तविकता बताई है उसके बारे में कुछ बातें आप के सामने कहना चाहता हूं। मेरे जिले बलिया की तहसील निघासन में एक कस्बा है। उसके पश्चिम की तरफ कोई २५ मील लम्बा एरिया है जो गायों का चरःस्थल कहा जाता था और जहां एक खास किस्म की गायें पैदा होती थीं। वहां के बैल बड़े मजबूत होते थे और खैरीगढ़ दिसावर के नाम से मशहूर थे, मगर इस कालोनी ने उनका चौपटाबाद कर दिया। वहां पर २५, ३० मौजों की बस्ती थी जिनकी जमीन छीन-छीन कर यह कालोनी बनाई गई है। वहां पर एक २५ मील लम्बी सड़क बनाई गई है। ६ मील वह सड़क तारकोल की है और बाकी साधारण सी है। एक या दो पुल उसमें हैं। एक लकड़ी का पुल बन रहा है और दो चार छोटे-छोटे पुल हैं। कोई बड़ा पुल वहां नहीं है। इसी प्रकार से उसकी रूप-रेखा है। वहां पर एक सम्पूर्णानन्द—

नगर बीच में बसाया गया है जिसको वहां के काश्तकार अब संकट नगर कहते हैं। वहां पर जो दुर्दशा हुई है उसको मैं सदन के सम्मुख बताना चाहता हूं। वहां के मुख्य गांव मझिरा, सिगाही, खजुरिया, बाजपुर, निरंजनपुर, मुरादखेडा इत्यादि मशहूर करीब ३१ गांव थे। जहां यह सम्पूर्णानगर बसाया गया है वह सिगाही के पड़ोस में है। वहां पर जो पुराने काश्तकार थे उनकी सब जमीनें ले ली गयी हैं और करीब-करीब एक-एक और दो-दो खेत लोगों के पास रह गये हैं। उन लोगों के सब खेत छीन लिये गये हैं। जिन लोगों की जमीन छीनी गयी है मैं उनके नाम भी सदन को बतलाना चाहता हूं। एक गांव में इसी प्रकार से लोगों की जमीन लेकर गिरधारीनगर बसाया गया है। यह मालूम होना चाहिये कि वह जमीन परती नहीं थी। जिस समय लोग पाकिस्तान से आये तो उन्होंने रियासतों को रुपये देकर इन जमीनों को लिया था। वह जमीन किसी ने ४०० एकड़ लिया और किसी ने २०० एकड़ लिया और किसी ने ५० एकड़ लिया। वहां पर पहले गायें चरा करती थीं क्योंकि वह बहुत बड़े चरागाह थे लेकिन अब उन गांवों को समाप्त कर दिया गया है और जो पहले बड़े-बड़े काश्तकार थे उनकी जमीनों को ले लिया गया है और आज उनके पास थोड़ी सी जमीन रह गयी है और जिनके पास रह गयी है वह इस कारण रह गयी है कि सरकार के खैरख्वाह हैं। बस उनके पास ही रह गयी है। बाकी लोगों की जमीन छीन ली गयी है। जो वहां पर मझिरा के पुश्तैनी निवासी थे उनकी जमीन ली गई है और भी कितने ही गांव के लोगों की जमीन ले ली गई है। शिव दयाल, गणेशी, बद्दल, बनवारी, लल्लू, चुन्ना, वल्ला, मोहन, परसादी, चिन्ता, राम भजन, बलके, जुड़ावन, अन्तू और कालिका प्रसाद की जमीन ले ली गयी है। ये करीब ८० काश्तकार हैं जिनकी जमीन छीन ली गई है और जो वहां पर पुश्तैनी आबाद थे।

इसके अलावा परतापनगर में जो पंडिया का नया नाम है वहां पर भी लोगों की जमीन छीनी गई है। जो पटवारी के कागज हैं उनमें उनकी जमीन लिखी हुई है। उनकी जमीन भी छीन ली गई है। कालिका, विमाली, योधा, रामचरन, बल्ला, जुडारी, नन्हू, छेदा आदि की जमीन छीन ली गई है। मझिरा के पूर्व जो सड़क निकाली गयी है वह २५ मील लम्बी है। उस सड़क पर जो जमीन पड़ती है वह एक बड़ा गलियारा था उसका नाम अब सड़क दे दिया गया है। उसको इतना चौड़ा बनाया गया है कि भारतवर्ष में सम्भवतः इतनी चौड़ी और सड़क न होगी। वहां पर काश्तकारों की जमीन छीन ली गई है लेकिन उनको नोटिस भी नहीं दिया गया है। जो शिकमी काश्तकार थे और जिनको अधिवासी बनाया गया था उन सब की जमीन जबरदस्ती छीन ली गई है। अब वे किस तरह से अधिवासी रह गये हैं ---यह श्रीमान् मंत्री जी व श्रीमती सरकार आलिया से पूछा जाय। किसी दूसरे की जमीन वहां पर लोग लेने को तैयार नहीं हुये। इस तरह से इस हमारी श्रीमती सरकार आलिया ने वहां पर किया है। मझिरा के पूर्व तमाम लोगों की जमीन छीन ली है और किसी को नोटिस नहीं दिया गया है.....।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---यह श्रीमान् और श्रीमती का शब्द जो इस्तेमाल माननीय सदस्य कर रहे हैं यह कौन से हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं श्रीमती शब्द तो सरकार के लिये प्रयोग करता हूं क्योंकि सरकार शब्द स्त्रीलिंग है और श्रीमान् मन्त्री के लिये।

जिनकी सरकार ने जमीन छीनी है उनके नाम रामस्वरूप, छोटे लाल, मथुराप्रसाद, रम्मू, बिहारी, पूरण और गोविन्द आदि हैं जो २७ आदमी हैं। इन सबकी जमीन छीन ली गई है। वहां पर मुरादखेरा नाम का एक गांव था जो पानी लगने से उजड़ गया था। उसका नाम अब गिरधारीनगर कर दिया गया है। वहां पर सरदार लोगों ने पाकिस्तान से आकर अपने-अपने घर बनाये थे और वह वहां बस गये थे। कहीं-कहीं पर अपनी मंडैया बना कर रहते हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन से मोह है। उन्होंने नजराना देकर पट्टा करवाया था। उसको भी सरकार ने जबरदस्ती छीन लिया है। आत्मा सिंह के पास २०० एकड़ जमीन थी, बूड़ा

[श्री बंशीधर शुक्ल]

सिंह के पास १६० एकड़ थी। इसी तरह से बहुत से लोगों के पास बहुत जमीन थी। वहां पर सुरथबहादुर शाह जी की भी जमीन थी जिसको काश्तकारों ने लिया था। उन सबको सरकार ने ले लिया है और जो खैरख्वाह थे जैसे साधौसिंह जिनकी ४ हजार एकड़ जमीन है जो छीनी नहीं गई है मगर है बीच उपनिवेश में। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से वहां के काश्तकारों की जमीन छीनी गई। सरकार आत्मासिंह से २०० एकड़, बाबूसिंह से ४० एकड़, बूड़ासिंह से ४०, जरनैलसिंह से १०, बख्शीश सिंह से १२, हरनाम सिंह से २५ एकड़ छीनी गई जिसके २ छोटे बच्चे अब हैं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अधिक नाम पढ़ने से गुरेज करें।

श्री बंशीधर शुक्ल---इस प्रकार २,२०० एकड़ जमीन मुरादनगर के खेड़े में सरदार लोगों से छीनी गई। उन्होंने अर्जी भी दी और अदालत में भी दौड़े मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगान के लिये उनकी कुर्की भी होती है। यह सभी कठिनाइयां उनके सामने हैं। उन लोगों को बहुत दबाया गया है। मगर यह न किया जाकर वहां एक गन्ने की मिल बनवा दी जाती तो बहुत सुभीता हो जाता। यह सरकार आलिया की बड़ी कृपा होती। जिन लोगों के पास गायें थीं वे ऐसी थीं कि उनसे दूध नहीं लिया जा सकता था, केवल बछड़े लिये जा सकते थे उनको आधा फसाई में देकर पकड़ा जा सकता था। उन गायों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और वे नदियों के किनारे खड़ी-खड़ी सड़ गईं। मझरा के उत्तर की तरफ सरकार आलिया की ओर से रास्ता जोतवाया गया है जिससे गायों का निकलना बन्द हो गया है और १० रुपया फी गाय लेकर सरकार आलिया के अफ़सर सम्पूर्णानन्द नगर में गायों को निकलने देते हैं। यह उन पर दण्ड पड़ता है। तो भाई, इस अन्याय को रोकिये। वहां पर जो कालोनी बनाई गई है वह बन्द कर दी जाय और जमीनें उन लोगों को दे दी जायं जिनको देनी चाहिये थी, तो अधिक अच्छा हो। जंगल की लकड़ी हमारे जिले में किसी को नहीं मिलती है। जंगल के किनारे रहने वाले लोग अगर चाहें कि वे पत्ता ले लें तो उसका भी उनसे पैसा लिया जाता है। तो जहां आपने प्रदेश की तरक्की की वहां हमारे जिले की क्यों इतनी बर्बादी की गई है? क्या इसलिये की गई है कि वहां के लोग बोलते नहीं?

माननीय श्री स्पीकर जी, मैं आज पहले पहल बोलता हूं। यदि अनजाने कायदे कानून की कोई ग़लती हो जाय तो मुझे क्षमा करेंगे।

कहना यह है कि इसी प्रकार से और भी हमारे जिले में बहुत सी बातें हैं। मैं उन सबका उल्लेख तो इसलिये नहीं कर सकता हूं कि समय बहुत ही कम है।

श्री अधिष्ठाता---आप का समय समाप्त हुआ।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---आदरणीय अध्यक्ष, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़ी आशा और उमंग के साथ सुना और पढ़ा। ठीक इसी प्रकार से जो विरोधी दल के और उधर से स्पीचेज हुई हैं उनको भी मैंने सुना। उनसे मैंने कुछ जानने की कोशिश भी की। इन भाषणों को सरसरी तौर पर सुनने के बाद ४ बातें उभरती हुई मालूम हुईं। यह है कि मामूली तौर पर अभिभाषण से लोगों में जितना उत्साह और उमंग होना चाहिये थीं वह नहीं हुई। उसके कोई भी कारण हों, कारण हैं भी, मगर मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता। यह बहस अगर ट्रैडिशन और पालिसी स्टेटमेन्ट के बीच की समझी जाय, यानी जैसे कुछ सदस्यों का खयाल है कि राज्यपाल से यह आशा थी कि वह एक पालिसी स्टेटमेंट करेंगे, एक ऊंची आशा बंध गई थी और उसके अनुकूल बात नहीं हुई, इस लिये निराशा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का होना भी जरूरी था। इसी तरीके से मैं यह भी समझता हूं कि हो सकता है कि राज्यपाल महोदय सिर्फ थोड़ी सी ही बातों को चर्चा करते हों लेकिन फिर भी ट्रेडिशन को मानना चाहिये और इनकलाब के जमाने में, खाकसार सन ५७ में जबकि लोगों की आशायें ज्यादा बढ़ गई है ट्रेडिशन से अगर हम आगे बढ़ सकें तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। मेरा खयाल है कि अगर राज्यपाल चाहते भी तो वह इस मौके पर पालिसी स्टेटमेन्ट नहीं कर सकते थे। वह तो सरकार की एक बहुत समझी बूझी बात होती है। अपोजीशन के लीडर ने कहा कि वह प्रोग्राम जो चुनाव के जमाने में बनाया गया था उसे दोहराया जा सकता था। मैं समझता हूं कि महज किसी राजनैतिक पार्टी का प्रोग्राम दोहराना यहां उसकी पालिसी का स्टेटमेन्ट नहीं हो सकता है। पालिसी स्टेटमेन्ट के जरिये, सरकार क्या करना चाहती है, जीवन के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, इसे ब्ल्यू प्रिन्ट के रूप में देखना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि शायद पालिसी स्टेटमेंट व्यवहारिक दिक्कतों के कारण नहीं आ पाई है।

दूसरी बात जो निकली उसे जान कर मुझे बड़ी खुशी हुई। सदन के सभी सदस्य इस पर एक मत हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न बड़ी अच्छी चीज है। बहस इस पर नहीं हुई कि सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं होना चाहिये या उससे अच्छा बेसिस हो सकता था। बहस इस बात पर हुई कि सोशलिस्टिक समाज के अन्दर जा खूबियां हैं वे देखने को नहीं मिल रही हैं। उसके प्रतिकूल चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिये अपोजीशन की ओर से यह कहा गया कि सोशलिज्म के गुण जो हैं, यानी समाज में सुरक्षा होना, लोगों के लिये रोजगार होना, चीजों की इफरात होना, उनकी तक्सीम का ठीक तरीका होना, यह नहीं हो रहा है। तो उनको शक है कि सोशलिज्म की बात उसे लाने के लिये की गई है या खिलवाड़ करने के लिये। इसी सदन में जनसंघ के लीडर ने भी सोशलिज्म की सराहना की। मगर उन्होंने चर्चा सिर्फ यह की कि पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा, हिन्दू, हिन्दी और अखण्ड भारत की भाषा नहीं थी। उन्होंने समता और अन्याय का जिक्र किया और इसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। यह बड़ी तबदीली है उनकी पालिसी में। मैं समझता हूं कि सदन की अच्छी आबहवा का उन पर असर पड़ा है। मैं भी सोशलिज्म का किसी से कम हामी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि समाज में असमानता, भूख, गरीबी हैं। प्रश्न यह है कि इनको कैसे दूर किया जाय। जिन मुल्कों के पास साधन थे, वहां टोटैलिटैरियन सिस्टम होते हुये भी समाज को सोशलिज्म की ओर ले जाने में २५, ३० वर्ष मामूली तौर से लगते हैं। सोवियट रूस ने भी २५, ३० साल के बाद कहा था कि वह सोशलिज्म को कनसालिडेट कर पाये हैं। चाइना के लोग आज भी कहते हैं कि हमारी उसमें कहीं अधिक श्रद्धा होते हुये भी कम से कम २५, ३० साल लगेंगे। महज कांग्रेस पार्टी या कोई उसकी हुकूमत सोशलिज्म नहीं ला सकती है इतनी जल्दी जितनी कि लोग चाहते हैं। सोशलिज्म को लाने के लिये जिस शुरू की तैयारी की आवश्यकता होती है वह अभी पूरी नहीं हो पाई है। सोशलिज्म के लिये दो सोशलिस्टिक विचारधाराओं की बड़ी जरूरत है। लोगों का सोशलिस्ट सिद्धान्त के दर्शन में विश्वास होना जरूरी है। आज सोशलिज्म तो क्या हमारे देश में पेट्रियोटिज्म की आबहवा भी नहीं है पेट्रियोटिज्म का भी विचार नहीं है। हमारे यहां जातीय तंगदिली, और फ़िर्कापरस्ती का बोलबाला है। विचारों की दुनिया में हम काफी पीछे हैं। सोशलिज्म के लिये शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना होता है, शासन के ढांचे को बदलना पड़ता है, न्याय के ढांचे को बदलना पड़ता है, पार्टी एक्टिविटीज के अन्दर सारा श्रम देना पड़ता है, समाज की शासन व्यवस्था के अन्दर उसकी जड़ें जनता को कायम करनी होती हैं। ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिये टोटल एफर्ट की जरूरत है, एक संयुक्त प्रयत्न की जरूरत है। सोशलिज्म महज एक पार्टी के जरिये नहीं आ सकता है। सोशलिज्म के लिये सारे समाज के टोटल मोबिलाइजेशन की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि सोशलिज्म के नाम पर चलने की आज जो बातें हो रही हैं वह स्वाभाविक हैं।

[श्री गोविन्द सहाय]

आज हमारे समाज में अगर करप्शन है, बेकारी है, अगर पैदावार बढ़ते हुये भी क्रयशक्ति गिर रही है तो ये ऐसे वाकयात हैं जिन्हें महज़ यह सरकार हल नहीं कर सकती है। करप्शन को दूर करने के लिये हमको वाकयात पर भी गौर करना होगा। मुझे इस सदन की स्पीचें सुनने का मौक़ा मिला और मुझे खुशी है कि चन्द दोस्तों ने मशविरा दिया कि अनइम्प्लायमेंट को किस तरह से दूर किया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जगह ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह के उपदेश दिये जायं। हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये लेकिन आज समाज की हालत यह है कि जब कोई शादी की जाती है तो पूछा जाता है कि आमदनी, तनख्वाह कितनी है, ऊपर की आमदनी कितनी है। इस तरह से हमारे समाज के अन्दर काफी भ्रष्टाचार होता है। मुझे अफसोस है कि हमारे शासन का का ढांचा, हमारी शिक्षा की प्रणाली, सारी की सारी भ्रष्टाचार की तरफ ही ले जा रही है। मुझे खुशी है कि सदन के लोगों को इस बात का एहसास है और मुझे इस बात का गर्व है और सोशलिज्म महज सरकार की ही बात नहीं है। यह कोई इज्जत की बात नहीं है, उनकी नीयत पर शक हो सकता है इसलिये जरूरी है कि उन दोनों चीजों की तरफ कदम उठाया जाय। लेकिन इसके लिये किसी को दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि जो सरकार बनी है वह कानूनी तरीके से बनी है और उसे कुछ मौका मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि अगली दफा जब हमें गवर्नर महोदय का भाषण सुनने को मिलेगा तो उसमें वे कह सकेंगे कि यह सरकार बेकारी को दूर करने के लिये, अच्छी शिक्षा देने के लिये यह कार्य करने जा रही है।

मुझे खुशी है कि एक महकमा सोशल सिक्योरिटी के नाम से खुला है। मुझे मालूम नहीं कि उसके अन्दर किस चीज़ की सिक्योरिटी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके जरिये सोशल सिक्योरिटी का काम होगा। जो जनता के अन्दर अनइम्प्लायमेंट है उसकी सिक्योरिटी, बेरोजगारी के खिलाफ सिक्योरिटी होगी। मुझे आशा है कि सरकार ने जो महकमा खोला है अपने नाम के मुताबिक ही वह काम भी करेगा और इस तरह से सोशलिज्म की तरफ जानने में हमको मदद मिलेगी।

अब रही पंचवर्षीय योजना की बात। इस सम्बन्ध में दो रायें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पंचवर्षीय योजना में तरक्की हुई है, काफी तरक्की हुई है। इसके बरअक्स कुछ दोस्तों का ख्याल है कि इसके विपरीत हुआ। यह बहुत जबरदस्त ख़याल है और इन दोनों ख़यालों को साबित करने के लिये आंकड़े का सहारा लेना होगा। लेकिन आंकड़े हैं कहां सही? एक बात जानकर मुझे खुशी हुई कि माननीय राजनारायण जी की सरकार के कुछ आंकड़ों पर आस्था है यानी उनको सरकार के हर आंकड़े पर यकीन नहीं है लेकिन ऐसे आंकड़े जो उनके अनुकूल हों उनको वे ठीक समझते हैं। जहां तक मैं समझता हूं आंकड़ों के बहस में मैं नहीं जाऊंगा। सही बात यह है कि इस देश में कोई आंकड़ा है ही नहीं और अगर है तो वह सत्य नहीं है। जनता उन आंकड़ों के प्रतिकूल है। अगर आप अपने यहां के किसान से पूछें कि कितना अनाज पैदा हुआ तो वह ठीक से नहीं बतायेगा। यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। सही और ठीक आंकड़े तो उसी देश में इकट्ठा हो सकते हैं जहां की जनता प्लानिंग माइन्डेड हो चुकी हो और डेटा माइन्डेड जनता जहां की हो लेकिन यहां अभी ऐसा नहीं है। हम तो अभी एक साधारण से माप दंड से ही अपने यहां की दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं कि आया लोगों के बदन में कपड़ा है या नहीं, लोगों के मकान और उनकी हालत में तरक्की हुई है या नहीं, जो सामान वह बाजार से खरीदते हैं वह कौन सा सामान है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह ठीक है कि इन वर्षों में कुछ भौतिक तरक्की अवश्य हुई है। आज हमारे गांवों में तेल, साबुन छतरी और साइकिल आदि की खरीदारी पहले से बढ़ी है। कुछ पश्चिमी जिलों में मकानात भी पहले से पक्के और अच्छे नजर आते हैं। इस तरह की भौतिक तरक्की तो हमारी निगाह में जरूर हुई है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिनमें अवगति हुई है, इन्सान का नफ्स गिरा है, ह्यूमेन टर्म में चीजों को नापने की ओर ज्यादा इन्सान बढ़ा है और मैं

कह सकता हूं कि पिछले ६–७ साल में आदमी का लोहा या आयरन खत्म हुआ है। प्रेम, मान्यता, सहृदयता आदि खूबियों में कमी आई है और उसके स्थान पर झगड़े, स्वार्थ, द्वेष में बढ़ती हुई है। जो कुछ उन्नति हुई है वह भौतिक उन्नति तो जरूर हुई है, जिन्दगी के कुछ शब्दों में जरूर तरक्की हुई है लेकिन कुछ में नहीं हुई है। मेरा ऐसा खयाल है कि एक सोशलिस्टिक सोसाइटी में केवल उत्पादन और वितरण का ही प्रबन्ध नहीं होता बल्कि वह सोशलिस्टिक सोसाइटी ऐसे आदमी पैदा करती है, उसमें ऐसे आदमी पैदा होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र को विकसित करते हैं, उसमें जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, नैतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जितने भी जीवन के छोटे बड़े क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में उन्नति होती है और विकास होता है। यह ठीक है कि हमारा समाज अब विकास की ओर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे हालांकि लाल रंग से कोई खतरा नहीं है लेकिन फिर भी आप की इस लाल बत्ती ने मेरे सोचने के ढंग को कुछ डिसटर्ब जरूर किया है।

हमारा देश आजकल एक नये दौर में चल रहा है और यहां के करोड़ों इन्सान एक नई आशा एक नई उमंग के साथ नये समाज को बनाने में आगे बढ़ रहे हैं, पुराने आर्थिक बन्धन और रूढ़ियां टूट रही हैं। यह वह जमाना है कि इन्सान किसी भी तरफ जा सधता है, अगर ऐसे वक्त में कोई खींचातानी, नफरत और तंगदिली की आबोहवा पैदा की गई तो बहुत डर है कि देश गलत दिशा में चला जाय। हम ने जर्मनी में देखा कि जर्मनी के लोग अलग अलग विचारधारा लेकर चले और आपस में लड़ने के बाद फेसिज्म की ओर चले गये और वहां उसी डिक्टेटरशिप के साये में हिटलर पैदा हुआ। हमें यहां भी इस चीज़ से होशियार रहना है कि यहां भी ऐसा न हो कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के जैसा तनाव में एक दूसरे को बुरा भला कह कर यहां ऐसी आबोहवा पैदा न हो कि यहां सोशलिज्म की नई धारायें और झगड़े पैदा हों और नेशनल सोशलिज्म के स्थान पर फेसिज्म आ जाय। अन्त में आप ने जो मुझे इस गवर्नर महोदय के सम्बोधन पर बोलने का मौक़ा दिया है उस के लिये मैं आप की धन्यवाद देता हूं।

*श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)––अधिष्ठाता महोदय, मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। इस विषय पर बोलने के पूर्व जो कुछ नुक्ताचीनी विरोधी सदस्यों की ओर से हुई है उस पर कहने की आप से आज्ञा चाहता हूं। सब से बड़ा आक्षेप जो हमारे दोस्तों की ओर से किया गया है वह यह है कि अभिभाषण में आगे क्या होने वाला है इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं आपके द्वारा उन से प्रार्थना करूंगा कि वह जरा अभिभाषण को पढ़ें और उसमें देखें। अगर उन का मतलब ब्राड़ पालिसी से है कि कोई ब्राड पालिसी नहीं बताई गई है तो वह सफ़ा १८ में देखें तो उसमें है कि "फिर भी भविष्य में मेरी सरकार की आकांक्षा दूसरे पंचवर्षीय योजना को विशेष रूप से कार्यान्वित करने की है।" इसी पेज पर आखिर में फिर कहा है कि "मेरी सरकार एवं भारत का लक्ष्य क्रमिक किन्तु स्थिर रूप से प्रगतिशील समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है।" अगर उनका मतलब डिटेल्ड पालिसी से है तो वह भी इसमें जगह-जगह पर मिल सकता है। सफ़ा ४ पर देखें तो उस पर है कि "और मेरी सरकार ने इसकी सफलता से प्रोत्साहित हो कर दूसरे पंच वर्षीय आयोजन के अधीन पीलीभीत जिले में लगभग दस हजार एकड़ भूमि के पुनरुद्धार की वैसी ही योजना प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया है। "१९४८ में शुरू किये गये 'अधिक जूट उपजाओ' आन्दोलन को द्वितीय पंच वर्षीय आयोजन की अवधि में और अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव है।" सफा पांच पर "सहकारिता के आधार पर नयी चीनी मिलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है....। मेरी सरकार ने कृषि-ऋण (सहायता एवं प्रतिभूति) निधि तथा सहकारी विकास निधि स्थापित करने का निश्चय किया है"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजभूषण शरण]

ऐसी बहुत सी बातें अगर गौर से इसमें पढ़ा जाय तो डिटेल्स की भी हैं। अलबत्ता अभिभाषण में इस तरह की कोई बात नहीं है कि फलां-फलां कानून फलां-फलां तारीखों में या फलां-फलां महीनों में पास किये जायेंगे। इसकी एक वजह राज्यपाल महोदय ने बताई और वह यह कि सरकार बहुत नयी-नयी बनी है। अभी इस किस्म का कोई प्रोग्राम बनाया नहीं जा सका।

दूसरी नुक्ताचीनी जो माननीय सदस्य हमारे सामने बैठे हुये हैं उनकी तरफ से हुई है वह यह है कि शासन का खर्चा बढ़ाया जा रहा है। पहले तीन एडवाइजर्स से हुकूमत चलायी जाती थी और अब ३०, ३३ मिनिस्टर्स हो गये हैं और एक-एक मिनिस्टर पर छः छः हजार रुपया माहवार खर्च होता है। यह बात सही है कि मिनिस्टरों की तादाद बढ़ी है। बहरहाल एडवाइजर्स से ज्यादा है। पहले से खर्चा भी ज्यादा होता है। मगर इस किस्म का शासन हमने खुद पसन्द किया है। हम डेमोक्रेसी की तरफ चले हैं। डेमोक्रेसी हमने अपने आप खुद छांटी है। इसके बजाय अगर डेस्पाटिज्म की तरफ चल पड़ते तो किसी मंत्री या एडवाइजर की जरूरत नहीं होती बल्कि एक डैस्पाट होगा और वह अपनी पुलिस के जरिये सब इंतजाम कर सकता था और मैं समझता हूं कि यह जो हमारी इस समय दिन पर दिन तरक्की के काम हो रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो सन् ४२,४३, ४४,४५,४६ तक कितनी आप की आमदनी थी और कितना आप का खर्च था उसके हिसाब से भी अगर आंकड़े रखें और आज कितनी आमदनी और कितना खर्चा है कितना बजट आपका है, उस हिसाब से देखा जाय तो कुछ नामुनासिब व्यवस्था नहीं है। जहां तक इस फिगर का सवाल है कि तीन एडवाइजर्स ३,७०० रुपया फी एडवाइजर माहवार पर काम करते थे और एक एक मिनिस्टर पर ६,००० रुपया माहवार खर्च होता है। तो अगर फीगर्स से किसी चीज का इंडीकेशन होता है तो आप देखेंगे कि उस वक्त के ३,७०० में और इस वक्त के ६,००० में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और शायद ६,००० होते भी नहीं।

हमारे एक साथी ने चरित्र निर्माण की बात कही और कहा कि खाना रोटी मिले या न मिले परन्तु चरित्र निर्माण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। चरित्र ठीक हो जायगा तो रोटी कपड़े का स्वयं इंतजाम हो जायगा। मैं समझता हूं कि मुझे उनसे सहमत होने में मुश्किल पड़ेगी क्योंकि गरीब और भूखे आदमी का चरित्र होता ही क्या है। आपने सुना होगा "बुभुक्षितम् किं न करोति पापं।" भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसलिए चरित्र की बात करना जब तक हमारे पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और रोजगार नही हैं, बड़ा मुश्किल होगा।

राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसमें मुझे भी यह महसूस होता है कि उसमें यदि हरिजन उद्धार की तरफ कुछ इशारा किया होता तो अच्छा होता। उसका जिक्र बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल महोदय ने खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ने का जिक्र किया है और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने उसकी वजह बतायी है अनावृष्टि, अतिवृष्टि और बाढ़। मैं समझता हूं यदि बहुत गलत न हो तो उसकी एक वजह शायद सेल्स टैक्स भी है। अगर आप फीगर्स देखेंगे तो जिस वक्त से सेल्स टैक्स लगा उस वक्त से भाव बढ़ते गये। भाव कम नहीं हुए। सेल्स टैक्स से सरकार को कितनी आमदनी की उम्मीद थी, खाद्यान्नों पर लगाने से और क्या आमदनी हुई यह भी एक देखने की बात है। अच्छा होता यदि अन्न पर सेल्स टैक्स न लगता। मगर बाद में फिर मुक्ति कर, जिसका माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जिक्र किया था, में परिवर्तन कर दिया गया। उसके बारे में भी मुझे खेद है कि इक्जेम्पशन फी लगायी जाने के बाद कई ईमानदार दूकानदारों को जिन्होंने पहले अपनी सरकार का कानून मानते हुए सेल्स टैक्स अदा किया नुक्सान उठाना पड़ा। उनका वह रुपया अभी तक रिफंड नहीं हुआ और जिन लोगों ने कानून की परवाह न करते हुए सेल्स टैक्स का रुपया नहीं दिया उनका पीछा सिर्फ इक्जेम्पशन फी देने से छूट गया। यह कोई न्याय संगत बात नहीं है।

खाद्यान्नों की कमी में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का भी जिक्र किया गया है। अफसोस है कि सस्ते गल्ले की दूकानों से सरकार जितना फायदा चाहती थी जनता को मिले, उतना उसके वितरण के ढंग की वजह से न मिल सका और उसका कारण यह था कि कोई तरीका बनता नहीं था, दूकानदार लोग खरीद लेते थे और जनता को ठीक से नहीं मिल पाता था। जनता को उतनी ही तकलीफ हुई जितनी कि बगैर दूकान के होती। अच्छा हो यदि उसके वितरण का कोई और तरीका निकाल लिया जाय। उन दूकानों के सिलसिले में एक बात और याद आ गई। शुरू में सेल्स टैक्स लेने की उनको इजाजत नहीं थी। बाद में उनको भी इजाजत मिल गई कि सेल्स टैक्स ले लें। मगर उनसे उस जमाने का सेल्स टैक्स मांगा जाना, जब उन्होंने ग्राहकों से नहीं लिया, न्याय संगत प्रतीत नहीं होता।

सीमेंट और लोहे के वितरण का भी जिक्र अभिभाषण में है। सीमेंट मामूली मरम्मतों के लिये भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हो यदि इसकी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि मामूली मरम्मत के लिये थोड़ा सीमेंट आसानी से मिल सके।

चार नई शुगर फैक्ट्रीज कोआपरेटिव बेसिस पर खोलने का भी जिक्र है। इस सिलसिले में भी सरकार से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जिले, देहरादून में, आज तक, जब से आप फीगर्स ले लें, कभी काश्तकारों को गन्ने की पूरी कीमत नहीं मिली। उसका कारण डोईवाला की मिल है। अच्छा हो यदि सरकार इन चार मिलों को लगाते समय देहरादून की तरफ भी ख्याल करे।

पहाड़ में ऊन के उद्योग को बढ़ाने का जिक्र आया है। इसी योजना के अन्तर्गत चकराता में वूल सेंटर खोला गया, परन्तु जितनी तरक्की की आशा थी उतनी नहीं हुई। सरकार इस तरफ तवज्जह दे।

इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में इस किस्म की बात सामने आयी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री हमको नहीं दी। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमको नहीं मिली।

श्री अधिष्ठाता---अब आप लंच के बाद बोलें। आपका ५ मिनट का समय अभी बाकी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजभूषणशरण---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि औद्योगीकरण के सिलसिले में यह कहा गया है कि हमको कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं मिली तो तो उनके लिये जरूरी है कि हमारे पास इतनी बिजली, पावर भी तो होनी चाहिये। हमारे सूबे में पावर की बहुत कमी है और पश्चिमी इलाके में तो खास तौर से और रेट भी इतना ज्यादा है कि उससे इंडस्ट्रिलाइजेशन होना मुश्किल है। आपको मालूम ही होगा कि आपके गाजियाबाद की बहुत सी फैक्ट्रियां उठकर जमुनानगर चली गईं महज इसलिये कि या तो बिजली नहीं थी या थी तो बहुत मंहगी। पिछले कई वर्ष हुये जब कि देहरादून में जमुना स्कीम शुरू की गई थी, लाखों रुपया खर्च करने के बाद जमुना स्कीम बन्द कर गई। हर्ष की बात है कि अब फिर जमुना स्कीम शुरू हो गई है। मैं सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जमुना स्कीम पर काम जोरों से लगाया जाय ताकि जल्दी से जल्दी बिजली के रेट की और बिजली की कमी की समस्या पश्चिमी जिलों में हल हो सके।

अभिभाषण में कुछ खनिज पदार्थों के पाये जाने का भी जिक्र है। सिलसिले में सिर्फ इस उनका पाया जाना ही काफी नहीं होगा, उनके उत्पादन और इस्तेमाल की तरफ भी कुछ संकेत किया जाना चाहिये था ताकि प्रदेश की बेकारी को दूर किया जा सकता और

[श्री ब्रजभूषणशरण]

राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ सकती। देहरादून जिले में सीसे का होना बताया जाता है। अगर उसकी तरफ सरकार कुछ जल्दी ध्यान दे और उसके उत्पादन का कुछ इन्तजाम करे तो वहां की बेकारी की समस्या कुछ हल हो सकेगी।

मुझे इस बात को अभिभाषण में सुनकर चिन्ता हुई कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन का काम खत्म हो चुका। हमारे शरणार्थी भाई जो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से यहां हमारे प्रदेश में आये थे वह लोग अपने पैरों खड़े नहीं हो सके हैं। और जगह का तो मुझे ज्ञान नहीं लेकिन देहरादून में रिफ्यूजीज की तादाद बहुत ज्यादा है और मैं देखता हूं कि उनके अन्दर बेकारी बहुत ज्यादा है। एक प्रेमनगर नाम की जगह है जहां चार पांच हजार परिवार रहते हैं। वहां कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आज ही मेरे पास अभी लंच टाइम के अन्दर एक चिट्ठी वहां से आयी है जिसमें लिखा है कि अभी पिछले दिनों जो ओला पड़ा था उसमें उनकी तमाम बैरकस की छतें टूट गई हैं और उनके मवेशियों को चारे की बड़ी दिक्कत है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पश्चिमी देहरादून में यह सब चीजें हैं वहां प्रेमनगर के लिये भी कुछ व्यवस्था की जाय। प्रेमनगर के सिलसिले में जिक्र करते हुये मैं एक बात और कहता हूं कि हस्तिनापुर वगैरह की रिफ्यूजी कालोनीज में इंडस्ट्री लगाने का जिक्र तो अभिभाषण में है, परन्तु प्रेमनगर में जहां इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजी रहते हैं वहां इंडस्ट्री लगाने का विचार नहीं है। अच्छा होता कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देती। वहां पीने के पानी के सिलसिले में और सिंचाई का जिक्र अभिभाषण में है। देहरादून में जगह जगह पर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। प्रेमनगर कालोनी में कुछ क्या बिलकुल पानी है ही नहीं। तो मैं सरकार को तवज्जेह दिलाऊंगा कि ट्यूबवेल्स की स्कीम देहरादून में भी लागू की जाय। वहां कुआं आसानी से नहीं लगता है, वहां रामपुर में एक प्रयोग किया भी था लेकिन थोड़ा खोदकर छोड़ दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि डाइमंड ड्रिलिंग के जरिये से वहां अच्छे ट्यूबवेल लगाने की कोशिश की जाय तो जरूर कामयाबी होगी।

समाज सुधार के सिलसिले में भी कुछ जिक्र अभिभाषण में आया है। पहाड़ के इलाकों में कोढ़ियों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके लिये कोई विश्राम गृह या जो कुछ भी कहिये, लेप्रेसी इसाइलम से मेरा मतलब है, उसकी व्यवस्था तथा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये। देहरादून में कोढ़ की समस्या खासतौर से बहुत ज्यादा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे।

चिकित्सा का जो जिक्र अभिभाषण में आया है उसमें मेरा सुझाव है कि (लाल बत्ती जलने पर) मैं एक दो मिनट का समय और चाहूंगा .....।

श्री अधिष्ठाता---आपका डेढ़ मिनट अभी है।

श्री ब्रजभूषण शरण---चिकित्सा के संबंध में मैं कहूंगा कि बड़े बड़े अस्पताल बनाने पर रुपया खर्च करने के बजाय दवाइयों पर ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये, उस तरफ ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिये, क्योंकि अस्पताल में दवाइयों की बहुत कमी है, दवाइयां नहीं हैं।

ऐंटी-करप्शन की तरफ भी सरकार का ध्यान गया। इसके संबंध में सिर्फ एक नया डिपार्टमेंट खोल देने से ऐंटी-करप्शन नहीं हो सकेगा। इसकी तरफ और एफिश्येंसी की तरफ और ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिये।

पुराने दीवानी के मुकद्दमों के सिलसिले में कुछ नयी अदालतें खोली गई हैं। यह बहुत अच्छा हुआ। जिस रेट पर कोर्ट फीस हमारे सूबे में ली जाती है तो न्याय देर से देना यह शोभनीय नहीं मालूम होता।

एजूकेशन की बाबत जो जिक्र है उसमें मैं संक्षेप में यह सुझाव दूंगा कि मास्टरों की जो तनख्वाह है वह बहुत डिसग्रेसफुल है। चपरासियों की तनख्वाह के बराबर मास्टरों की तनख्वाह है। चपरासियों के स्तर पर उनकी तनख्वाह रख कर शिक्षा के स्तर की ऊंचाई की उम्मीद की जाय यह नहीं हो सकता। इसकी तरफ सरकार कृपा कर ध्यान दे।

प्लानिंग में सवा ६ करोड़ रुपया खर्च करने का जिक्र अभिभाषण में आया है। यह बड़ी खुशी की बात है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, परन्तु साथ-साथ यह भी सुझाव देता हूं कि प्लानिंग का रुपया फरवरी और मार्च के महीनों में न खर्च किया जाया करे परन्तु पहले से बराबर डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिये, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि फरवरी और मार्च में अन्धाधुन्ध खरीदारी होती है और सरकारी रुपये का दुरुपयोग होता है। इन सुझावों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं नवनिर्वाचित सम्मानित सदस्यों को एक सूचना दे देना चाहता हूं। लाल बत्ती जलने पर वे सोचते हैं कि जलते ही उनको बैठ जाना चाहिए। दो मिनट पहले भाषणकर्त्ता को सूचना दे दी जाय इसके लिये लाल बत्ती जलती है और लाल बत्ती जलने के बाद दो मिनट तक उनको बोलने का अवसर रहता है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के संबंध में लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं समर्थ नहीं हो सकूंगा। इसका कारण हमारे दल के नेता माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे ने अपने संशोधन में पहले ही पेश कर दिया है और जिसे सदन सुन चुका है। जहां तक माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का संबंध है हमारे इस सदन के नेता से, जहां तक उनके व्यक्तिगत चरित्र, उनकी विद्वता और उनकी योग्यता से है वहां तक मैं उनका समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे एक योग्य राजनीतिज्ञ हैं। एक सभ्य व्यक्ति और एक बड़े योग्य विद्वान वे हैं लेकिन जहां तक हमारे मंत्रिमंडल या सरकार की रीति अथवा नीति का संबंध है उससे मैं बाअदब मतभेद रखता हूं और मुझे दुख है कि इस इतने लम्बे चौड़े सम्बोधन में केवल पिछले गड़े मुर्दों को खोदा गया लेकिन भविष्य की कोई भी रूपरेखा इसमें नहीं दिखाई गई। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी दूर से इस सदन में माननीय सदस्यगण क्योंकर यहां बुलाये गये जबकि उनके सामने, सरकार क्या करेगी और सरकार क्या करने जा रही है, इसका कोई तजकिरा या रूपरेखा की झलक नहीं दिखाई गई है। यह जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा था सदन के और माननीय सदस्यों और सरकार के धन और वक्त का दुरुपयोग है।

इससे पहले कि माननीय राज्यपाल महोदय के व्याख्यान के अन्य अंशों को लूं, मैं सरकारी पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनकी ओर भी कुछ इशारा करता चलूं। यह हर्ष की बात है कि आज हमारा पक्ष जो बातें इस तरफ से कहता है सरकारी पक्ष के लोग उसके कई नुमाइन्दे भी जो दूसरी तरफ बैठे हुये हैं उनका समर्थन करते हैं। फर्क इतना है कि वह प्रस्ताव का समर्थन भर कर सकते हैं और उसका विरोध रस्म की अदायगी की वजह से नहीं करते लेकिन बातें वे सारी विरोधी पक्ष की ही कहते हैं। इससे साबित होता है कि हमारा पक्ष प्रबल और मजबूत है। इससे सिद्ध होता है कि आज दूसरी तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों में आपस में इस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का जो एक ढोल पीटा जा रहा है उसके संबंध में मतभेद है और उसमें बहुत बड़ा बहुमत आज हमारे पक्ष में सोचता है जैसा कि यहां कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषणों में अपनी-अपनी तक़रीरों में सदन के सामने एक के बाद एक बात रख कर सिद्ध किया और हमारी तकरीरों को उन्होंने इस प्रकार सबल बनाया, पुष्ट किया जिससे हमारे पक्ष की सत्यता सिद्ध होती है।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ बातें जिनका यहां जिक्र किया गया मेरी समझ में नहीं आई। कुछ लोगों ने इस बात पर एक मुलम्मा चढ़ाना चाहा है किसी महाशय ने कुछ यह साबित करने की कोशिश की कि महामान्य राज्यपाल ने सारी व्यवस्था, आगे का प्रोग्राम अपने तीन शब्दों में दे दिया है "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी"। लेकिन मुझे खेद है कि पिछले इतने वर्षों से यही लोग मिनिस्टर चले आ रहे हैं, यही सरकार चली आ रही है चाहे इधर नयी शपथ और नयी प्रतिज्ञायें दोहराई गयी हों, लेकिन इतना होने पर भी आज तक भी इस सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी की परिभाषा नहीं की गयी है।

एक माननीय सदस्य ने जनसंघ की ओर इशारा किया कि उन्होंने भी हमारी तरह सोचना शुरू किया है। जो कुछ भी उनका इशारा रहा हो, मैं इतना बाअदब इशारा करना चाहता हूं कि जनसंघ की राजनीति और रीतियों के बारे में मुझे खुशी है कि आज इन साहबान को भी कुछ अन्दाज आ गया। जनसंघ का इकोनामिक प्रोग्राम क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, इस चीज को कम से कम समझने लगे हैं और उन्होंने जनसंघ की उस चीज को पसन्द किया है। बल्कि आज तक उनके दिमाग में जो यह बात थी कि जनसंघ आर्थिक चीज देता ही नहीं, कम से कम वह दूर हो गयी है। जहां तक सोशलिस्टिक, कम्युनिस्टिक या जो भी आप "विदेशीईज्म" लाये, मेरी तो बाअदब गुजारिश है कि हम लोग इस बात को मानते हैं कि भारत भूमि में विदेश का लाया हुआ पौधा यहां की आबोहवा में पनप नहीं सकता, उग नहीं सकता, फल-फूल नहीं सकता। भारत में तो भारत का पौधा लगाना चाहिए जो यहां की जलवायु के अनुकूल हो।

इसके अलावा आपसे जो अर्ज करना है, वह यह है कि ये जितनी भी बातें बाहर से लायी गयी हैं यहां हर्गिज हर्गिज पनप नहीं सकतीं। हमारी एक भावना भारतीय कुटुम्ब की है, जैसे कि कुटुम्ब के सब सदस्य समान हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं है, हम जाति-पांति के भेद को सामने नहीं रखते और न धर्म और जाति के विभेद। मैं आपके समक्ष रखता हूं कि हम तो ऐसा समाज संगठन करना चाहते हैं कि जिसमें धर्म, जाति और ऊंच-नीच का विभेद न हो। हमारे द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, न सिर्फ द्वार खुले हैं जैसा कि हमारे नेता ने कहा है, बल्कि हमारे दिल के द्वार भी खुले हैं। यह ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम अपने मन से, अपनी तरफ से, लोगों के दिखावे के लिये कोई और बात कहें मगर करें कुछ और किसी प्रस्ताव का समर्थन करें (महज एक ट्रैडीशन के नाते) लेकिन मन का द्वार हमारा बन्द हो, ऐसी बात नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक अन्य प्रश्नों का सवाल है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर यह जो नाम बड़े-बड़े कहे गये "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी"' ये बातें कोई नयी नहीं हैं, पिछले कई वर्षों से कही जाती रही हैं। पहले तो "सोशलिस्ट सोसाइटी' कहा गया। फिर केवल "सोशलिज्म"---समाजवाद---कहा गया। फिर न मालूम समाजवाद में क्या हुआ कि उसकी भी कोई परिभाषा नहीं हुई बल्कि उसके पीछे "टिक" जुड़ा और वह "सोशलिस्टिक सोसाइटी" हुई। फिर न मालूम यह "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी" कहां से आगयी जिसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गयी है। जब उसकी परिभाषा ही नहीं दी गयी है तो उसके बारे में उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में कहा ही क्या जा सकता है?

अब मैं अपने नये नव-निर्वाचित मंत्रियों को मुबारकबाद देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वह उसी तरह से सबको समान भाव से देखेंगे। वे दलगत राजनीति के दलदल में न पड़कर कमल के समान पृथक, निरभ्र और स्वच्छ बनकर ऐसी शोभा देंगे ताकि विरोधी पक्ष भी जोकि भंवरे के समान है, जो छेंड़ने के मौके पर काट भी खाता है, वे उनके रस का रसास्वादन कर, उनका आलिंगन कर यहां से बाहर जाकर समाजरूपी छत्ते में मधु का निर्माण कर सकें। क्योंकि अगर उनकी तरफ से सहयोग होगा तो हमारी तरफ से भी होगा, लेकिन अगर उनकी ओर से असहयोग की भावना आयेगी तो हम भी ज्यादा सहायता नहीं कर सकेंगे।

यहां काश्मीर का प्रश्न उठाया गया है और उसके बारे में कुछ शोक प्रकट किया गया है। इसमें मैं बाअदब अर्ज करूंगा, सदन मुझे क्षमा करेगा, और अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से गो वह विषय यहां का नहीं था लेकिन जिस काश्मीर के बारे में यहां पर आंसू बहाये जाते हैं, यह समस्या किसने पैदा की? किस ने शुरुआत में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की समस्या को लिया, किसने हिन्दुस्तान के टुकड़े किये—हिन्दू और मुसलमानों को अलग मानकर। वे ही हमको साम्प्रदायिकतावादी कहते हैं। इन्होंने माना कि हिन्दू अलग कौम है और मुसलमान अलग कौम है, हिन्दू अलग रहेंगे और मुसलमान अलग रहेंगे। साम्प्रदायिकता का सूत्रपात करने वाले तो वे खुद ही है और दोष दूसरों को देते हैं। कांच के घर में रहने वाला दूसरों पर ढेले फेंके तो यह ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त पूज्य बापू जी के आदेश को ठुकराकर आप काश्मीर के मामले को यू० एन० ओ० में ले गये। बापू जी इसके विरुद्ध थे लेकिन उस समय नेताओं की जिद्द थी और आखिर क्या हुआ, वहां से ठोकर खाई। इतना ही नहीं बल्कि हमारे हजारों लाल कश्मीर की धरती पर कट गये। मुझे माफ करें, मेरे प्रदेश से, कुमायूं प्रदेश से...

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र ने जो प्रश्न उठाया है, क्या यह विधान सभा का प्रश्न हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—क्योंकि माननीय राज्यपाल ने इस विषय की चर्चा कर दी है इसलिये वक्ता महोदय को अधिकार है कि वह इसका जिक्र जारी रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—काश्मीर की बात मैं कह रहा था कि पर्वतीय प्रदेश में हजारों औरतों का सुहाग छिन गया, हजारों बच्चे यतीम हो गये और हजारों आदमी मारे गये। लेकिन जिस समय हमारी सेनायें काश्मीर से आतताइयों को भगा रही थीं उस समय यकायक आर्डर दिया गया, रोक दो। उस समय लड़ाई रोक देनी पड़ी और हमारी उन बेचारी औरतों का सुहाग बेकार पुछा का पुछा रह गया। आज काश्मीर का मसला आता है तो गलती इसमें किसकी है? इसके ऊपर आप कहते हैं कि आपकी वैदेशिक नीति बहुत अच्छी है।

एक बात मैं यह कहूंगा कि मैं यहां पर नुक्ताचीनी करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। इस बात में मैं आपके साथ हूं कि आपकी नीति में हस्तक्षेप न किया जाय। लेकिन हस्तक्षेप न करने के माने यह नहीं होते हैं कि आप दूसरों के झगड़ों में ख्वाहमख्वाह अपना हाथ डालें। इंडोनेशिया, हंगरी और कोरिया के बारे में बोलने की क्या जरुरत थी। हम बासी भात में खुदा का साझा.....

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि काश्मीर के प्रश्न पर आप बोल सकते थे लेकिन आम तौर पर फारेन पालिसी का जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बहुत अच्छा, आज्ञा शिरोधार्य है। अब सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का सवाल आता है। जैसे कोई शुद्ध घी लिखता है और कोकोजम बेचता है, ऐसी यह चीज है। हमारे दूसरी तरफ के भी कुछ नेता सच्चे आदमी हैं, श्री गौतम जी ने अपनी तकरीर में यही कहा है। अगर उनकी तकरीर पर गौर फरमाया जाय तो मेरे आरगूमेंट को पुष्टि मिलती है और मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

खाद्यान्नों के संबंध में आत्म निर्भर होने की बात कही गई है और हम ज्यादा अनाज उत्पन्न करेंगे और बाहर निर्यात करेंगे। लेकिन कागज रूपी खेत पर कलम रूपी ट्रैक्टर के चलाने से अन्न की पैदावार नहीं हो सकती है। सेक्रेटेरियट की फाइलों में पैदावार नहीं हो सकती है। आप कितने ही लेख निकालिये, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। आजकल इंफारमेशन डिपार्टमेंट का काम ही यह रख दिया गया है कि मिनिस्टर्स के उठने बैठने से लेकर जितने काम

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

वे करते हैं, उतने उनके फोटो छाप दिये जायं। जिससे जब हम अखबार देखें तो उनके दर्शन हों, जब कोई किताब पढ़ें तो उनके दर्शन हों। इस सैक्यूलर स्टेट में भगवान की जगह मिनिस्टर्स ने ले ली है। यह एक बड़े दुख और लानत की बात है कि जहां हम खाद्यान्नों के संबंध में निर्यात की बात करते थे वहां उल्टे हमको विदेश से गल्ला मंगाना पड़ता है। जहां हम कहा करते थे कि हम सरप्लस होकर माल बाहर बेचेंगे वहां आज गल्ला बाहर से मंगाया जाता है। "आंकड़े तो हिन्दुस्तान में कोई हैं ही नहीं। जिसके मन में जैसे आया वैसे बना दिये।" यह बात सरकारी पक्ष की तरफ से कही गई है विरोधी पक्ष की ओर से नहीं कही गई।

हमें एक बात का बड़ा दुख होता है। आप देहात में जाइये, वहां का आदमी राजनीति को कुछ नहीं समझता है। वह भी आज जो कहता है, वह एक बहुत ही शर्म की बात है, मेरे लिये और अन्य लोगों के लिये भी कि आज आजाद मुल्क में गरीब कहलाने वाला एक इंसान यह कहे कि अंग्रेज ही अच्छे थे वे फिर से आ जायं। इससे बड़ा दुख होता है। क्या इसी आजादी के लिये हमारे पूज्य बापू ने और दूसरे बड़े-बड़े लोगों ने तपस्या की थी कहां पहले लोग यह कहा करते थे कि—

अधीन हो कर बुरा है जीना,
है मरना अच्छा स्वतंत्र हो कर।

और कहां एक दिन यह आया कि हम गये हुये अंग्रेजों को फिर बुलाते हैं। क्या यही आपका स्वराज्य है? क्या इसी के लिये आपने त्याग और तपस्या की थी? क्या इसी के लिये देश के लाखों बच्चे यतीम हुये थे?

अधिष्ठाता महोदय, इतना मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मुझे कुमायूं की विशेष परिस्थितियों पर कुछ कहना है चूंकि कुमायूं प्रान्त का अभी तक एक भी सदस्य नहीं बोला है। पांच मिनट का समय मुझे और दिया जाय। कुमायूं की विशेष परिस्थितियां हैं। वहां कहत पड़ गया है। मैं एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था लेकिन उसको नामन्जूर करते हुये यह कहा गया था कि राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में मैं इस बात को कह सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—यह कन्वेन्शन जरा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आपको पांच मिनट अधिक देने पर सभी सदस्य अधिक समय मांगेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जहां तक बाढ़ का सवाल है, क्या आपको मालूम नहीं कि ह्वांगहू जैसी शोक की नदी को चीन में काबू कर दिया गया और आज वहां की पैदावार काफी बढ़ गयी है।

आज मैं आपका ध्यान कुमायूं की ओर दिलाऊंगा। आप १३ तारीख का नेशनल हैराल्ड या कोई भी अखबार उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि गल्ले की कमी के कारण आज वहां आदमी भूखों मर रहे हैं और सरकार की तरफ से हवाई जहाज से कुछ गल्ला भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा जिले के लोग भाग कर नैनीताल जिले में बसने आये हैं। और अफसोस है कि जहां एक तरफ इस सरकार ने पांच, पांच हजार एकड़ के बड़े-बड़े फार्म दिये हैं वहां दूसरी तरफ उनको आसमान के नीचे सिर छिपाने तक को एक बीघा जमीन भी नहीं दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि मैं धन्यवाद के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—चेयरमैन महोदय, मुझे अफसोस है कि कल से जब से इस ऐड्रेस पर बहस हो रही है मैं पाबन्दी से यहां मौजूद नहीं हो सका और कल के वे सुन्दर भाषण, खासतौर पर लीडर आफ दि आपोजीशन का भाषण जिसे बहुत दिनों के बाद हमें सुनने का मौका मिला है, मेरे सुनने में न आ सका। मैंने सिर्फ प्रेस में उनकी रिपोर्ट पढ़ी। यह हम सब जानते हैं कि राज्यपाल महोदय की जात पालिटिक्स से बाला है और उनका जो भी ऐड्रेस इस हाउस के सामने हो नये चुनाव के बाद वह एक नये रस्मी हैसियत रखता है और उसके ऊपर हमें इसलिये बातचीत करने का मौका मिलता है ताकि हम यह सोच सकें कि हमने पिछले अर्से में क्या किया और आइन्दा हम क्या करेंगे। इस एतबार से मेम्बरों को इस बात का मौका है कि वे राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस पर जो शुक्रिया का रेजोल्युशन आया उस पर अपने-अपने अमेंडमेंट्स दें। मैंने आज के आर्डर पेपर पर जो अमेंडमेन्टस देखे उससे मुझे यह ख्याल हुआ कि इनमें से बाज-बाज अमेंडमेंटस तो इतने लम्बे चौड़े हैं कि वह एक चार्जशीट मालूम होते हैं। खासतौर पर मेरे दोस्त राजनारायण जी ने, जो हमेशा बहुत दिलचस्पी से इस सदन की बहस में हिस्सा लेते हैं, जो अमेंडमेंट दिया है उसके पढ़ने से मुझे यह खयाल आया कि राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस में चाहे कोई चीज बाकी रह गयी हो या न रह गयी हो लेकिन उन्होंने कोशिश यह की है कि उनके अमेंडमेंट में सब चीजें आ जायं। लेकिन उसे पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस अमेंडमेंट के आने के बाद भी इतनी सारी चीजें रह जायंगी कि जिन पर अगर भवन में बहस की जाय तो उनका सिलसिला इतना लम्बा हो जायगा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस लिये ऐड्रेस के सिलसिले में सिर्फ उन्हीं बातों पर गौर किया जा सकता है जो बुनियादी हों और जिनके मुताल्लिक सब अपने-अपने सुझाव दे सकें।

इस एतबार से जो मैं इस चीज पर गौर करता हूं तो मेरा ध्यान फौरन उस चुनाव की तरफ जाता है जिसे लड़ कर हम सभी लोग इस सदन के अन्दर आये हैं। शायद चुनाव का नाम तो उस ऐड्रेस में नहीं आया है लिहाजा टेक्निकली मुझे उस पर बात करने का मौका नहीं होता लेकिन वह ऐड्रेस दफा १७६ कांस्टीट्यूशन के मातहत है और वह ऐड्रेस उसी वक्त दिया जाता है जबकि डिजोल्युशन होने के बाद नई असेम्बली आये और नई असेम्बली जब आयेगी तो चुनाव के बाद ही आयेगी इसलिये मैं शायद चुनाव के मुताल्लिक कुछ बातें आपकी इजाजत से कह सकता हूं। जो बड़े लम्बे चौड़े चुनाव हमारे मुल्क में हुये और जो इतिहास में अपनी खास हैसियत रखते हैं जिसमें १९ करोड़ वोटर्स वोट देने के लिये गये उस चुनाव के सिलसिले में कुछ थोड़ी सी बातें पिछली असेम्बली के आखिरी इजलास में भी यहां हुई और उस सिलसिले में मैं चन्द बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बड़े चुनाव का काम जिस खूबी के साथ, जिस अच्छाई के साथ और जिस इम्पारशियलिटी के साथ यहां के आफिसर्स ने लिया उसकी मिसाल कहीं मुश्किल से मिलेगी और इसके लिये वे हम सबके बधाई के मुस्तहक हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन में इसके लिये कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन चुनाव में एक खास फीचर रहा है जिसको हम नजरंदाज नहीं कर सकते।

हमारा कांस्टीट्यूशन सेकुलर है। हमारी पार्टियां भी सेकुलर है। मेरे दिमाग में जनसंघ के मुताल्लिक कुछ शकूक थे लेकिन मुझसे पहले जिन दोस्त ने तकरीर की है और उसके उसूल बयान किये हैं उससे मैं समझता हूं कि शायद कोई पार्टी अब इस मुल्क के अन्दर ऐसी नहीं है जो बिलकुल मजहबी बेसिस पर हो और जिसने कांस्टीट्यूशन के सेकुलरिज्म को रिकगनाइज्ड न किया हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बदकिस्मती से हमारे सूबे और मुल्क में धर्म और बिरादरी के नाम पर एलेक्शन लड़े गये। इसकी नजीर मुश्किल से मिलेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

कहीं धर्म के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं मस्जिद और मन्दिर के नाम पर, कहीं गोरक्षा के नाम पर और कहीं गंगाजल के नाम पर एलेक्शंस लड़े गये और न मालूम किन-किन चीजों के नाम पर एलेक्शंस लड़े गये। इससे हम सबका सर शर्म से नीचे झुकता है कि इस तरह से एलेक्शंस इस सूबे और मुल्क में हुये जो कांस्टीट्यूशन के बिलकुल खिलाफ थे। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि इस चीज को रोकने के लिये हमें क्या करना है। हम नहीं जानते कि अगर हम एलेक्शंस धर्म और बिरादरी के नाम पर लड़ते रहे तो इसका नतीजा इस मुल्क में दो कुव्वते डिसइंटिग्रेशन के नाम पर और बढ़ेंगी और उसका नतीजा क्या होगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म की कुव्वतों को पनपने का मौका न मिले। इसके लिये यही कार्य करने का मौका है और हम सब इस बात पर उस वक्त मुत्तफिक हों कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को और एलेक्शन कमीशन को इस बात का मशविरा दें कि एलेक्टोरल रोल्स में इस किस्म की तरमीम होनी चाहिये जिससे धर्म और बिरादरी के नाम पर एलेक्शन लड़ना नामुमकिन हो। मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर हमें डिमोक्रेसी को चलाना है, उसे बल देना है, सेकुलरिज्म की कुव्वत को बढ़ाना है, उभारना है तो सोचना पड़ेगा और जल्दी से पहले सोचना पड़ेगा। अभी काफी देर है इस देर से पहले बल्कि इससे भी पहले इसके लिये रास्ता निकालना चाहिये और एलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया को इसकी इत्तिला देनी चाहिये कि एलेक्टोरल रोल्स में इस किस्म की तरमीम बहुत जरूरी है जिससे इस किस्म की सिचुयेशन को मीट किया जा सके।

जनाबवाला, एलेक्शन की बात तो यहां तक रही। अब कुछ बातें यहां इस सिलसिले में भी कही गई है कि गुजरे पांच साल में क्या हुआ। मैं किसी की नियत पर कोई शक नहीं करता। मैं जानता हूं कि जितनी पार्टियां यहां पर हैं यह सब हिन्दुस्थान की हैं और इन सबके दिल में बराबर की मुहब्बत मुल्क से है। ये सब बराबर से अपने तरीके पर अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हो सकता है रास्ते मुख्तलिफ हों। हो सकता है कि जो पार्टी आज बरसरेइक्तिदार है वह कल अपोजीशन में आवे और ये अपोजीशन के लोग गवर्नमेंट में आवें। इसलिये सबको बराबर का अधिकार है और बराबर से सोचने का मौका है लेकिन एक बात से इन्कार शायद नहीं हो सकता कि पिछले दस सालों में इस मुल्क को ऊंचा उठाने के लिये जो कुछ हुआ वह कोई मेन एचीवमेंट नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान जिसको चलते हुये एक साल गुजर गया इन दोनों के जरिये मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये काफी किया गया और मैं जाती तौर पर गवर्नमेंट में इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि बावजूद इसके कि फर्स्ट और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान्स में मुल्क ने कुछ अचीवमेंट्स किये हैं अभी तरक्की की बहुत गुंजायश है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह भी मानते हैं कि जहां स्कीम्स पर और प्रोजेक्ट्स पर काफी रुपया खर्च हुआ उसके साथ ही उसमें वेस्टेज भी हुआ है। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि मुल्क की तरक्की करने का राज सिर्फ यह नहीं हो सकता कि हम बिल बना दें, कानून बना दें और रेजोल्यूशन पास कर दें, बल्कि इसका तरीका यही हो सकता है कि हमारे अन्दर भावना हो, हमारे अंदर कोआपरेशन हो और उसके जरिये से हम इस काम को आगे बढ़ाये। मैं यह जानता हूं कि हर पार्टी का एक प्रोग्राम है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हर पार्टी के पास कोई न कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होना चाहिये और जहां तक देश की उन्नति का ताल्लुक है, देश को ऊंचे उठाने का, प्लैन्स का ताल्लुक है, करप्शन को दूर करने का ताल्लुक है, वेस्टेज को रोकने का सवाल है, ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करने का ताल्लुक है, यह ऐसी चीजें हैं कि जो पार्टी बन्दी से बाला है और इनको पार्टी बन्दी से बाला होकर ही देखने की जरूरत है जभी इस देश का और प्रदेश का कल्याण हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये बहुत से मवाके हैं। हम आज एक नये एरा पर सवार हो रहे हैं और इस लिये इस बात की जरूरत है कि हम अपने-अपने उसूलों पर, पार्टी के उसूलों पर कायम रह कर भी मुल्क को ऊंचा करने में, तरक्की देने में अपना मैक्सिमम कोआपरेशन एक दूसरे को दें और ऐसा हम एक जगह रह कर भी कर सकते हैं।

मैं यह भी समझता हूं कि जो तरक्की अब तक जारी रही, हुई है, उसने हमको बहुत से सबक दिये। हममें बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं और इस बात की बहुत जरूरत है कि हम एक नया मेथड आफ एप्रोच निकालें और वह मेथड आफ एप्रोच ऐसा हो कि जिस पर देश की बुनियाद मबनी हो। हम अपने काम में एफीशियेन्सी लायें। जरूरत इस बात की है कि हर तरफ से इस काम में कोआपरेशन हो। इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों वह पूरी तनदेही के साथ अपना कोआपरेशन एक दूसरे को दें तभी इस मुल्क की तरक्की हो सकती है। हमें यह मालूम है कि हमें बहुत सी समस्याओं को हल करना है। हमारे मुल्क में गो गल्ले की सिचुएशन ईज हो गई है, लेकिन उसका मसला अभी हल नहीं हुआ है और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू, जो सिर्फ हमारे प्रधान मंत्री ही नहीं हैं, अगर मैं यह कहूं कि तो मुआफ किया जाऊं कि वह हमारे नेशनल लीडर हैं, उन्होंने यह भी अपील की है कि गल्ले के मसले को हल करने के लिये वेस्टेज को रोका जाय। कितने हममें से ऐसे आदमी हैं कि जो किसी उसूल के मातहत इस बात की कोशिश करते हैं कि हम वेस्टेज को रोकें। अगर हम उसको रोकें तो हम उससे बहुत काम बना सकते हैं। हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ सकता है और हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

दूसरी अपील उन्होंने यह भी की है कि जहां तक गोल्ड का ताल्लुक है जेवरों का ताल्लुक है उसको हम सरेंडर करें इसलिये कि जो दौलत जमीनों में, बैंकों में बन्द है या कहीं जमा है उससे हम नफा नहीं उठा सकते। उससे एक्सचेंज का मसला हल नहीं किया जा सकता और अगर वह उन बैंकों से या लोगों के पास से निकल कर इस ट्रांजिटेरी पीरियड में मार्केट में आ जाय तो आज उसका उपयोग मुल्क की तरक्की के लिये डालर और स्टर्लिंग हासिल करने में किया जा सकता है। हमें आज डालर हासिल करने की जरूरत है स्टर्लिंग हासिल करने की जरूरत है। तो इस वक्त यह चीज बड़ी कारामद हो सकती है। यह ऐसी चीजें हैं कि जिनमें हम सबका कोआपरेशन हो सकता है, हम सब मिल कर इनके लिये कोशिश कर सकते हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसके लिये भावना के पैदा होने की जरूरत है। मारेलिटी की जरूरत है।

हम सभी कह सकते हैं और समझते हैं कि यह बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी तरीके से ढूंढ़ने की कोशिश करें कि जो हमारा डिस्सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी मुसीबत है जो हमारी परेशानियां हैं, उनकी वजह क्या है? तो अगर उनको कुरेदा जाय तो उसके अन्दर हर जगह हमें एक चीज मिलेगी और वह चीज इंसान का करेक्टर होगा। वह हद यही होगी कि हमें यह कहना पड़ेगा कि इंसान का करेक्टर नीचा गिर गया है और उसके नीचे गिरने की वजह से ही यह तमाम मुसीबतें आती हैं और परेशानियां होती हैं। लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम इस बात की कोशिश करें और ईमानदारी से कोशिश करें कि हम अपने चरित्र को ऊंचा बनायें, अच्छा बनायें तो हम अपने लिये एक रास्ता निकाल सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ कोआपरेशन करके मुल्क की तरक्की करने की कोशिश करें तो उससे हम सबका और मुल्क का कल्याण हो सकता है। इससे कोई फायदा नहीं हो सकता कि एक तरफ से दूसरों पर गंदगी फेंकी जाय और कीचड़ उछाली जाय। जो एतराजात हैं वह ठीक हैं, लेकिन ठीक वही हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव हैसियत रखते हों, जिनसे कुछ हासिल किया जा सकता हो और मैं यह बात हर शख्स के मुताल्लिक कह रहा हूं, किसी खास पार्टी या शख्स के मुताल्लिक नहीं कह रहा। लेकिन जो हम क्रिटिसिज्म करें वह क्रिटिसिज्म कांस्ट्रक्टिव होना चाहिये। वह डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिये क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता था कि आज इस नये एवान का इफतताह हो रहा है और हमारे सामने एक नया एरा है उस वक्त हमें सब मिलकर एक नयी परम्परा कायम करें और एक नया मैथड आफ अपरोच निकालें। मैं समझता हूं कि अपोजीशन से ज्यादा हमारी और हमारी सरकार

[श्री सुल्तान आलम खां]

की जिम्मेदारी है कि हम एक नया तरीका निकालें जिससे सबका सहयोग पाकर हम आगे बढ़ सकें। हमको इसके लिये बहुत सी बातें देखनी होगी। हमको यह देखना होगा कि किस तरह से गल्ले का मसला हल कर सकते हैं। हमको बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी और सोचनी पड़ेंगी कि जिसके मुताबिक हमारी गल्ले की प्लानिंग हो। हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि गल्ले का मसला हल करने के लिये अपने यहां हम बर्थ कंट्रोल किस तरह से करें। और क्या-क्या इसी तरह से दीगर बात सोच सकते हैं। मगर यह चीज तभी मुमकिन हो सकती है कि जब हम सब मिलकर इस काम को करें और सबका सहयोग हमें प्राप्त हो। हम दूसरी पार्टियों से इसके लिये सहयोग करें।

हमको पिछले पांच साल का जो तजुर्बा है उस तजुर्बे को सामने रखकर अगले पांच साल के अन्दर ऐसा प्रोग्राम निकालें जिससे सबको काम दे सकें और खाना दे सकें। आज हमारे यहां केरल में कम्युनिस्टों को अपनी हकूमत चलाने का मौका मिला है। मुझे खुशी है कि उनको मौका मिला। मुल्क में और जगह भी दूसरी पार्टी की हकूमत है। अगर केरल की हकूमत ने ज्यादा काम किया और वह कामयाब हुई तो उसकी नकल करने का मौका दूसरी पार्टी के लिये होगा। हमारे सामने कांस्ट्रक्टिव एक्सपैरिमेंट का सवाल है। हमको यह देखना है कि हम इसमें कहां तक कामयाब होते हैं और कहां तक सहयोग हासिल करने के लिये बातें करते हैं।

श्री श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष तथा माननीय विधायकभाइयो!

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य केवल चेयर को ही सम्बोधित कर सकते हैं औरों को नहीं।

श्री श्रीपालसिंह--मैं क्षमा चाहता हूं। मैं पहले पहल ही सदन में आया हूं। मुझे यहां के कानून मालूम नहीं हैं।

मुझे निवेदन यह करना है कि राज्यपाल महोदय के भाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के बारे में मेरी राय उसकी सहमति में नहीं है। उसका कारण यह है कि उसमें जो बातें कही गई हैं वह बकौल हमारे माननीय राजनारायण जी के कि उसमें परदा डालने वाली बातें कही गयी हैं और इतना ही नहीं सरकारी पक्ष से जो लोग बोले हैं उन लोगों ने नैतिकता की दुहाई दी है और यह कहा गया है कि नैतिकता से यह सारी चीजें हो सकती हैं। मगर यह नहीं बतलाया गया कि नैतिकता का उत्थान कैसे हो सकता है। प्रश्न यह है कि यह नैतिकता नीचे किस प्रकार गिरी। जब यहां से अंग्रेज छोड़ कर गये, मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ३ महीने तक सरकार के हरएक विभाग ने पुलिस से लेकर पटवारी तक की यह भावना बन गयी थी कि अब मुल्क स्वतंत्र हो गया है तो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना है इसलिये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये। मगर वह चीज केवल तीन महीने तक रही। तीन महीने के बाद भगवान जाने कि वह चीज क्यों इतनी बढ़ी कि आज उसकी हद भी नहीं नापी जा सकती है। यह जो नैतिकता की बात कही जाती है इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य पर हुआ करती है। राज्य सरकार ही नैतिकता का उत्थान कर सकती है और नैतिकता का पतन कर सकती है। आज जो अनैतिकता फैली हुई है उसकी जिम्मेदारी एकमात्र राज्य के ऊपर है।

माननीय राज्यपाल के भाषण में शुगर मिलों के बारे में कहा गया है कि देश में कुछ शुगर मिलें खोली जावेंगीं। मगर उत्पादन तो बढ़ता है खाद्य देने से और उसके किसी मिल के खोलने की चर्चा नहीं है। अमोनियम सलफेट और सुपर फासफेट के दाम इतने अधिक हैं कि मामूली किसान काफी मात्रा में नहीं खरीद पाता है। शुगर मिल से किसानों को इतना प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा कि ईख की खेती बढ़ेगी। मगर केवल इससे किसानों का पेट भरनेवाला नहीं है। जब तक अन्न की खेती ज्यादा नहीं होती है और उसका भाव नीचे नहीं

आता है तब तक गांव में रहने वाले किसान, जो कि भारत के प्राण हैं, के उत्थान का क्या जरिया हो सकता है ? दूसरी चीज यह है कि उत्पादन भी बेकार होगा अगर खरीदने की शक्ति नहीं होगी। हमारे पूर्वी जिलों में मसलन् जौनपुर में वहां भी शाहगंज तहसील के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां नहरों का कारण कुछ काश्तकारों की पूरी जमीन और कुछ की आधी या अधिक जमीन नहर में धंस गई है। क्या इसका मुआवजा अलग से मिलेगा या वही मिलेगा जो आमतौर से नहर, सड़क या रेलवे लाइन बनने पर आटे में नमक के बराबर मिलता है ? इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है।

भ्रष्टाचार के बारे में भी अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। प्लानिंग विभाग में देखा गया कि जिन चीजों पर २५, ५० रुपया खर्च होता है उनके लिये ५००, ७०० रुपया बरामद किया गया है। इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा कौन उसमें पकड़ा जा सकता है ? इस पर भी ध्यान देना है। उस क्षेत्र में प्लानिंग विभाग की तरफ से कुछ नई सड़कें बनाई जा रही हैं। पुरानी सड़कों से १० गज की दूरी पर नई सड़कें बनाई जा रही हैं। उन सड़कों में जिन किसानों के खेत पड़ते हैं उन्हें मुआवजा दिया जायगा और पुरानी सड़क जो उनके खेत के बग़ल में है वह नीलाम की जायगी। यह किसानों के लिये बहुत ही नुक्सानदेह है। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो केवल समाजवाद का नारा लगाने से ही कि हम समाजवाद ला रहे हैं, समाजवाद की पुष्टि नहीं हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले इसके कि मैं इस प्रस्ताव पर कुछ और निवेदन करूं, आपको और आप के द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह मेरा समर्थन केवल एक संसदीय पद्धति के कारण से नहीं है। किस कारण से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं वह आगे निवेदन करूंगा। श्रीमन्, आज दो दिन से मैंने माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं के तथा विरोधीदल के अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मुझे खेद है और दुख है कि विरोधीदल के माननीय सदस्यों के भाषणों में मुझे उस प्रवृत्ति की झलक मिली जिस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर केथेरिन मेयो ने मदर इंडिया लिखी थी। श्रीमन्, मैं विरोधीदल के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि जनता ने उन्हें इस बार अच्छी तादाद में भेजा है और जब मैं यह सुनता था कि विरोधीदल के सदस्य अच्छी तादाद में आ रहे हैं तो मुझे खुशी होती थी और मुझे आशा थी कि तादाद के बढ़ते-बढ़ते जिम्मेदारी में भी बढ़ोत्तरी होगी और उसको वे लोग महसूस करेंगे। श्रीमन्, जनता ने जो इस बड़ी तादाद में विरोधीदल के सदस्यों को भेजा है तो किसी जिम्मेदारी के साथ भेजा है, जनता ने उनको संसदीय पद्धति का, लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बना कर भेजा है न कि एक ड्रेन इंसपेक्टर की हैसियत से भेजा है।

श्रीमन्, न मालूम कितनी बातें यहां कही गयीं किसी ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया कि सरकार ने इन दश वर्षों में कुछ किया है या नहीं, सरकार की नीति द्वारा अपने देश की की तथा प्रदेश की उन्नति हुई है या नहीं, भूखों को अन्न मिला है या नहीं, नंगों को कुछ वस्त्र मिला है कि नहीं ? मैं यह मानता हूं कि जो कुछ सरकार कर सकी है वह काफी नहीं है, मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि कदाचित इससे अधिक हो सकता था लेकिन केवल इस बात पर इसको एक बजट डिबेट बनाना कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में किसी नीति का जिक्र नहीं किया, मैं समझता हूं, राजनैतिक दिवालियापन ही हो सकता है। सरकार की नीति का जिक्र यहां हो सकता था या नहीं हो सकता था, उसके कारण जो माननीय गोविन्द सहाय जी ने दिये, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं।

जहां तक सरकार की नीति का ताल्लुक है दस साल से यहां कांग्रेस की सरकार है, दस साल से कांग्रेस की नीति देश के सामने है, दस साल से कांग्रेस सरकार की

[श्री सुरेशप्रकाशसिंह]

अच्छाइयां, कांग्रेस सरकार की खामियां, और कमजोरियां देश के सामने है। इसलिये अगर माननीय सदस्यों को सरकार की नीति पर कुछ कहना था तो बहुत कुछ मसाला उनके सामने था कि सरकार की नीति पर वह कुछ कह सकते? लेकिन कहें क्या? चाहे आप सोसलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कहें, चाहे आप उनको किसी और नाम से पुकारें, चाहे आप यह आपत्ति उठायें कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की परिभाषा नहीं की गयी. लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसकी कोई परिभाषा की आवश्यकता है? इस पर इतनी बड़ी आपत्ति उठाना क्या मानी रखता है? अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में भूखों को अन्न मिलता है तो उसकी परिभाषा की आवश्यकता नहीं। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी में नंगों को वस्त्र मिलता है तो परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी में आमदनी के इतने बड़े अन्तर को कम करने का प्रयत्न तथा प्रयास हो तो परिभाषा की आवश्यकता नहीं, अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में अमीर को कुछ गरीब करने और गरीब को कुछ अमीर बनाने का प्रयत्न और प्रयास हो तो परिभाषा की आवश्यकता नहीं। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में प्राइवेट सेक्टर को पैसा दिया जाता है। दो करोड़ या कुछ ज्यादा ही कुछ लोगों को दिया गया है। ठीक है, किन्तु जहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसाइटी की बात को कांग्रेस दल के बड़े बड़े नेताओं ने और कांग्रेस सरकार के मेम्बरों ने बार-बार कहा है वहां पर यह भी कहा है कि हम अपनी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी से प्राइवेट सेक्टर को हटा नहीं सकते। यह मैं मानता हूं कि हर माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस के सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी से सहमत न हो, हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह कांग्रेस की पालिसी से सहमत न हो, हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह हमारी इस सरकार की नीति से सहमत न हो, किन्तु यह कहना कि इस सरकार की नीति के बारे में क्या कहूं, यह कहना कि सरकार की नीति की आलोचना क्या करूं जब कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की कोई परिभाषा ही नहीं है, मैं खेद के साथ फिर दोहराता हूं कि यह राजनीतिक दिवालिया पन है। श्रीमन्, दो करोड़ रुपया दिया गया है .....

एक सदस्य—तीन करोड़ दिया गया है।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—ठीक है तीन करोड़ दिया गया हो, या पांच करोड़ दिया गया हो या चार करोड़ या तीन करोड़ दिया गया हो लेकिन दिया गया है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जो रुपया प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है उन्हीं से टैक्स के द्वारा उनकी आमदनी का करीब ९० फीसदी सरकार के राजकोष में आ जाता है?

एक सदस्य—नहीं आता है।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—यह कहना कि टैक्स से इतना रुपया नहीं आता है तो फिर तो वही बात हो गयी कि कहा जाय कि साहब उत्तर प्रदेश में चोरी डकैती बहुत होती है। मैं जानता हूं कि कि लोग अपनी आमदनी का वह टैक्स नहीं अदा करते हैं जितना कि उनको अदा करना चाहिये किन्तु यहां पर तो सरकार की नीति का प्रश्न है। क्या यह सत्य नहीं है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों से उनकी आमदनी का ९० फी सदी टैक्स के रूप में सरकारी राजकोष में आता है?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—टैक्स का इवेजन कैसे होता है?

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—टैक्स का इवैजन होता है तो सरकार की नीति पर हमला करने से क्या मतलब हल होता है। न मालूम उत्तर प्रदेश में तो चोरी डकैती कितनी होती है। तो क्या सरकार की नीति है कि चोरी डकैती हो? जौनपुर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सरकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बड़ा अन्याय हुआ है।

बड़ी अमानुषिकता की गयी है और यह सरकार मानवताहीन है। अन्याय का तो उन्होंने नाम लिया किन्तु उसी दम उन्होंने यह भी कहा कि हर गांव में किसी राजनीतिक दल के कुछ लोगों ने अत्याचार किया था और जब वह मामला अदालत में गया तो वहां पर जज ने यह कहा कि यह पोलिटिकल स्टंट है, पोलिटिक्स के लोगों ने दूसरों को सताने की कोशिश की है। तो मुझे बतलाइए कि इसमें न्याय है या अन्याय है। सरकार की जो नीति है वहां न्याय होता है या अन्याय होता है मैं मान सकता हूं कि किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने किसी को सताया हो लेकिन जहां तक सरकार का प्रश्न है सरकार के न्यायालयों का प्रश्न है उनमें न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है ?

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, यहां पर कहा गया कि भष्टाचार बहुत है । विरोधी दल की ओर से समय बेसमय कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत है । मैं बहुत नम्रतापूर्वक अपने उन मित्रों और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार है कहां ? वह अपने देश ही में है न ? आपके प्रदेश ही में है न ? तथा यह भ्रष्चाचार है किसके द्वारा ? यह भ्रष्टाचार कौन करता है और कौन कराता है ? जो भी भ्रष्टाचार करते या कराते हैं वह हैं तो यहीं के लोग। यहां भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं लेकिन आप जानते हैं कि इधर और उधर हमारे बहुत से मेम्बर ऐसे होंगे जो वकील हैं। अपने बार एसोसियेशन के रिजोल्यूशन और प्रस्तावों में, यहां सदन में और बाहर भ्रष्टाचार की बात तो बहुत दोह ई जाती है लेकिन कभी किसी वकील ने अपने मवक्किल से कहा कि दो रुपया नकल के लिये न दो चाहे उसे मिलने में कितनी ही देर हो जाय। ठीक है, भ्रष्टाचार है, कोई इससे इन्कार नहीं करता कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार है या कोई यूरोपियन स्टेट की सरकार है। क्या अभी हम कई दृष्टिकोणों से से पिछड़े हुए नहीं हैं ? हम आज भी आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण बहुत पिछड़े हुए हैं और क्या इस पिछड़े हुए देश में प्रजातन्त्र प्रणाली का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी हमारा यह एक फेज चल रहा है जिससे हमें पार होना है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ खराबियां हैं उनको कुछ दिन तक हमें दुरुस्त करना होगा और यह प्रयोग इस देश और प्रदेश के लिये कोई आसान प्रयोग नहीं है। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, पुलिस में अत्याचार है, हम जानते हैं कि अन्याय है, हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है।

चकबन्दी के बारे में कहा गया कि अन्याय और भ्रष्टाचार है। हर जिले में भष्टाचार को दूर करने के लिये ऐन्टी करप्शन कमेटियां बनी हुई हैं लेकिन क्या कोई भी विरोधी दल का माननीय सदस्य कह सकता है कि उसका पूरा सहयोग इन ऐन्टी करप्शन कमेटियों को प्राप्त है। कल चकबन्दी की बात बहुत हुई तो मैंने उस पर माननीय मंत्री जी से पूछा कि किसी भी ऐसे क्षेत्र से जहां चकबन्दी हो रही है आपके पास कोई शिकायत आई है ? लेकिन मंत्री जी स्वयं बतायेंगे, उनका कहना है कि एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई । मैं यह नहीं कहता कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है, मैं नहीं कहता कि चकबन्दी जैसी होनी चाहिये वैसी हो रही है किन्तु यहां पर आकर शिकायत करना और चकबन्दी के प्रश्न को एलेक्शन के वक्त उठाना और सदन में और सदन के बाहर चकबन्दी के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें कहना, मैं नये माननीय सदस्यों को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं और जिनके क्षेत्र में चकबन्दी चल रही है उनका उस विषय में मंत्री जी के पास शिकायत न ले जाना और केवल विरोध के लिये विरोध करना और चकबन्दी जैसी चीज का विरोध करना तो उचित नहीं है, इससे तो लाभ की जगह नुकसान होता है। हम जानते हैं कि जैसे हर एक मनुष्य में कुछ कमियां, खराबियां या कमजोरियां होती हैं उसी तरह से हमारी सरकार में भी कमजोरियां हो सकती हैं, मानव गलतियां करता है लेकिन पिछले दस साल में इन तमाम गलतियों के बावजूद अपने अहिंसा तथा

[श्री सुरेशप्रकाशसिंह]

लोकतांत्रिक प्रणाली के मार्ग पर चलते हुये जो कुछ भी यह सरकार थोड़ा बहुत देश के हित में कर सकी है और जो उन्नति हुई है वह सराहना के योग्य है।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—माननीय सभापति जी, मैं महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने, सभापति महोदय, राज्यपाल जी का भाषण अच्छी तरह से सुना और सुनने के पश्चात् प्रकाशित प्रति बड़े गौर से पढ़ी। साथ ही साथ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की आलोचनाएं भी सुनीं।

अभी विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य कश्मीर समस्या का जिक्र कर रहे थे। कश्मीर के सम्बन्ध में मुझे दावा है कि जो पालिसी हमारी सरकार ने बनायी है उस पर हमें और हमारे पूरे देश को गर्व है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा कि, हमारे अपोजिट ग्रुप के माननीय सदस्य ने कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर आक्रमण किया और इधर हमारे देश की फौजें उनकी फौजों को भगा कर हमारे देश की फौजें उस स्थान पर रुक गयी थीं जिस भाग पर आज पाकिस्तान का कब्जा है। मुझे विश्वास है कि यदि हमारे देश की फौजें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र की सीमा पर न रुक जातीं तो आज पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान की तलवारें खनखनाती होतीं और यही नहीं बल्कि विश्व की शान्ति खतरे में होती। विश्व की शान्ति तो खतरे में होती लेकिन साथ ही साथ आज विश्व का जनमत भी हमारे खिलाफ होता। विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि विश्व का जनमत हमारे देश के खिलाफ है। हम ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सवाल के पीछे विश्व का जनमत, विश्व का बहुमत हमारे साथ है।

बहुत से लोगों ने, अभी अभी मैंने सुना, हमारे जनसंघ के माननीय सदस्य ने अंग्रेजों के चले जाने का फतवा पढ़ा। हम उनसे पूछते हैं कि अंग्रेज कैसे चले गये? अंग्रेजों के चले जाने में देश ने कुर्बानियां कीं। हमारे नौजवानों ने गोलियां खायीं। हमने गोली खाकर अपने देश को स्वतन्त्र बनाया। अब वह कितना ही फतवा पढ़ें लेकिन मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में अब अंग्रेज कभी नहीं आ सकते। अंग्रेजों के आने की बात तो वही कह सकते हैं जिन्होंने देश में रहने वाले सात करोड़ इन्सानों को गुलाम बनाये रखा था। क्या वह भूल गये कि अंग्रेजों के जमाने में देश में रहने वाले सात करोड़ इन्सान जिनको आज अछूत कहते हैं चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था। क्या वह भूल गये कि अंग्रेजों के जमाने में सात करोड़ हिन्दुस्तान के रहने वाले कभी सर उठा कर नहीं चल पाये थे? क्या वह भूल गये कि हिन्दुस्तान के सात करोड़ इन्सानों को पढ़ने लिखने और बराबर तरक्की करने का मौका नहीं दिया गया था। अंग्रेजों के आने का फतवा अब भी वही पढ़ते हैं जो हमेशा अंग्रेजों के पिट्ठू रहे। अंग्रेजों के साथ रह कर हिन्दुस्तान की सात करोड़ जनता को गुलाम बनाये रखा। लेकिन अब वह जमाना निकल गया। आज हम गोली खाकर अपनी आजादी को ला पाये हैं, तो हम फिर अंग्रेजों को आने नहीं देंगे। अंग्रेजों के आने की बातें वह भूल जायं और अपने दिमाग से निकाल दें।

एक विरोधी दल के सज्जन ने जनता की नैतिकता की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर लगायी। ठीक है, सरकार के ऊपर देश की प्रगति की जिम्मेदारी होती ही है। मैं कहता हूं कि क्या नैतिकता की जिम्मेदारी उन पर और उनकी पार्टी पर नहीं है? क्या यह अनैतिकता नहीं है कि सदन में कहते हैं कि इतने स्कूल खोले जायं, इतना यह काम किया जाय, इतनी नहरें बनायी जायं, परन्तु सदन के बाहर यह कहते हैं कि आधा लगान कर दिया जाय। इसलिए जो माननीय सदस्य जो नैतिकता की बात करते हैं,

पहले उनको नैतिक होना पड़ेगा। उनको चाहिए कि पहले नैतिकता का सबक अपने क्षेत्र में पढ़ाएं। अपने को नैतिक बनाएं। उसके बाद इस तरह की बातें सदन में करें।

कल से मैंने सुना चकबन्दी के ऊपर भी विरोधी दल ने बड़ी गोलाबारी की। मुझे याद है कि जिस वक्त चकबन्दी का कानून बनाया जा रहा था उस वक्त सदन में बैठे हुये बहुत से विरोधी पार्टी के माननीय सदस्य भी उपस्थित थे और उसके बनाने में उनकी भी सहमति थी। आज वह उसकी आलोचना करते हैं। हम जानते हैं कि चकबन्दी का कानून कितना अच्छा है। इसका तो विरोधी इसलिये विरोध करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि किसान जन्म-जन्मान्तर लड़ते रहें, बड़े किसान और छोटे किसानों में युद्ध होता रहे। पटवारी और लेखपाल किसानों को लूटते रहें और विरोध करने वाले जो इस तरह की बातें करते हैं उनका उल्लू सीधा होता रहे। क्योंकि उनकी तो बात तभी बनेगी जब किसान किसान लड़ेगा, देहातों में अराजकता होगी। तभी उनकी बात का बोलबाला होगा। इसीलिये वह चकबन्दी का विरोध करते हैं। लेकिन हमने जैसे तकलीफें सहकर आजादी कायम रखी उसी तरह से हम किसानों को अब ज्यादा दिन तक लड़ने नहीं देंगे। मेड़ तोड़ने के ऊपर सर फूटने नहीं देंगे चाहे कितना ही नुक्सान किसी का क्यों न हो।

श्री बंशीधर शुक्ल---आप कितनी बार जेल गये ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय बंशीधर जी, यह व्यक्तिगत आक्षेप इस सदन में नहीं होना चाहिये।

श्री बुलाकीराम---जहां तक पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिये सरकार ने कौन से कदम नहीं उठाये। हर जिले में एक-एक शिकायती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है और जितनी भी शिकायतें चाहे भ्रष्टाचार की हों, चाहे और किस्म की हों, उनके पास जाती हैं और भ्रष्ट आदमियों के पता लगने पर उन्हें सजा दिलाने के लिये उचित कदम उठाते हैं।

मुझे एक सुझाव सरकार को भी देना है। वह है कि यह शिकायती अफसर प्रत्येक जिले में वहां के एस० पी० के मातहत रखे गये हैं। इसमें मुझे शक है कि पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध वह निष्पक्ष जांच कर सकेंगे। मैं एक सुझाव देता हूं कि कम्प्लेंट अफसरान को डाइरेक्ट आई० जी० पुलिस के मातहत रखा जाय ताकि उन पर जिले के कप्तान का दबाव न पड़े और तभी निष्पक्ष जांच करके वह पुलिस कर्मचारियों को भी सजा दिलाने में समर्थ हो सकेंगे।

जहां तक बिक्री-कर का संबंध है मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं बगैर कर लिये कोई सरकार चल नहीं सकती। इसलिये कर तो लगाना ही पड़ता है सरकार को चलाने के लिये। लेकिन बिक्री-कर के संबंध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। बिक्री-कर की वसूलयाबी में जिले के अधिकारी बड़ी धांधलेबाजी करते हैं। सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिए। हमने हरदोई में देखा कि जो अनाज तौलने का काम करते हैं उनके ऊपर ५००, १,०००, १,२०० रु० तक सेल्स टैक्स लगाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिये। जब कानून अच्छा है, उसको बरतने वाले अच्छे नहीं वही असंतोष हमारी जनता में फैलाता है। बिक्री-कर का जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं कि १२,००० रु० के ऊपर बिक्री-कर लगाया जाता है, लेकिन हमारे हरदोई में किसी प्रकार का कोई ख्याल न करके तौलने वालों के ऊपर भी बिक्री-कर लगाया गया है। जिनकी बिक्री बारह हजार से कम है, अर्थात् सात हजार है, आठ हजार है, दस हजार है, ग्यारह हजार है उन पर भी इसी तरह के लम्बे-लम्बे टैक्स लगाये गये हैं। सरकार को चाहिये कि उस ओर ध्यान दे ताकि जनता में असंतोष फैलने न पावे।

हम जानते हैं कि इस वक्त सख्त गरानी के कारण हमारे निम्न वर्ग के कर्मचारी, हमारे श्रमिक वर्ग के लोग और हमारे खेतिहर मजदूर विशेष परेशानी में हैं। इसलिये

[श्री बुलाकीराम]

हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनकी दशा सुधारने के लिये और उनको अच्छी तरह से रहने के लिये गरानी एलाउन्स मिले। जो गरानी एलाउन्स इस वक्त दिया जाता है उसका कम से कम ५० प्रतिशत और बढ़ाया जाय जिससे वे शांति के साथ रह सकें। जब तक उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा हमारा सरकारी काम भी अच्छा नहीं हो सकता। जब तक उनको समुचित मात्रा में तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक भ्रष्टाचार हटाये नहीं हट सकता। भ्रष्टाचार तो उसी वक्त होता है जब थोड़ी तनख्वाह होती है और उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं, तभी भ्रष्टाचार होता है और इधर-उधर से पैसा लेने की बात लोग सोचते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जितने सरकारी कर्मचारी छोटे वर्ग के हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं या और दूसरे कर्मचारी हैं इनकी दशा सुधारने के लिये कम से कम महंगाई का ५० प्रतिशत भत्ता उनको और बढ़ा दिया जाय।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में भी एक बात मैं कह देना उचित समझता हूं। हमने राज्यपाल के अभिभाषण में सुना कि ९०० मील के लगभग सड़कें बनवाई गई हैं। हरदोई में आज तक कोई भी सड़क न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से बनवाई गई है न पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनवायी गई है और न हमारा ख्याल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही कोई सड़क बनवाने के लिये रखी गई है। हमारे जिले का एक भाग बरसात में बिलकुल जलमग्न हो जाता है और सांड़ी से लेकर हरपालपुर तक दो तीन महीने तक बिल्कुल रास्ता बन्द रहता है। अगर सांड़ी से हरपालपुर तक पक्की सड़क बनवा दी जाय और बीच में नदियों के ऊपर पुल बनवा दिये जायं तो बरसात की बाढ़ के आंसू पोंछे जा सकते हैं और उस इलाके का पिछड़ापन भी दूर हो सकता है। इसी तरह से और कई सड़कें हैं। शाहाबाद से पाली तथा टडियावां से गोपामऊ तक भी बरसात में कोई रास्ता नहीं रहता। यातायात ठप रहता है। इधर से उधर आदमी नहीं निकाल पाते हैं। इन सड़कों को बनवाने के लिये पंचवर्षीय योजना में अवश्य स्थान दिया जाना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हम यह अपेक्षा करते थे कि इस अभिभाषण के द्वारा महामान्य राज्यपाल अपनी सरकार का वार्षिक नीति निर्देशन करेंगे। अगर हमारे कोई मित्र यह समझें कि विरोधी दल महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण को कोई एक ऐसा ग्रंथ मानता है जिसमें कि प्रदेश के प्रत्येक गांव की प्रत्येक समस्या का उल्लेख हो तो ऐसा हमारा विचार नहीं है। हम यह जानते हैं कि संसदीय पद्धति के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण में केवल उन्हीं वार्षिक नीतियों का उल्लेख होना चाहिये जो कि प्रदेश की पृष्ठभूमि में प्रदेश की आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में उस वर्ष की स्थिति विशेष को देखते हुए आवश्यक हों। जब इस दृष्टिकोण से हम महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण को कसौटी पर कसते हैं तो हम उसे नीरस और शुष्क और प्राणविहीन पाते हैं। यह ठीक है कि उसमें समाजवादी समाज के निर्माण का उल्लेख किया गया है, यह भी ठीक है कि उसमें कुछ विधेयकों का भी उल्लेख किया गया है जो कि इस सत्र में हमारे सामने आयेंगे। उस में कुछ ऐसे आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है जिस को कि माननीय गोविन्द सहाय जी के शब्दों में जिसे उन्होंने कहा कि वह आंकड़े है ही नहीं, ऐसे आंकड़े भी हैं। लेकिन बहुत सी बातें हैं श्रीमन्, जिनको संक्षेप में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा जिनका कि नीति निर्देशन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। क्या महामान्य राज्यपाल के भाषण में हमें इस बात संकेत नहीं मिलना चाहिये था कि एक जो सामाजिक सुरक्षा की नयी मिनिस्ट्री बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या था?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कवल एक दिन पहले–अभी उसी दिन प्रातःकाल मिनिस्टर आफ सोशल सेक्योरिटी की उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। लेकिन मिनिस्टरी आफ सोशल सेक्योरिटी के क्या अर्थ हैं वह हमारे सामने नहीं आया और न ही उसका उल्लेख माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया ।

आपने देखा, श्रीमन्, कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रक्खा कि आवश्यक और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिये सदन बैठाया जाय । बिक्रीकर संशोधन विधेयक कल एक माननीय सदस्य को बीच में बैठा कर पुरःस्थापित किया गया और आज के समाचार पत्रों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल का जिक्र है, किन्तु राज्यपाल के अभिभाषण में न तो बिक्रीकर संशोधन विधेयक का और न इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल का ही जिक्र मौजूद था । भाषण बनाने वाले महानुभाव और महामान्य राज्यपाल और सरकार को पता नहीं था कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक इस बहस की दौरान में लाये जाने वाले हैं और उनका कोई उल्लेख महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं किया गया ।

हम आप इन अभिभाषणों के क्रम में पिछले वर्ष के राज्यपाल के अभिभाषण को देखें। उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है । यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उद्योगपतियों की बनी और उस उद्योगपतियों की कमेटी ने ६ महीने पहले रिपोर्ट दे दी । पिछले वर्ष के अभिभाषण में उसका जिक्र भी है । नई सरकार भी उसी पुरानी पार्टी की सरकार है लेकिन राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है ।

यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार नहीं खोल रही है । भारत सरकार की नीति और प्रान्तीय सरकार की नीति में क्या मतभेद है जिससे यहां कोई हैवी प्रोजेक्ट नहीं खुलता । इसका जिक्र इस अभिभाषण में आना चाहिये था । इस प्रदेश की पूर्वी नदियों को टेम करने के लिये क्यों नहीं प्लानिंग कमीशन कोई हैवी प्रोजेक्ट खोलता और केन्द्रीय सरकार क्या कहती है और प्रान्तीय सरकार क्या कहती है इसके सम्बन्ध में स्पष्ट बातें हमारे सामने आना चाहिये ।

कानपुर के दो लाख मजदूरों के रेशनलाइजेशन स्कीम के सम्बन्ध में बिन्दबासिनी प्रसाद कमेटी बैठी और उसकी रिपोर्ट भी आ गई लेकिन खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका कोई भी जिक्र नहीं है कि सरकार की श्रम नीति क्या है ।

आई० एन० टी० यु० सी०, ए० आई० टी० यु० सी० और एच ०एम ०एस० तीनों मजदूर संस्थाओं का कहना है कि श्रम कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन में २५ प्रतिशत वृद्धि होना चाहिये। केन्द्रीय मंत्री गुलजारी लाल नन्दा भी यही कहते हैं लेकिन श्रम नीति इस सम्बन्ध में हमारी क्या है इसके बारे में अभिभाषण में एक शब्द भी ढूंढे नहीं मिलता ।

बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट ८ महीने पहले आ गई । उस रिपोर्ट से हमारे प्रदेश पर क्या असर पड़ने वाला है, उसकी नीति क्या है इसका कोई जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं मिलता ।

पुलिस का क्या रवैया रहा । कानपुर में श्री वीरेन्द्रबहादुर की मूंछें उखाड़ी गईं और मुरादाबाद में १९ व्यक्तियों को जिनमें बच्चे भी थे मार्शल ला की तरह से गोलियों से भून दिया गया इसका कोई जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं मिला । जिनको पुलिस की सुरक्षा चाहिये उनको वह सुरक्षा नहीं मिलती । सारे प्रान्त भर का यह प्रश्न है–इसके लिये सरकार की क्या नीति है इसका कोई जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं मिलता । और प्रकार के आंकड़े रिपोर्ट में मिलते हैं लेकिन करप्शन के कितने केसेज पकड़े गये इसके कोई आंकड़े नहीं हैं । सब आंकड़े आपको मिलेंगे लेकिन करप्शन के सम्बन्ध में ही आंकड़े नहीं मिलेंगे जिनके सम्बन्ध में देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नाम लिया गया। यह दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के बीच बहुत से मामलों में बड़ा विरोध है जैसे लैन्ड रिफार्म को ले लीजिये। केन्द्रीय सरकार कहती है कि ऐसे फार्म्स का राष्ट्रीयकरण करो जो फार्म्स अनप्रोडक्टिव हैं और उनको सरकारी कंट्रोल में ला कर भूमिहीनों में बांट दो। केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन कहता है ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाओ लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बनायेंगे, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन नहीं बनायेंगे ये सब विभाग के नियंत्रण में चलेंगे। तो स्पष्ट होना चाहिये कि जहांपर केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की नीति में असमांजस्य है, विरोध है, आपको स्पष्ट करना चाहिये अपने भाषण में कि क्या नीति हमारी ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में है, प्लानिंग कमीशन के सम्बन्धमें और रेंट रिडक्शन के सम्बन्धमें है और जहां-जहां आपका मतभेद है --कोआपरेटिव फारमिंग के बारे में आपका मतभेद है, तो वह स्पष्ट होना चाहिये कि आपकी नीति क्या है।

आंकड़ों के बारे में मुझे अफसोस है कि माननीय गोविंद सहाय उनको कोई महत्व नहीं देते, लेकिन मनुष्य बाल्यकाल से आंकड़ों को देखता है, वरना अरियनैटिक, मैथेमेटिक्स की जरूरत क्या थी। सरकार के आंकड़ों पर हम विश्वास करने के लिये तैयार हैं, लेकिन ऐसे आंकड़ों का क्या महत्व और क्या विश्वास किया जाय जो सारे के सारे गलत हैं और मुझे दुःख होता है कि महामान्य राज्यपाल के श्रीमुख से परस्पर विरोधी आंकड़े दिलवाये जाते हैं। मेरे सामने दो रिपोर्टें हैं। एक महामान्य राज्यपाल का भाषण और एक प्रोग्रेस रेव्यू। आप अभिभाषण के पेज ८ पर पढ़ लें जिसमें कहा गया है कि "against the provision of nine bridges in the Plan twenty six major bridges have been completed." "यानी इतनी प्रगति की कि ९ पुल की जगह २६ पुल बन गये। बड़ी तरक्की हुई। तो यह तो अभिभाषण में कहा गया है और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है उसके पेज २७ की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। इसमें क्या लिखा है--इसमें माननीय सम्पूर्णानन्द जी के हस्ताक्षर हैं--इसमें लिखते हैं कि "as against the target of six new bridges four major bridges have been completed."

"मेजर ब्रिजेज" शब्द दोनों में मौजूद है, इसलिये मैंने अंग्रेजी में पढ़ा। अभिभाषण में तो कहा गया है कि ९ पुलों से बढ़कर २६ बन गये यानी नौ नयी सवाई, तिगुनी तरक्की हुई और प्रोग्रस रेव्यू में लिखा है केवल ४ बने। एक तरफ २६ नये पुल और दूसरी तरफ ४ पुल! महामान्य राज्यपाल, जरा अपनी सरकार से पूछें कि कैसे गलत आंकड़े आपने दिये हैं और केवल पुलों के ही नहीं, सड़कों के आंकड़े गलत, आप पढ़ लीजिये, जन्म-मृत्यु के गलत, सिंचाई के गलत। आंकड़े आप जरूर बनावें, लेकिन कोई पढ़ें तो परस्पर विरोधाभास तो न मालूम हो। और यह भी पता नहीं चलता कि कहां पर क्या है, यह पंचवर्षीय योजना कहां अब तक चलायी गयी।

अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सबसे सहयोग के लिये कहा जाता है। ठीक है, सहयोग मिलना चाहिये, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या हैं यह भी तो देखिये। अभी पिछले वर्ष माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने बतलाया कि जितना कोयला, लोहा, सीमेंट द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये आवश्यक है उतना सरकार को मिलता ही नहीं है। जरूरत है २,६३,००० टन लोहे की और मिलता है ४२,००० टन। ६२,००,००० वैगनों की जरूरत है मिलते हैं ५०,०००। तो चौथाई के बराबर लोहा मिलता है। सीमेंट आधा भी नहीं मिलता। जितने कोयले की जरूरत है वह नहीं है तो फिर कैसे हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल हो सकती है और कैसे उसमें आप हमारा सहयोग चाहते हैं जबकि रिसोर्सेज नहीं और नीति-निर्देशन नहीं कि यह कमी कैसे पूरी की जा सकती है।

तो यह रही परिस्थिति आंकड़ों और साधनों की। फिर रही राष्ट्रीय आय की बात। उसके बारे में भी माननीय राज्यपाल को गलत सूचना दी गयी। राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में जो हमें आंकड़े दिये गये हैं और महामान्य राज्यपाल को बतलाये गये हैं वह कांस्टेंट प्राइसेज के बारे में बतलाये गये हैं ४८-४९ में सरकार अपने बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स को देखे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के आंकड़े परस्पर विरोधी हैं। इनकम यू० पी० की पिछली साल से ४० करोड़ रुपया कम हुई है हमारी सरकार कहती है कि बढ़ गयी है। कांकरेंट प्रांइसेज के अनुसार हमारी इनकम २५९ करोड़ से २१२ करोड़ रुपया रह गयी है। ४७ करोड़ घट गयी है, जब कि बतलाया जाता है कि २० करोड़ रुपया बढ़ गयी है। बुलेटिन आफ स्टैटिक्स मौजूद हैं, माननीय मंत्री जी देख सकते हैं। हम नहीं कहते कि समाजवाद एक रात में, एक दिन में आने वाला है। हम भी जानते हैं कि समाजवाद कब आने वाला है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है। समाजवाद एक रात या एक दिन में आने वाला नहीं है और २०-२५ साल की बात है। लेकिन एक आध कदम तो आगे बढ़े। यहां तो बात यह है कि एक कदम के आगे बढ़ाने की बात कही जाती है और दो कदम पीछे हट जाते हैं। इसलिये हमें सखेद महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ती है।

इसी तरह से और भी बहुत से प्रश्न हैं। आजकल हमारे यहां औद्योगिक उत्पादन घटता चला जा रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १९४६ में १८० था वह १९५२ में १०८ रह गया। इसके बाद के आंकड़े नहीं बनाये गये। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स बढ़कर १२२ प्वाइंट हो गया है। लेकिन आप देखें कि यह किस साल बढ़ा जब कि बाढ़ आई। राज्यपाल महोदय सरकार से पूछें कि यह क्या चमत्कार है कि इस साल बाढ़ आई और उत्पादन बढ़ गया। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वैल्यू घट गई। आप १९५०-५१ में देखेंगे कि इंडेक्स १०५ से घटकर ६९ रह गया था। यह हालत है आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की। इसलिये यह घोषणा होनी चाहिये थी कि किस तरह से इसकी पैदावार में और मूल्य में संतुलन रखा जायगा।

इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि शिक्षा नीति को घोषित किया जाय। शिक्षा में जो यूनिवर्सिटी एटोनामी का हनन किया गया है वह नहीं होना चाहिये। ला फैकल्टी के दो हिस्से कर दिये गये हैं आपने जबकि कलकत्ता वगैरह बाहर के सब लोग बराबर कहते रहे कि इसके दो हिस्से नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपने कर दिये। क्या कारण है कि आज पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों कहते हैं कि हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा दी जायगी और हमारी सरकार दर्जा १,२,३ की बात करती है। पंजाब में भी कांग्रेसी सरकार है और अपने यहां भी कांग्रेसी सरकार है।

मैं भी चाहता था कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद दे सकूं। माननीय सदस्य आंवला और मुरादाबाद के साथ मैं भी अपनी स्वर लहरी को मिला सकूं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। वह इस प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं। वह जो यहां पर राज्य भवन से चलकर ऐसा नीरस भाषण देने के लिये उपस्थित हुये, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन भाषण के जो भाव हैं और नीति है उसके लिये मैं धन्यवाद देने में असमर्थ हूं और अगर दिया जाय तो उसी समय जब कि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये, उनके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है, जैसे समाजवादी ढांचे का समाज, उसके लिये जो सरकार को कार्य करना है, काश्मीर का मामला, निष्पक्ष चुनाव और उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े कारखानों का खोलना आदि। विरोधी दल की ओर से जो भ्रष्टाचार और

[कुमारी कमलकुमारी गोइंदी]

डकैती आदि के बारे में कहा गया है, उसके लिये मैं बाद में सुझाव आदि दूंगी। पहले मैं थोड़ी सी बातें प्रस्ताव समर्थन में कहना चाहूंगी। जहां तक काश्मीर का प्रश्न है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। सदन में इस तरफ के बैठने वाले और सामने बैठने वाले सब सदस्य इस मामले में न केवल सरकार के पीछे हैं बल्कि हर तरह से उसका साथ देने के लिये तैयार हैं। जहां तक सरकार और उसके कर्मचारियों का संबंध है उनका कार्य आम चुनावों में सराहनीय रहा है। उन्होंने परिस्थितियों को, मर्यादा को ठीक रास्ते पर रखा है और बिना किसी झगड़े या पक्षपात के दुनिया भर में सबसे बड़े चुनाव को निभाया है। माननीय सदस्य भी, चाहे सरकारी दल के हों या विरोधी दल के हों, शांति और मर्यादा पूर्वक चुनाव में सहयोग देने के लिये बधाई के पात्र हैं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग देश को आगे ले जाने में भी रहेगा। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखाने जो घरेलू उद्योग-धंधों में सहायक हों, या कम से कम बाधक न हों इस राज्य में जो भारत के सबसे गरीब प्रदेशों में से है कायम होने जरूरी हैं।

अब मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उस भाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो हमारी नीति का मूल मंत्र है और वह है समाजवादी ढंग की समाज रचना। महामान्य राज्यपाल ने ठीक ही कहा है कि समाजवादी ढांचे की ठीक-ठीक परिभाषा नहीं की जा सकती। इसका अर्थ लोगों में जहां तक हो सके आर्थिक समानता लाना है, नीचे वालों को ऊपर उठाना और ऊपर वालों को नीचे लाना है। कहा जाता है कि फिर इसको सीधे-सीधे समाजवाद ही क्यों नहीं कह देते। हमारा कहना यह है कि प्रचलित समाजवाद के साथ जो विचार और इतिहास जुड़े हुये हैं वे हमारी परम्परा और सभ्यता के साथ मेल नहीं खाते। इसलिये हमारा समाजवाद एक निराला समाजवाद है, इसको जड़ गांधी विचारधारा में है। हमें क्रांति पैदा करनी है और कर रहे हैं, शांति और वैधानिक तरीकों से, यदि सम्भव हो हृदय परिवर्तन से और कानून से यदि जरूरी हो। बदअमनी और हिंसा की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमें खुशी है कि हमारे देश के दूसरे राजनीतिक दल भी इसी विचारधारा की ओर आ रहे हैं। हाल ही में केरल के साम्यवादी दल ने संविधान के अन्दर सरकार बनाना और कार्य करना स्वीकार किया है। यह भारत के भविष्य के लिये अच्छा शकुन है। हमारे विचार चाहे कुछ भी हों परन्तु उनको संविधान और मर्यादा के अन्दर रहकर ही फैलाना ठीक है और हमें आशा है कि केरल सरकार ने जो कुछ किया है वह बिना किसी मेन्टल रिजर्वेशन के किया है और इसको यह समझ कर किया है कि भारत का हित इसी किस्म की राजनीति में है।

हमने पिछले दस वर्ष में क्या किया और आगे क्या करेंगे। शहरों में हम देखते हैं कि नई सड़कें, नई सरकारी इमारतें, मजदूरों के रहने के लिये अच्छे मकान और पलश-गांवों में नहरें, सिंचाई के लिये कुयें, पानी पीने के लिये कुयें और घरेलू उद्योग धंधे दिखाई देते हैं। ये सब चीजें आज प्रदेश में इतनी दिखाई देती हैं कि जो विदेशी राज्य में २०० वर्षों में भी नहीं हो सकी थीं। फिर भी इतने थोड़े समय में सैकड़ों वर्ष की तबाही के बाद यह निर्धन देश सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है। जो कुछ हो सकता है वही करने में और आगे जो योजनायें हैं उन्हीं को पूरा करने के लिये इतने धन की आवश्यकता है कि गरीब जनता के लिये करों का बोझा उठाना कठिन हो रहा है और न ही डेफिसिट फिनेंसिंग कोई अच्छी चीज है। परन्तु फिर भी हमारे नेताओं ने उसी हिम्मत के साथ जिस हिम्मत से उन्होंने साधनहीन होते हुये भी उस ताकत से टक्कर लेकर जिसके पास विश्व भर में सबसे अधिक साधन थे स्वतंत्रता प्राप्त की, निर्धनता से भी लड़ाई शुरू कर दी है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी रहनुमाई के लिये आज भी वही नेता मौजूद हैं जिनको जनता के हर श्रेणी के सुख-दुख का अनुभव है। स्वतंत्रता के युग में जनता का सहयोग लेने के लिये ही उन्होंने शहर की गली-गली में और देहात के कोने-कोने में ही अपना समय नहीं बिताया अपितु जेल के अन्दर रहने वालों के दुःख-दर्द में भी भाग लिया है। हममें से बहुतों ने आजादी हासिल करने में उनका साथ दिया है और आज गरीबी के साथ युद्ध में भी उनका साथ दे रहे हैं। आजादी का अभी बचपन है और जनता ने यह ठीक ही फैसला कर दिया है कि इस बच्चे का पालन-पोषण उसके पैदा करने वाली मां के ही हाथों से होना चाहिये और आज उसी के

हाथ में फिर से इसको सौंप दिया है लेकिन खेद की बात है कि आवश्यकता के मुताबिक खाना कपड़ा होते हुये भी उसका वितरण ठीक नहीं हो सकता जब तक गरीब जनता के पास उसको प्राप्त करने के साधन न हों।

यहां पर २० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी पांच रुपये प्रति व्यक्ति है और ३१ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी १० रुपये मासिक है। उसके लिये क्या किया जाय? किन साधनों को जुटाया जाय जिससे इन लोगों की आमदनी बढ़ सके और समाजवाद को हम ला सकें। इस ग्रुप में खेतिहर मजदूर, विधवायें और उनके बच्चे भी शामिल हैं। इन सब को कैसे ऊपर लाया जाय? जब हम इनको ऊपर लायेंगे तभी हम समाजवाद को ला सकते हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके घरों में हम सहायक धंधे पहुंचावें। करोड़ों के घरों में धंधे पहुंचाने का एकमात्र तरीका है कि ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे लोग खुद अपने आप को काम में लगा सकें यानी लोग काम सीखें और करें और उनकी उपज की खपत वहीं की वहीं पर हो जाय। यही विचार गांधी जी के रामराज्य का था कि हेल्दी सेल्फ सफीशियेन्ट विलेजेज हों यानी ऐसे गांव हों जो अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर सकें यानी रोटी और कपड़ा वे अपने-अपने गांवों में खुद पैदा कर लें और ऐसी भावना पैदा की जाय जिससे स्थानीय बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ही उचित माना जाय।

स्त्रियों को खेती और अन्य ऐसे कामों से हटाकर कपड़ा तैयार करने, दूध वाले जानवर पालने, शहद की मक्खियां पालने, मुर्गी पालने जैसे कार्यों की ओर लगाया जावे और उसमें उनको सहायता दी जावे। इससे जो मजदूरों का काम है उससे आधे मजदूर यानी औरतें हट जायंगी। और वह काम आप दूसरे मजदूरों से करवा लें जिससे अच्छी और अधिक मजदूरी करने वालों की शक्ति बढ़ेगी। जिन इलाकों में चरखे चालू हैं वहां स्त्रियों को घरों में काम मिल जाता है और वे बाहर का काम नहीं करतीं। वहां मजदूरों की मजदूरी लगभग तिगुनी है और काम भी लगभग तिगुना होता है। बापू जी ने चरखा सब सुधारों का सूर्य बताया है। वह इनको रोशनी और जीवन देता है। चाहे वह हरिजनोद्धार से संबंधित हों या स्त्रियों के उद्धार से हों इन सब की नींव चरखे पर होगी। इमारत चाहे जो अपनी जरूरत के मुताबिक खड़ी कर लें लेकिन जैसे इमारत नींव नहीं होती, लेकिन नींव के बिना इमारत नहीं हो सकती इसी तरह से चरखा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इसके लिये बहुत काफी गुंजाइश रखी है कि इस प्रकार काम करने वाले जो अपने मामलों को अच्छी तरह से पेश करें वे सरकार से हर प्रकार की सहायता ले सकते हैं मगर हर बात में सरकार की ओर देखना अच्छा नहीं है और न उसकी जरूरत ही है। अच्छे कामों में सरकार की सहायता न भी मिले तो भी हमारा काम नहीं रुकना चाहिये। चरखा ऐसी सस्ती चीज है जिसे एक मजदूर भी खरीद सकता है, एक तकली जो एक आने में तैयार हो सकती है वह हमें पूरी तरह से वस्त्र के लिये स्वावलम्बी बना सकती है।

अब आज जो हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार और डाके के बारे में कहा है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहती हूं। मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देती हूं कि डाकों को रोकने के लिये जो रजिस्टर्ड खराब आदमी हैं उनको छोड़ कर जगह जगह बन्दूकों के आम लाइसेंस दिये जायं, दूसरे उन बंदूकों के लिये कोई लाइसेंस फीस न ली जाय।

दूसरी तरफ के हमारे एक भाई ने कहा था कि जो धरती नदियां काट देती हैं उसके कारण गांव उजड़ जाते हैं और गांव इधर से उधर भी हो जाते हैं। इसी तरह की बात मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में भी है और बहुत से ऐसे गांव हैं कि जिनकी बर्बादी गंगा की धारा पलट जाने से ही गई है और लोगों के लिये वहां धरती का हासिल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा सुझाव यह है कि हमें इस कानून में कुछ तब्दीली करनी चाहिये। जब यह कानून बना होगा, संभव है उस समय छोटे-छोटे राज होते हों और उनकी सीमा नदी हो। अब इसमें यह तब्दीली होनी चाहिये

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

कि जमीन यदि दूसरी तरफ भी निकल जाय तो भी उसके मालिक किसान को उस पर खेती करने का हक होना चाहिये । या तो वह उस जमीन को बेच सके अथवा उसे खुद नाव पर जा कर जोत बो सके, इसका हक उसे होना चाहिये ।

तीसरी चीज हमारे सामने भ्रष्टाचार की है । हमारे बहुत से भाइयों ने उसके बारे में कहा और पालीवाल जी ने तो कल यह कह दिया कि जब मैं सरकार के अन्दर था तब भी मैं इस के बारे में कहता रहा और जब मैं सरकार से बाहर हूं तब भी इस के बारे में कहता हूं । लेकिन अगर वह इतने टाइम तक कहते ही रहे, तो बुजुर्ग भाई से मेरी यह प्रार्थना है कि आओ, हम सब मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकालें और उस पर चलें कि जिससे इस भ्रष्टाचार का नाश हो जाय । कोई भी यह मानने के लिये नहीं हिचकेगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके नष्ट किया जाय । इसको दूर करने की समस्या हर एक के सामने है । एक डिपार्टमेन्ट बनता है और एक व्यक्ति रखा जाता है । हर तरफ उसके बारे में बात की जाती है । मैं यह चाहूंगी कि हम ४३० व्यक्ति, जो कि सारे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, हम सब को अपने-अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ मान्यता प्राप्त है और अगर वहां के समाज में और उस कांस्टीट्यूएन्सी में हम को कुछ मान्यता प्राप्त है तो हम उनके अन्दर से, वहां के लोगों के अन्दर से इसका नाश कर सकते हैं । इसका क्या तरीका हो ? इसका एक तरीका यह है कि हम सब लोग मिल कर इस कार्य को करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गत ११ अप्रैल को इस आशा और विश्वास के साथ अन्य माननीय सदस्यों के साथ इस सदन में आया था कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होगा उसमें आने वाले पांच वर्षों के लिये राज्यपाल महोदय उन नीतियों की ओर संकेत करेंगे जिसको कि आने वाली सरकार लागू करेगी । लेकिन जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । उनका वह अभिभाषण मुझे एक अभिनन्दन-के रूप में दिखाई पड़ा । लगता ऐसा था कि जैसे सरकार को वह एक अभिनन्दन-पत्र समर्पित कर रहे हों । जैसे अभिनन्दन-पत्र समर्पित करते समय दोषों को छुपा दिया जाता है और गुणों को बढ़ा-बढ़ा कर उनकी प्रशंसा की जाती है, ठीक यही रूप रेखा उनके अभिभाषण की मुझे दिखाई पड़ी और आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि जिस प्रकार की प्रशंसा कुछ विभागों की की गई है वह आंकड़ों से बिल्कुल गलत साबित होती है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके सदन के सामने सिद्ध किया है । मैं भी उनकी कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा जिनका कि उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है और जिनकी बड़ी प्रशंसा की है । महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो पहली बात है वह चुनावों के निष्पक्ष होने की है जिसकी बड़ी सराहना की गयी है कि अधिकारियों ने बड़ी निष्पक्षता के साथ चुनाव का संचालन किया है । सम्भवत: उनको इस बात का आभास न हुआ हो किन्तु हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन साहबान जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन होने के पद का खुल कर दुरुपयोग किया है । उन्होंने बोर्ड के अध्यापकों का, मवेशीखाने के मुंशियों का और टैक्स कलेक्टरों का खुलकर इस्तेमाल इस चुनाव के अन्दर किया है । इससे जनता के अन्दर एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है । जनता यह समझने लगी है कि अगर सत्ता का ऐसे दुरुपयोग किया जायगा, अगर ऐसे ही शासन सूत्र का दल, विशेष अपने हित में प्रयोग करेगा तो सम्भवत: प्रजातन्त्र का भविष्य हमारे देश के लिये उज्ज्वल नहीं होगा ।

दूसरी बात महामान्य राज्यपाल के भाषण में मुझे यह खटकती है कि उन्होंने सिंचाई विभाग की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा की है । उन्होंने अपने अभिभाषण में

सिंचाई विभाग के लिये कहा है कि "मुझे हर्ष है कि सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति हुई है"। मैं इस विभाग के कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि पिछले चार वर्षों में सिंचाई कार्य जो हमारे प्रदेश में हुआ है उससे हमारे प्रदेश की सिंचाई की भूमि गिरी है बजाय इसके कि वह कुछ आगे बढ़ती। अभी तक जो आंकड़े सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में आये हैं उनको मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे स्पष्ट हो जायगा कि प्रदेश की सिंचाई की हालत गिरी है और वह अपेक्षाकृत पीछे गयी है। पिछले चार वर्षों में सिंचाई की स्थिति यह थी कि १९५१-५२ में ७१,०५,६८२ एकड़ भूमि सिंचाई के अन्दर थी जो सन् १९५४-५५ में घट कर ६८,०५,९५५ एकड़ रह गयी। इसी दौरान में कमाल की बात यह है कि ३० करोड़ रुपया इसके लिये और अधिक खर्च किया गया है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी सिंचाई की भूमि कम होती गयी। सन् १९५४-५५ में नहरों से आने वाला मुनाफा घट कर ६.०२ प्रतिशत हो गया जब कि १९५१-५२ में ८.३ प्रतिशत मुनाफा होता था। इस तरह से नहर का रेट बढ़ाने पर भी यह मुनाफा घटता गया है और वह घट कर काफी नीचे आया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल महोदय ने जिन आंकड़ों का जाल फैलाया है वह एक धोखे की टट्टी है और लोगों को भुलावे में डालने की बात कही गयी है। हमारा अनुभव है और हमने देखा है कि लम्बी-चौड़ी बात इस सिंचाई के सम्बन्ध में कही गयी है कि इतनी नहर बनायी गयी हैं लेकिन किसानों की आज भी वही दशा है और वह आज भी अपनी भुजाओं के बल पर मेहनत करके खेत की सिंचाई करता है और आपके ट्यूबवेल उसके लिये कोई अर्थ नहीं रखते। जब वह अपनी जेब को देखता है तो आपके ट्यूबवेल से पानी लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है। आपके ट्यूबवेल वैसे ही पड़े रह जाते हैं। हमारा हर चीज को समझने और देखने का अपना एक दृष्टिकोण है और हम आपके आंकड़ों के जाल में नहीं फंसते हैं। हमारा तो सीधा सा सवाल है। यदि आपकी सरकार ने पिछले १० साल में कुछ किया है और उससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे और अगर वह नीचे गिरा है तो यह आपकी असफलता है, आपका निकम्मापन साबित होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यदि लखनऊ शहर के उस सर्वे को देखा जाय जो जे० के० इंस्टीट्यूट आफ लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया है तो सम्भवतः उसको देखने से सरकारी दल की आंखें खुल जायंगी। लखनऊ जो हमारी राजधानी है इसकी क्या हालत है? इसमें कहा गया है कि :

"Lucknow the capital of Uttar Pradesh is a city with general poverty, poor living conditions, acute shortage of housing and very inadequate provisions of public utility and civic amenities."

यह हालत आपके लखनऊ नगर की है। आज भी यहां ५२ फीसदी लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी का स्तर है उससे भी नीचे गिरे हुये हैं। लखनऊ में शिक्षा की बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन आज भी केवल २६ प्रतिशत मुहल्लों में प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। बालकों के लिये और केवल १२ प्रतिशत मुहल्लों में बालिकाओं के लिये हैं। प्राइमरी शिक्षा किसी भी देश के लिये नितान्त आवश्यक है और इसमें बालक का भविष्य निर्माण होता है। उसके लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पिछले पांच वर्षों में स्कूलों तथा विद्यार्थियों की संख्या काफी घटी है। सन् १९५०-५१ में ५५० नये प्राइमरी स्कूल खोले गये सब ३१,९७९ स्कूल थे, २७,२७,१२३ छात्र उनमें पढ़ते थे। १९५१-५२ में ३२ हजार से उपर स्कूलों की संख्या हुई और छात्रों की संख्या २८,४०,२८३ थी। १९५२-५३ में स्कूलों की संख्या घट कर ३१,८०४ हो गई और छात्रों की संख्या भी घटकर २७,४२,७६० हो गई। १९५३-५४ में स्कूलों की संख्या ३१,११९ हुई और छात्रों की संख्या २६,९४,५४५ थी। १९५४-५५ में स्कूलों की संख्या ३१,५०३ थी और

[श्री चन्द्रजीत यादव]

छात्रों की संख्या घट कर २६,६१,४०२ हो गयी। ये शिक्षा के आंकड़े हैं। अधिष्ठाता महोदय, जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश की गई है, भला ऐसे अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का हम कैसे समर्थन करें?

अगर वह अभिभाषण ऐसा होता हैं कि जो सही मानों में प्रदेश की उन्नति का चित्रण करता, वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालता और जिस प्रकार के समाज का हम निर्माण चाहते हैं जैसी हम व्यवस्था चाहते हैं और उस पर वह प्रकाश डालता तो हम उसका समर्थन करते। लेकिन इसमें तो केवल भ्रम पैदा किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर प्रगतिशील समाजवादी सरकार का नाम ले लेकर सरकार अपने ऐसे कारनामों को करती रहेगी तो वह दिन भी आवेगा जब प्रगतिशील सरकार कहने में शर्म लगेगी और हमें कोई दूसरा शब्द ढूंढ़ना होगा। जिस प्रकार से खद्दर पहननेवालों ने अपने काले कारनामों से खद्दर को बदनाम कर दिया है और खद्दर पहनने में शर्म लगती है उसी तरह से प्रगतिशील समाजवादी सरकार का नाम लेकर भी इस व्यवस्था को यह सरकार बदनाम करेगी।

इसके बाद चिकित्सा की बात कही गई है कि बहुत सुन्दर व्यवस्था हो रही है। कहा गया है कि किसी भी नागरिक को चिकित्सा के लिये ५ मील से दूर नहीं जाना होगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम देहातों में देखते हैं कि हमारे लाखों गरीब भाई आप की अंग्रेजी दवा का लाभ नहीं उठा पाते हैं और अपने काढ़ों पर निर्भर करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जैसी कि यहां है जहां गरीबों और मरीजों की संख्या इतनी अधिक है। आपने कपड़े, गल्ले, शिक्षा की चीजों पर, दवाइयों पर टैक्स लगाया है और यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार जनता की सरकार नहीं है। न यह जनता के हित में सोचती है और न काम करती है। मुझे ये बातें कहने में कोई आनन्द नहीं आता है। लेकिन दिल जलता है जब हम देखते हैं कि अपनी सरकार होते हुये भी जिस नये समाज की रचना का स्वप्न हम देखते थे उस सपने के ऊपर आपने पानी फेर दिया। हमने जब कुरबानी की, जब स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये हमारे नौजवानों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और कुरबान हुए तो उनके सामने एक लक्ष्य था, लेकिन आज आपने उन नौजवानों को बगैर किसी लक्ष्य के भटका दिया है और आज नौजवान दरख्वास्त लेकर नौकरियों के लिये मारा-मारा फिरता है। यूनिवर्सिटियों की शिक्षा प्राप्त कर नौजवान भटकता फिरता है। तो हमें शर्म आती है और सोचते हैं कि हमारे देश की क्या हालत होगी? शासक दल की ओर से सरकार के निष्पक्ष होने की बात कही गयी है और विरोधी दल के लोगों ने सरकार के भ्रष्टाचार की बात कही। विरोधी दल के लोग भ्रष्टाचर का हौआ खड़ा करते हों ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मऊ म्युनिसिपैलिटी के अन्दर, वहां की म्युनिसिपैलिटी जो कुछ भी कर रही है वह प्रजातन्त्र का खुला दुरुपयोग ही है और जिसको देख कर शर्म आती है। म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर विरोधी दल के सदस्यों पर जूता निकाला जाता है और उनको अपनी बात कहने नहीं दिया जाता है। और जब सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो वहां भी सरकार कोई सुनवाई नहीं करती।

इसी प्रकार मऊ के अन्दर बुनकरों की एक सहकारी समिति है। उसमें ३० लाख रुपये का गबन हुआ। उस गबन को लेकर सदन में एक काम रोको प्रस्ताव भी आया लेकिन सरकार ने उसको यह कह कर टाल दिया कि जांच-पड़ताल हो रही है। लेकिन अफसोस है कि वह चीज अभी तक प्रकाश में नहीं आयी कि जो गबन हुआ है उसकी क्या जांच-पड़ताल हुई और उसकी रिपोर्ट क्या है? और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार किस नतीजे पर पहुंची है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो तीन बातें और बता देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की मूल नीति की ओर निर्देश किया होता, वह यह बताने की कोशिश करते कि नयी व्यवस्था में क्या प्रशासन और न्याय को अलग अलग किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने इस बात का तो जिक्र किया कि बहुत बड़ा जनतांत्रिक चुनाव हुआ लेकिन वे यह बताते कि उससे क्या कुछ नतीजे निकले और यह देख कर कि जातिवाद और धर्म की आड़ में जो पाखंड मचा है, वह जनतंत्र के लिये खतरा है, उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या सोचा है। अगर उन्होंने इस जातिवाद की समस्या को हल करने के लिये कोई उपाय नहीं किया तो इस प्रजातन्त्र का भविष्य अंधकार मय है। सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे जो जाति पांति के भेदभाव को तोड़ने के लिये आगे बढ़ें। इसके लिये सरकार नौकरियों में इस बात की शर्त लगाये कि जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करेंगे उन्हीं को नौकरियों में तरजीह दी जायगी। सरकार इस बात के लिये एक विधेयक लाये कि नौकरियों में उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जायगा जो जातिवाद को निर्मूल करने के लिये काम करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—आज माननीय वक्ताओं ने 'आप' शब्द का काफी प्रयोग किया। इस सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग चेअर के लिये होता है लेकिन आज जो आम तौर पर यह कहा गया कि 'आपने यह किया वह किया' उस 'आप' शब्द से चेअर का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इस सदन में बोलते समय 'आप' शब्द का प्रयोग सरकार के लिये नहीं होना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच सालों में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, प्रदेश के विकास और उसके निर्माण के लिये जो-जो किया है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी पक्ष का हो अथवा विरोधी पक्ष का हो, सराहना किये बगैर नहीं रह सकता। हमारे निःपक्ष इलेक्शन्स व प्रदेश के विकास व निर्माण की चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की, उनको दुहराना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन फिर भी हम निर्माण के किसी भी कार्य को लें, चाहे वह सड़क हो, चाहे पुल हों अथवा पुलिया हों, औषधालय हों अथवा अस्पताल, बांध हों या पावर हाउसेज या शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात हो, ऐसे सभी कार्यों की कोई भी मुक्त कंठ से प्रसंशा किये बिना नहीं रह सकता। लेकिन दूसरा पहलू भी है और वह है हमारा शासन प्रबंध व शासन प्रबंध करने वाले व्यक्ति। आज हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार गरीबी और बेरोजगारी है, उसको दूर करने में सरकार कहां तक सफल हुई है, यह पहलू भी उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे समाज का उत्थान व विकास करना आवश्यकीय व महत्वपूर्ण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार से एक घर है, चाहे वह गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, हर घर के इंसान के लिये नमक की आवश्यकता होती है। नमक चाहे मंहगा हो या सस्ता हो किसी न किसी प्रकार से हर इंसान उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है उसी प्रकार से समाज का भ्रष्टाचार हो चाहे वह किसी भी विभाग में हो, माल विभाग में हो, या नहर विभाग में, निर्माण विभाग में हो या बिजली विभाग में हो, या किसी विभाग में हो, वह सब का सब हर इंसान को अपनी आंखों से दीखता है। कोई इंसान अपनी किन्हीं आवश्यकताओं के लिये जहां कहीं भी जाता है, कचहरियों में पहुंचता है तो वहां भ्रष्टाचार के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। मैं यह समझता हूं कि नैतिक स्तर गिर जाने की वजह से ही हम लोगों ने उस तरफ अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि उस ओर ध्यान देना चाहिये था। शासन प्रबंध की इनएफिशियेंसी की यह हालत है कि एक आदमी दरख्वास्त देकर ६,६ महीने तक इंतजार करता है कि उसकी दरख्वास्त का क्या हुआ। एम० एल० एज० साहबान भी यह प्रयत्न करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से प्रार्थनापत्रों पर जल्दी उचित कार्यवाही की जाय और बार २ कोशिश भी की जाती है लेकिन फिर भी बावजूद उन तमाम कोशिशों के वे उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं करा पाते।

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

इसके साथ ही साथ जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में लिखा है कि सुरक्षा के प्रबंध में बड़ा सुधार हुआ है। कम से कम अपने जिले की बाबत मैं कह सकता हूं कि इस बारे में मैं अपने आप को उनसे सहमत करने में असमर्थ पाता हूं। उसका कारण यह है कि मुजफ्फरनगर जिले में सुरक्षा का जहां तक सम्बन्ध है पेश्तर सालों के मुकाबिले में वह दुगुनी और तिगुनी तक चोरी, डकैती, राहजनी आदि बढ़ गयी है। इन सब पर हमारी जब नजर पड़ती है तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार और अशांति अभी दूर नहीं हुयी है। जहां तक चकबंदी स्कीम का सवाल है हमने बड़ी कोशिश करके इस प्रदेश में सबसे पहले इस स्कीम को अपने यहां अपनाया। जिस स्कीम की हम कितने ही दिनों से पुकार कर रहे थे। प्रदेश का प्रत्येक किसान इस स्कीम को अपने यहां लागू कराना चाहता था, लेकिन सबसे पहले इस प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील में ही हमारे प्रयत्नों से चकबन्दी योजना आरम्भ की गयी वहां पर हमने जितनी ही एफेशियेंसी न्याय और सहूलियत के लिये कोशिश की उसका असर बिलकुल उसके उल्टा ही पड़ा। जिन आदमियों को हमने नुकसान से बचाने की कोशिश की, बावजूद हमारी सब कोशिशों के उन लोगों को हम नुकसान से नहीं बचा सके, बावजूद अपनी सारी कोशिशों के हम वहां के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सके। हमारे प्रदेश में विकास और निर्माण का काम चारों तरफ हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार पर काबू पाने में, शासन प्रबंध में एफिशियेंसी लाने में, और सुरक्षा की व्यवस्था ठीक करने में हमारा शासन प्रबंध कहां तक कामयाब हुआ है यह आज हमारी आंखों से ओझल नहीं हो सकता है। मैं फिर उसको दोबारा दुहरा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार नमक हर इंसान के लिये आवश्यक है उसी प्रकार से शासन प्रबंध का एफिशिएंट होना और शासन प्रबंध से भ्रष्टाचार का लोप होना भी उतना ही आवश्यक है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि कितने ही दिनों से काफी माननीय सदस्य इस सदन के और इस सदन के बाहर के व्यक्ति यह सुनते आये हैं—भारत के प्रेसिडेन्ट महोदय के मुखारविंद से और इस सदन के माननीय सदस्यों के मुखारबिन्द से भी कि जो आज हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और बावजूद तमाम और सब की कोशिशों के हमारी शिक्षा की प्रणाली में एक अक्षर का भी परिवर्तन नहीं हो सका है। कितना स्टैन्डर्ड आफ एजूकेशन गिरा है, कितनी विद्यार्थियों की संख्या घटी है? इसका क्या कारण है, उसे हमें खोजना पड़ेगा। हमें शिक्षा की प्रणाली में उन्नति लानी होगी, उसमें लड़कों की संख्या क्यों घटी, बालिकाओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, इसके ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इस के साथ ही साथ मुझे आशा है कि हमारे नये शिक्षा मंत्री महोदय जिन्होंने इस प्रदेश की सिचाई व्यवस्था का संचालन करने में अपनी पूर्ण कुशलता और योग्यता का परिचय दिया है औ जिन्होंने इस प्रदेश के बहुत से सूखे हिस्सों को आबपाशी का दान दिया है, नये बांध और बंधियों का प्रबंध कर के हजारों, लाखों और करोड़ों एकड़ भूमि को बाढ़ के प्रकोप से बचाया है और नई नई नालियां ड्रेनज निकाल कर लाखों एकड़ भूमि को बारिश की बहती के नुकसान से बचाया है उन से अब आशा है कि वह अपने इस नये शिक्षा के विभाग में यानी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे और जो दूसरा अधिक महत्वपूर्ण गृह विभाग उन के पास आया है उस के विषय में भी हमें पूर्ण आशा है कि उस के प्रति जो अविश्वास जनता में पैदा हो गया है उसे वह अपनी कार्यकुशलता के फलस्वरूप दूर कर के विभाग में सफलता और जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे सूबे में गन्ने का उत्पादन तो बढ़ा है और उसके उत्पादन के साथ पेराई भी अधिक हुई है लेकिन मुझे यह कहते हुये अफसोस होता है कि पिछले ३–४ साल की मुतवातिर आवाज व कोशिशों के बावजूद भी गन्ने के अतिरिक्त मुनाफे के विषय में आज तक न केन्द्रीय और न प्रादेशिक सरकार ने कोई कदम उठाया है जिस से गन्ना उत्पादकों को वह अतिरिक्त मुनाफा मिल सके। एक बार नहीं अनेकों बार गन्ना फेडरेशन

के प्लेटफार्म से और गन्ना सोसाइटियों के द्वारा प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार से मांग की गई गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मुनाफे का भाग दिलाया जाय, कुछ मिलों के किसानों को, लेकिन आजतक उसके दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । केवल ५३–५४ सीजन का एक वर्ष का अतिरिक्त मुनाफा कुछ मिलों के किसानों को मिलाकर शेष सीजनों का मुनाफा दिलाने की कोई कोशिश नहीं की गई । गन्ने की पूरी कीमत भी किसानों की नहीं मिलती । बावजूद गन्ना उत्पादकों की प्रार्थना के कि १ मई या ७ मई के बाद गन्ने के मूल्य को रिकवरी के बेसिस पर आधारित न किया जाय क्योंकि उस वक्त रिकवरी ९.६ से कम हो जाती है और किसान को कभी भी बढ़ी हुई रिकवरी पर काम जो ११% तक हो जाती है बढ़ी हुई गन्ने की कीमत नहीं मिलती है । सो वह उसको क्यों बरदाश्त करें मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम उद्योग मंत्री जी से या गन्ना कमिश्नर महोदय से प्रार्थना करते हैं तो उत्तर मिलता है कि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है और फिर हम जब प्रादेशिक सरकार के उद्योग मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि वे इस विषय को केन्द्रीय सरकार के सामने उठावें तो हम लोगों को उत्तर नहीं के बराबर मिलता है । यह सब बातें ऐसी हैं कि जिन के ऊपर हमारे प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिये ।

साथ ही हमारे प्रदेश में जो एन०ई ० एस० ब्लाक्स खुले हैं । और कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजनायें जारी की गई हैं इस सिलसिले में मुझे इतना अवश्य कहना है कि बहुत कुछ काम एन० ई ०एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिये हमारे प्रदेश में जनहित के लिये हुआ है । लेकिन फिर भी मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने धन की व्यवस्था इसके लिये होती है, उतने जनहित के कार्य होते हैं या नहीं अपने देश की जनता की भलाई के लिये इसका समाधान करना इसका एग्जामिनेशन और इसकी इन्क्वायरी जरूर करा कर अपनी तसल्ली करना चाहिये । मैं समझता हूं कि जितना फायदा जनहित में पहुंचना चाहिये था अभी तक उतना फायदा एन० ई० एस० ब्लाक्स से हमारी जनता को पहुंचने में असफलता रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बात पर ध्यान दिया जायगा ।

इसके साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जिस समय सेल्स टैक्स लगा मैंने यह कोशिश की कि अपने वित्त मंत्री जी से कि गुड़ के किसानों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये । लेकिन मुझे आज भी मालूम है कि मुजफ्फरनगर की खतौली मंडी में बेचारे किसानों से सेल्स टैक्स लिया जा रहा है जबकि १२ हजार की बिक्री कर पर सेल्स टैक्स लगता है । कौन किसान होगा जिसकी गुड़ की बिक्री १२ हजार रुपये से ज्यादा हो ? फिर भी अगर वह सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो सेल्स टैक्स विभाग की ओर से लगाया जा सकता है न कि दूकानदार सेल्स टैक्स काट लें । बावजूद हमारी पूरी कोशिश के खतौली की मंडी में आज भी गुड़ से सेल्स टैक्स काटा जा रहा है । पिछली दफा हमने यह भी कोशिश की कि मंडियों के लिये एक नया बिल लाया जाय जिससे किसान का शोषण समाप्त हो जाय, जो कि मंडियों के अन्दर किसान का शोषण होता है । लेकिन मालूम नहीं कौन से वजूहात थे जिन की वजह से वह बिल अभी तक नहीं आ सका है । मैं अपनी प्रदेशीय सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिल को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें जिससे किसान का शोषण जो कि विभिन्न प्रकार की उसकी पैदावार की वस्तुओं के वहां पर ले जाने से होता है समाप्त किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त शुगर फैक्टरियों को कोआपरेटिव लाइन पर हमारे प्रदेश में खोले जाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । लेकिन जो चार शुगर फैक्टरियां केन्द्रीय सरकार से मंजूर हुई हैं मुझे खेद है कि उनकी प्रगति इतनी धीमी है कि हमें यह उम्मीद नहीं होती कि हम कोआपरेटिव बेसिस पर और अधिक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज अपने प्रदेश में खोलने में सफल हो सकेंगे और सहकारिता के आधार पर कोआपरेटिव मिलें खोल कर

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मिल मालिकों के शोषण का अन्त कर सकेंगे। जो कि लाखों करोड़ों किसानों का मिल मालिकों के जरिये हो रहा है ।

मैं पंचायतों के सिलसिले में भी एक बात कहना चाहता हूं । स्वर्गीय पूज्य महात्मा जी ने जिस समय हमारी स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव हमारे देश मे हुआ तो उन्होंने कहा था कि वह देश की स्वतंत्रता को ग्रामों से आरम्भ करना चाहते हैं । पंचायती राज कायम हुआ । लेकिन इन पंचायतों से कितना शांत वातावरण हमारे ग्रामों में भंग हो रहा है, कितना उससे दूषित वातावरण हुआ है यह प्रश्न भी विचारणीय है जिस पर हमारी प्रदेशीय सरकार को विचार करना चाहिये ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं । कि यह विषय जिस पर चर्चा हो रही है दो दिनों से, बड़े ही महत्व का विषय है बहुत से सदन के सदस्य इस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं और समय बहुत कम रह गया है । सभी पार्टियों के सचेतक से मैंने चर्चा कर ली है ।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के सदन का समय पांच बजे की बनिस्बत ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय । आशा करता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य इस प्रस्ताव को मानेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानना चाहता हूं ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा (सचिव श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि आज सदन का समय ५ बजे के बजाय ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव आया है मैं इसका समर्थन नहीं करता और इसलिये नहीं करता कि जिन चीजों को कह करके हम अपनी कांस्टीटचुऐंसी से आये हैं उनका कोई इसमें आभास तक नहीं है । अभी तक सरकार ने जो कुछ किया है उसी की हम मुखालिफत करते रहे और हमको आशा थी कि राज्यपाल अगले ५ सालों में सरकार क्या करने जा रही है उसके सम्बन्ध में कुछ कहेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई रोशनी नहीं आयी ।

मैं एक बात खासतौर से कहना चाहता हूं । जो कृषि की नीति है इसको अगर देखें कि कृषि से आज जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है, जितना एक एकड़ में पहले होत था वह आज गिर गया है। ८० प्रतिशत किसान इस देश में खेती करते हैं लेकिन इस भाषण में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लाभ की हो। मैं एक चीज आपके सामने रखूं। अभी १ महीने के अन्दर हिन्दुस्तान में कम से कम २५०-३०० करोड़ रुपये की लूट किसानों के साथ होने जा रही है। अभी गेहूं का भाव ढाई सेर का है, लेकिन जब वह गेहूं किसान के यहां आ जायेगा तो उसका भाव ४ सेर का हो जायगा और २ महीने बाद फिर २ सेर का हो जायेगा। तो यह जो सरकार की नीति है कि एक तरफ तो किसानों को लूटे और दूसरी तरफ कहे कि हमारी नीति प्रगतिशील है, बिल्कुल बेकार है । हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी धंधे हैं, चाहे किताब की दूकान हो, सीमेंट की हो, कपड़े की हो, लोहे की हो, दर्जी की या मिठाई की हो उनको चलाने के लिये एक भी पैसा टैक्स का नहीं पड़ता । लेकिन किसान अगर २ बीघे भी खेती करता है तो सरकार जबरदस्ती मालगुजारी वसूल करती है । तो इस सरकार का यह दावा करना कि हम प्रगतिशील समाज को चलाना चाहते हैं । यह कैसे होगा जब कि वह हिन्दुस्तान भर के उत्पादनों को छूट देती है और ८० फीसदी किसानों को एक भी पैसे की छूट नहीं देती ।

तीसरी लूट जो हो रही है उसका एक अंश यह भी है। आज हिन्दुस्तान में जितना कपड़ा बनाया जा रहा है उतना १० साल के अन्दर कभी हिन्दुस्तान में कपड़े का उत्पादन नहीं था। लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि कपड़े के दाम गिरे हों। मई, जून के अन्दर अनाज के दाम गिर सकते हैं लेकिन कपड़े का दाम, जुलाई, अगस्त या सितम्बर में गिरने वाला नहीं है। तो साफ़ जाहिर होता है कि सरकार की नीति किसान के लिये प्रगतिशील नहीं है बल्कि वह किसी दूसरे सेक्शन के लिये है। इसलिये यह चीज सोचने की है कि अगर सरकार चाहती है कि किसानो का हित हो तो सब से पहले किसी किस्म का रेशियो बांधे। अगर गेहूं ५ आने सेर है तो कपड़ा भी ८ आने गज हो। लेकिन कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि कपड़े के मालिक मिल मालिक हैं वे लाखों रुपया सरकार को देते हैं। अभी जनवरी में ३५ लाख रुपया कानपुर से आया है चन्दे के रूप में। दिल्ली में जब सवाल उठा तो प्रधान मंत्री ने कहा यह तो एक किस्म का दान था। वह किसान आज क्योंकि एक पैसा सरकार को दे नहीं सकता इसलिये उसके लिये कुछ नहीं, उस बेचारे गरीब किसान के फायदे के लिये कुछ नहीं और इंडस्ट्रियलिस्ट चूंकि ३५ लाख रुपया देते हैं तो उनके लिये सब कुछ इस सरकार की ओर से किया जाता है ताकि उनको फायदा और पहुंचे। एक खास सेक्शन के लिये कोई नीति अपनायी जाय और ८० फी सदी किसानों के लिये कोई नीति न अपनायी जाय, उस पर दावा यह किया जाय कि हमारी नीति किसानों के लिये प्रगतिशील है, धोका देना है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं एक योजना नहीं, दो, तीन, चार, ५ योजनायें आयें, ५०-१०० साल भी यही राज्य चले हिन्दुस्तान का फायदा नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान का फायदा नहीं हो सकता जब तक कि वह किसान के हित के लिये कानून न बनायें। इसलिए मैं इस चीज का समर्थन कर नहीं सकता। आज हमसे कहा जाता है कि हम समर्थन करें। किस चीज के ऊपर हम समर्थन करें? जितनी भी यू० पी० की नयी पालिसीज आयी हैं। उनके अन्दर एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें माननीय राज्यपाल ने कोई विशेष चीज कही हो।

मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं अपने कृषि मन्त्री को देखता हूं कि वह भी एक गांव से आये लेकिन उन्होंने अपनी योजना के अन्दर यह नहीं रखा। अगर वह आज पांच साला योजना में किसानों के फायदे की बात करते हैं तो वह कहें कि आज हिन्दुस्तान की सब से बड़ी योजना यह है कि किसान के एक-एक खेत के ऊपर पानी का इन्तजाम हो। करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन आज किसान के खेत बिल्कुल प्यासे रह जाते हैं। इसलिये इस योजना से क्या फायदा। अगर आज यू० पी० के गांव-गांव में अस्पताल हो जाय। यू० पी० के गांव–गांव में बिजली हो जाय, यू० पी० के गांव-गांव में गांधी जी का चित्र आ जाय लेकिन दूसरी तरफ लोगों के पेट के लिये रोटी न हो, जिस्म पर कपड़ा न हो तो हम ऐसी योजना नहीं चाहते। गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने से पहले कहा था कि अगर हिन्दुस्तान गरीब रहेगा तो ऐसे हिन्दुस्तान की आजादी को हम वापस कर देंगे। लेकिन आज मैं देखता हूं, गांधी जी के नाम को लोग लेते हैं, योजनायें बनाते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी खुद योजना बनाते हैं आज वह कहें और मैं राज्यपाल जी के भाषण में ढूंढ़ रहा था कि उन्होंने कम से कम जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के ऊपर कुछ चर्चा की है या नहीं लेकिन मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है। मुआवजा के मद में ४० करोड़ रुपया सिर्फ वसूल हुआ जब कि १८० करोड़ रुपया वसूल करना था। १४० करोड़ रुपया न जाने कहां चला गया। इस सरकार को स्कीमें ऐसी ही होती हैं। उस वक्त भाषण मैंने सुना था एक मंत्री ने दिया था कि किसान गाजे बाजे से रुपया देने आता है। कहां है वह बाजा? इसलिए आज जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो गयी। किसान बिल्कुल पैसा नहीं देना चाहता। गांधी जी का यह कहना कि किसान खुद अपनी जमीन का मालिक होगा, कहां तक पूरा हो सका। आज हम देखते

[श्री बलवान सिंह]

हैं, हमारे मंत्री जो बैठे हुए हैं आज तक पश्चिम के इलाको के लिए एक भी कानून ऐसा नहीं बना जिससे कि किसान यह सोच सके कि छः महीने से ज्यादा यह जमीन हमारे पास रहेगी। आप कानून बनाते हैं, तीन-तीन महीने के अन्दर जमीनों का कानून बदला जाता है, तो फिर ऐसी सरकार जो सरकार अपने कानूनों को खुद न सोच सके और उन कानूनों को चला न सके उस सरकार के लिए यह कहा जाय कि हम उसका समर्थन करें या ऐड्रेस का हम समर्थन करें तो कैसे हम कर सकते हैं ? सरकार को यह सोचना चाहिए।

एक दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाऊंगा। कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने चरित्र के ऊपर कहा था। यू० पी० के अन्दर देख लीजिए। कानपुर एक शहर है। कानपुर शहर के अन्दर मिल मालिकों के यहां कितने कितने नौकर रखे गए हैं ? मन्त्रियों के भाई, बेटे, भतीजे जिनकी मार्केट वैल्यू सौ-सौ रुपये दो-दो सौ रुपये भी नहीं है उनको आज नौ-नौ सौ रुपये और तेरह-तेरह सौ रुपया दिया जा रहा है। क्या यह जनतंत्र है ? इसलिए चाहे वह यू० पी० की सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो अगर आप देखें इस चीज को खास तौर से मिनिस्टरों के ऊपर देखें, हिन्दुस्तान में चरित्र को अगर बनाना है तो आज जो सरकार को चलाने वाले हेड हैं उनके ऊपर देखना होगा। डेनमार्क के एक मिनिस्टर का मैं उदाहरण दूं। डेनमार्क का एक मिनिस्टर एक रोज अपनी कार में खुद न जाकर पत्नी को उसमें भेज दिया और उसकी पत्नी ने जाकर बाजार से सब्जी खरीदी। लोगों ने देखा कि सरकारी कार में मिनिस्टर की पत्नी सब्जी खरीद रही है। लोगों के अन्दर चर्चा हुई, शिकायत हुई और मिनिस्टर को हटाया गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, मिनिस्टर खुद नहीं, बल्कि उसकी बीबी बच्चे रात दिन सरकारी कार को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चयरमैन साहब, मैं कहता हूं कि चरित्र की जो बात कही जाती है खासतौर से विरोधी दल की बात कही गई, कहा गया कि समाज के अन्दर लोग खुद चरित्रवान होकर आयें, लेकिन पहले ये मिनिस्टर तो खुद चरित्रवान बनें। आज देश के अन्दर और खास तौर से यू० पी० के अन्दर एक ऐसे चरित्र का निर्माण करने की बात सोचनी चाहिए जिससे कि आइन्दा हमारे देश में और समाज में ऐसे चरित्र की बात आये। मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूं। लकिन जो आजकल केरल में हो रहा है, क्या हो रहा है, केरल में ? मिनिस्टरों ने साढ़े तीन सौ रुपया अपनी तनख्वाह रखी। वह इस चीज को चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, यह दूसरी बात है लेकिन कम से कम एकचरित्र की बात आयी। कम्युनिस्टों को गाली आप दें, लेकिन गाली के देने से कुछ नहीं होता। एक साहब ने जनसंघ के ऊपर कहा। कहा गया कि ये तो भूल गये सब चीजों को। लेकिन अगर यही आक्षेप करें यहां के बहुत से सदस्य भी और बहुत से मिनिस्टर भी सन ३०, ३१ और ४२ की लड़ाई में कहां थे। जेल में कौन थे ? बहुतों की आंखें आती थीं बहुत से लोगों ने इरीगेशन टैक्सेज दे दिये थे सन ३० में। जन संघ पर आक्षेप करने से क्या होता है। सदन के और सदस्यों पर आक्षेप करके कांग्रेस की चर्चा अच्छी हो जाती है ऐसा सोनचा चेयरमैन साहब गलत है।

दूसरी चीज मैं आपके सामने गांव पंचायतों के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। आप क्या इन गांव पंचायतों से गांवों का निर्माण करेंगे। चुनाव पद्धति बैलट बाक्स के जरिये से होना चाहिये थी लेकिन सरकार ने वहां हाथ उठाने की इजाजत दे दी। गांव के मुहल्ले-मुहल्ले और घर-घर में झगड़ा हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि जब से गांव पंचायतें बनी हैं तब से मुकदमे बाजी दस गुनी बढ़ चुकी है। हमारे माननीय राज्यपाल जी ने माना है कि हमको मैजिस्ट्रेट को बढ़ाना पड़ा है, अदालतों को बढ़ाना पड़ा है। तो यह सरकार की उन्नति की निशानी नहीं है। देश के अन्दर मुकदमेबाजी बढ़े, अदावत और रंजिश बढ़े और चरित्र का पतन हो और इस पर सरकार यह कहती है कि उसकी नीति का समर्थन हो तो यह गलत है। मेरा खासतौर से सरकारी सदस्यों से कहना है कि

पचायतों के जरिये से गांव का निर्माण अगर सरकार करना चाहती है तो सब से पहले गांव पंचायतों का जो चुनाव का तरीका है उसको बदल दें वर्ना साल में दो साल में पंचायतों से सब लोग इतने आजिज हो जायेंगे कि एक भी आदमी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। हाथ उठाने से गांव के अन्दर गुटबन्दी होती है। गांव पंचायत में होना तो यह चाहिये था कि एक थानेदार या कांस्टेबिल जुल्म करता है तो वहां पंचायत रजिस्टर पर लिखा लें लेकिन आज उसकी जगह कानून यह है कि गांव में कोई आदमी अपनी शादी के लिये पेड़ काटता है तो सभा उसको इजाजत न दे। अगर पंचायत के अन्दर कानून यह होता कि लोहे और सीमेंट की जरूरत हो तो सभापति के कहने से तहसीलदार दे दे लेकिन उसकी जगह पर होता यह है कि अगर गांव में सब्जी वाला आता है तो वह एक आना टैक्स दे। इन कानूनों से क्या होगा। इस पालिसी को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि देश नीचे की तरफ जा रहा है।

नौकरियों का जहां तक सम्बन्ध है समाजवादी ढांचे की बात कही गई है। यह समाजवाद क्या है। एक पुराने सदस्य ने कह दिया कि हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। समाजवाद की परिभाषा इतनी तो कम से कम माननी ही पड़ेगी कि लोगों की आमदनी में फर्क अधिक न हो। मैं तो सूबे की सरकार से कहता हूं कि सूबे के अन्दर करोड़ों आदमी सबेरे से शाम तक खून पसीना बहा कर आठ आने रोज मजदूरी पाते हैं और जब फसल का वक्त आता है तो एक रुपया या १२ आने पाते हैं। दूसरी तरफ सूबे में कैलाशपति सिंहानिया हैं। बड़े-बड़े मिल मालिक हैं। एक तरफ करोड़ों आदमी आठ आना रोज मजदूरी पाते हैं और दूसरी तरफ यू० पी० के अन्दर १५–२० लोग एक-एक लाख या डेढ़-डेढ़ लाख रुपये रोज का लाभ उठाते हैं। पर यह सरकार अगर ऐसा दावा करे कि यही समाजवाद है तो ऐसा कह कर वह समाजवाद के नाम पर कलंक लगाती है। अगर समाजवाद की परिभाषा बतलाने में वह असमर्थ है तो मैं सरकारी पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वे कम से कम समाजवाद की परिभाषा को पढ़ कर कहने की कोशिश करें या कह न सकें तो उसकी कथनी के मुताबिक करने की कोशिश करें। इसलिये देश के अन्दर, सूबे के अन्दर खास कर एक तरफ एक-एक या डेढ़-डेढ़ लाख की आमदनी पाने वाले लोग और दूसरी तरफ आठ-आठ आने आमदनी पाने वाले आदमी से यह सिद्ध होता है कि यह सरकार एक साल नहीं लाखों साल चलती रहे तो भी समाजवादी राज्य स्थापित नहीं हो सकता।

गन्ने का सवाल है। सरकार ने और खासतौर से माननीय हमारे राज्यपाल जी ने कहा है कि गन्ने के अन्दर तरक्की हुई है, गन्ने के उत्पादन में तरक्की हुई है और कई मील खोलने वाले हैं। कई मील खोलने से क्या फायदा होगा ? मेरठ और बुलन्दहर जिले में लाखों मन गन्ना लोगों का जून के अन्दर सड़ जायगा और सूख जायगा। जब गन्ने में ज्यादा रस होता है, सरकार को चाहिये कि मिल मालिक से उसके ज्यादा दाम दिलाये, लेकिन तब सरकार मिल-मालिक की ओर देखती है और ठीक ५ मई के बाद उस गन्ने के दाम जो आज एक रुपया, पांच आने मन थे वह फिर गिर जायंगे। कितना साथ दिया जाता है गन्ने के मिल मालिकों का, और फिर सरकार उसी के ऊपर ऐसी बातें करती है। बिहार में, मद्रास में गन्ने के दाम ज्यादा हैं, लेकिन यू० पी० की सरकार जिसका गन्ने के उत्पादन में कोई भी श्रेय नहीं है, यह कहती है कि वह गन्ने के उत्पादन में उचित शक्ति देती है, किसानों को मुनाफा देती है। आज अगर सब से बड़ी दुश्मनी किसानों के साथ कोई कर रहा है तो यह सरकार करती है। क्योंकि मई के बाद, जैसे-जैसे गरमी ज्यादा पड़े, वैसे ही गन्ने के दाम ज्यादा बढ़ने चाहिये, या मिल मालिकों को कहा जाय कि किसान का एक भी मन गन्ना सूखेगा नहीं, गिरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बल्कि मिल मालिकों को लेना पड़ेगा। जितनी लूट गन्ने के अन्दर आज है, इतनी कहीं नहीं है। आज करोड़ों रुपया गन्ने का मिल मालिकों को छूट के रूप में दिया जाता है। खुद ही सोचिये कि एक रुपया, पांच आने मन गन्ना किसान से लिया

[श्री बलवानसिंह]

जाता है और उधर से तेरह आने सेर चीनी का दाम होता है। अब दोनों का फर्क देखिये। अकेले गन्ने के अन्दर इस यू० पी० के अन्दर करोड़ों रुपये मिल मालिकों को ज्यादा बच जाया करते हैं और उसके बचने से वह सरकार को चुनाव में या वैसे ही हमारे मंत्रियों को खुश करने में, कारों के देने में उसको कोई भी बंदिश नहीं लगा करती। मैं आपको मिसाल दूं, सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। अकेले कानपुर में तीन करोड़ रुपया तीन चार सेठों को दिया गया है। मुझे याद है कि एक सेठ, पद्मपति सिंघानिया, को ९० लाख रुपया दिया गया है और वह ऐसा है, सेस, कि जिसके ऊपर टैक्स इन्वेस्टीगेशन कमीशन की रिपोर्ट भी है कि उसने वाउचर्स ग़लत बनाये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो मूल प्रस्ताव धन्यवाद का है, उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के नेताओं ने तथा उस ओर के सदयों ने कोई कारण राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का उनके सम्बोधन में नहीं पाया है। मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। वह चाहते थे, जैसा कि उनके संशोधनों से ज्ञात होता है, तथा उनके भाषणों से भी, कि राज्यपाल महोदय के के सम्बोधन में "ए" से "जेड" तक सारे कार्यक्रम का ब्योरा और लेखा हो। बहुत कुछ आलोचना हुई है कि उन्होंने कोई परिभाषा समाजवादी ढांचे की नहीं दी है। परन्तु सरकार की मुख्य योजना जो पिछले पांच वर्षों से चल रही है उसके आगे सरकार की नीति के सम्बन्ध में राज्यपाल को कुछ बातें कहना नहीं था। अतः उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में सरकार की नीति की घोषणा इन सब शब्दों में की कि "मेरी सरकार एवं भारत सरकार का लक्ष्य क्रमिक किन्तु स्थिर रूप से प्रगतिशील समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है। यह प्रक्रिया यद्यपि देखने में विशेष महत्व की न हो, तब भी लाभप्रद अवश्य है। इससे विभिन्न हितों में संघर्ष नहीं होगा" तो ऐसा समाजवादी प्रकार का समाज बनाना और उसका चलाना इस सरकार का उद्देश्य है। दूसरी चीज जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया और जैसी कि सरकारी नीति बतलाई वह थी रिश्वत और स्वेच्छाचारिता को सरकारी नौकरों से निकालने में विशेष रूचि लेने की। तीसरी चीज जिसकी ओर नीति के तौर पर उन्होंने इशारा किया वह है हमारे सूबे के किसानों की स्थिति को सुधारने के बारे में। किसानों की स्थिति को सुधारने के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि कृषि ऋण निधि और विकास निधि की स्थापना से किसानों में चीप क्रैडिट और खास तौर से जो उनकी पैदावार है उसके लिये उनको मारकेटिंग फेसीलिटीज देना, इसका मुख्य काम होगा। यह उनके भाषण से स्पष्टतया साबित होता है और इस नीति पर चलने के सिलसिले में पिछले पांच वर्षों का जो रिव्यू उन्होंने दिया उसको ऐचीवमेंट की एक फेयर पिक्चर कहा जा सकता है।

आपने देखा कि हमारा नया मंत्रिमंडल १० अप्रैल को बना और उसके ठीक दूसरे दिन महामान्य राज्यपाल का यह सम्बोधन हमारे सामने आया और इसमें इस चीज का जिक्र है कि जहां तक डिटेल्स का संबंध है वह मंत्रिमंडल आगे पेश करेगा बजट आदि की शक्ल में इस सदन के सदस्यों के सामने, और वह सदस्यों के बहस तथा फैसले के लिये होगा। मुझे यह नजर नहीं आता है कि हर चीज की डिटेल हो। गवर्नर महोदय ने एक रस्मी तौर पर सदन को खोलने के सिलसिले में अपना एक भाषण दिया

और उसमें मोटी मोटी नीति का उद्धरण दिया। डिटेल्स के लिये जैसा कि मैंने अर्ज किया मंत्रिमंडल रखेगा। अब चूंकि यह चीज मंत्रिमंडल के लिये रखी गई है इसलिये मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव उसको देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस चीज से किसी को इंकार नहीं है कि इस देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना करने के लिये या लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार की यह मशीनरी आईडियल नहीं है ।

जहां तक हम देखते हैं कि पिछले पांच सालों में जिस रास्ते पर यह सरकार चली है और जो सरकार ने चीज बनाई हैं वह सामने नजर आती है। जहां वह सामने नजर आती हैं वहां यह भी नजर आता है कि जितना पैसा सरकार को जनता विकास के लिये देती है उसका ठीक-ठीक उपयोग इस सरकार की मशीनरी द्वारा नहीं होता है। यह चीज भी उतनी ही साफ है जितनी कि वह चीजें जो सरकार ने बनाई हैं। इसलिये एक तो इस ओर हमारे मंत्री विशेष रूप से अपनी पालिसी में, अपने ढंग में इस तरह की चीज कर दें कि उनकी मशीनरी द्वारा जो रुपया वेस्ट होता है वह न हो।

तीसरी चीज जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया है वह यह है कि जो विकास के बारे में सवाल है उसमें आप इसकी प्रगति भले ही लम्बा कर दें। एक साल में करने के बजाय उसको दो साल में कर दें। लेकिन जन साधारण एक पवित्र शासन चाहता है। वह चाहता है कि उसको कदम-कदम पर जो आपकी नजरों के सामने उसको दबाया जाता है, वह दबाया जाना बन्द कर दें। इस ओर आपको विशेष ध्यान देना है । तीसरी चीज, अधिष्ठाता महोदय, जो मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं यह है कि जो टैक्सेशन की पालिसी है उसमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक जमींन का सम्बन्ध है, जमीन की रेन्ट की पालिसी को भी आपको देखना है और विशेष सुधार करना है। देहातों में आप देखें तो अधिवासी को लगान देना पड़ता है सर्किल रेट का दूना। जमीदार काश्तकार होता है उसे सर्किल रेट से लेकर सर्किल रेट के दूने तक देना पड़ता है। जिसने दसगुना लगान अदा कर दिया उसे सर्किल रेट के बराबर तक लगान देना पड़ता है। और जो आपके भूतपूर्व जमींदार रहे हैं, जिनको आपने कानून की रू से भूमिधर बनाया उनको उसका भी आधा देना पड़ता है। यह एक ऐसी चीज है जो खलती है और जिससे आपको जल्द ही ठीक करना चाहिये ताकि एक ही किस्म की जमींन के लिये और एक ही किस्म का अनाज पैदा करने वाली जमींनों के लिये एक आदमी को कुछ और दूसरे आदमी को दूसरा लगान देना पड़े। खास तौर से जिनके पास जमींनें कुछ ज्यादा हैं, जो कि अपने हाथ से काम नहीं करते उनको तो कम लगान देना पड़ता है और जो मेहनत करते हैं, जिनके पास जमींने कम हैं, जो पैदा ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा लगान देना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मेहनतकशोंपर यह एक प्रीमियम है जिसको दूर होना चाहिये ।

चौथी चीज जिसकी ओर मुझे आप का ध्यान दिलाना है वह है पूर्वी जिले, खासकर के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया। इन जिलों में आज पिछले चार वर्षों से एक तबाही आ रही है बाढ़ के जरिये से, सूखे के जरिये से, ओले के जरिये से और नतीजा यह है कि आज वहां के किसानों के यहां मुश्किल से दो महीने के लिये खाना है। इससे ऊपर का खाना उनके यहां नहीं है। सरकार को दो महीने के बाद इसको फ़ेस करना पड़ेगा कि वहां गल्ला कैसे पहुंचे या फिर यह सुनना पड़ेगा कि उस जगह पर भुखमरी हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान दे कर सस्ता गल्ला खरीद कर उन अंचलों में आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम खोलनी पड़ेगी। इसलिये बजट बनाते वक्त आपको इसका भी ख्याल रखना है।

[श्री उदयशंकर]

एक चीज़ और मुझे कहनी है इस समाजवादी ढांचे के बारे में। समाजवादी ढांचे की जो कल्पना मेरे दिमाग में है वह तो यह है कि जो नये प्रोडक्शन की इन्डस्ट्रीज आप बनायें वह बजाय कुछ थोड़े से पैसे वालों के हाथ में देने के अपने कोआपरेटिव महकमें को आप तगड़ा करें कि वह लेबर कोआपरेटिव्ज बना कर, और दूसरी इंडस्ट्रीज के कोआपरेटिव्ज को बना कर उनको चलाये। सरकार को जितनी मदद देनी हो वह सिर्फ उन्हीं कोआपरेटिव्ज को दे करके उनके हाथों में रोजगार को दें और उनमें जो कुछ मुनाफ़ा हो वह बजाय थोड़े से आदमियों के हाथ में जाने के अधिक आदमियों के बीच में बांटा जाय। इस ओर आप का ध्यान होना बहुत आवश्यक है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बजट के समय आप इस प्रकार की रूप रेखा ले आयेंगे और इस सदन को यह मौक़ा देंगे कि वह इस मंत्रिमंडल की सूझ बूझ पर धन्यवाद दे।

*श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमन्, राज्यपाल जी के भाषण के लिये किन बातों पर उनको धन्यवाद दिया जाय यह मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है। उनके संबोधन की हर पंक्ति को देखा जाय तो यह प्रतीत होता है कि वह कुछ ऐसे विचार से लिखी गई है कि या तो जिसका जिक्र उन्होंने इसमें किया है उसके जानने वाले ही यहां नहीं हैं या जिन क्षेत्रों के विषय में उन्होंने कहा है शायद वहां के आदमी यहां हैं ही नहीं। पहले ही सफे में इसमें लिखा हुआ है :—

"It also indicates that our young democracy is functioning with healthy vitality."

"इससे प्रकट होता है कि हमारा नया जनतंत्र स्वस्थ जीवन शक्ति से काम कर रहा है।"

इसमें सन्देह नहीं है कि जनता ने अपनी स्वस्थ और विवेकशील बुद्धि का तो परिचय दिया किन्तु राज्यपाल महोदय और उनके कुछ मंत्रियों ने डिमोक्रेटिक परम्पराओं का परिचय क्या दिया है उस पर एक घातक प्रहार किया है। इसके उदाहरण तो बहुत दिये जा सकते हैं, किन्तु मैं इसी क्षेत्र का जिक्र करूंगा जिस क्षेत्र में हमारे राज्यपाल महोदय तथा उनके मंत्रिगण विलास करते हैं या निवास करते हैं वह यह लखनऊ का पूर्वी क्षेत्र है, जहां के भूतपूर्व मंत्री के चुनाव के समय छात्र, छात्राओं और अध्यापकों से जुलूस निकलवाये गये। क्या इस पर कोई इन्क्वायरी हुई? क्या यह डिमोक्रेटिक परम्पराओं के स्थापन की बात थी? क्लासेज में कहा गया है कि तुम लोग जुलूस बनाओ और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें एक पी० एम० एस० आफिसर भी शामिल थे। क्या इस पर कोई इन्क्वायरी हुई?

दूसरे सब सभ्य देशों में एलेक्शंस के पूर्व ही मिनिस्ट्री डिजाल्व होती हैं। हमारे यहां डिजाल्व नहीं हुई, केयर टेकर मिनिस्ट्री भी नहीं बनी लेकिन वह मंत्री जो टिकट न मिलने के कारण या हार जाने के कारण त्याग-पत्र दे चुके थे उनको भी राज्यपाल महोदय ने ठूंसे रहने के लिये कहा जब तक उनसे हो सका। इसका कारण भी यही था कि इन डेढ़ महीनों में इतना काम हो गया है कि अब जो मंत्रिगण आये हैं उनको तीन महीने तक मिसिल देखने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसके लिये दो तीन उदाहरण दे सकता हूं जैसे कि कानपुर के मेडिकल कालेज में जो नियुक्तियां हुई हैं वह डाइरेक्टली हुई पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं हुई। इसकी इन्क्वायरी हुई। यह सब २० मार्च से ६ अप्रैल के बीच में हुआ। क्या यह डिमोक्रेटिक परम्परा है?

दूसरी बात राज्यपाल जी यह फरमाते हैं :—

"My Government, in consultation with the Election Commission, had impressed upon all Government servants that their conduct in relation to those elections was of great significance."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह तो इस सदन के सामने धृष्टता होगी क्योंकि बड़े बड़े विद्वान यहां मौजूद हैं, लेकिन यदि आप हुक्म दें तो अर्थ किये देता हूं, लेकिन श्रीमन्, उसके लिये समय का ध्यान आप को रखना होगा। यदि देखा जाय तो सरकार की प्रशंसा भी कोई बेहतर ढंग पर इसमें नहीं हो पायी है: राज्यपाल महोदय पांचवें सफे पर कहते हैं:

"The colonization scheme in Lakhimpur-Kheri which was started in 1954-55 for the settlement of landless labour and the employment of the educated unemployed has made considerable headway."

यह स्कीम १९५४–५५ में शुरू की गई थी बगैर जमीन के मजदूरों के लिये या शिक्षित बेकारों के लिये। उन आदमियों के लिये इस में बड़ी प्रगति हुई है। यह आप को विदित होना चाहिये कि यह जिस क्षेत्र की स्कीम है उसी क्षेत्र से निर्वाचित हो कर मैं आया हूं। उस निघासन क्षेत्र में ढाई करोड़ रुपया उस स्कीम को सफल करने के लिये खर्च किया गया और भूतपुर्व मिनिस्टरों के नाम से उसमें एक एक नगरियां स्थापित हुई हैं। वहां के विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कई नगर संपूर्णानन्द नगरी, इब्राहीम नगरी, विसेन नगरी, गिरधारी नगरी आदि के नाम से बसाये गये हैं और हमारी रूलिंग पार्टी के पूंजीपति नुमाइन्दों ने वोट के लिये नान-रिजर्व्ड एरिया का गन्ना इस बात को कह कर सरकार द्वारा लेना मुनासिब समझा कि यह अन-एज्केटेड-अनइम्प्लायड और गरीबों के उत्थान और उनकी प्रगति के काम में लाया जायगा। जाहिर है कि उन में नहीं करने वाला कोई नहीं था, लेकिन यह गन्ना लिया तो गया अनसेटलर्स के नाम पर, उनको फायदा पहुंचाने की खातिर और वह फायदा ले गये वे लोग जिन्होंने पूंजीपति नुमाइन्दों के लिये तीन सौ या उस से अधिक वोट देने का वायदा किया था। मैं उनके नाम लेने को तैयार हूं, उनकी जगह बताने को तैयार हूं। अगर ट्रेजरी बेंचेज से कोई पूछे तो वह मैं देने को तैयार रहूंगा।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने जूट के विषय में कहा है—

"The Grow--more--Jute Campaign started in 1948 is proposed to be further intensified in the Second Five Year Plan period. A steady increase is being maintained in the total acreage under cotton cultivation."

लेकिन असलियत तो यह है कि जूट की फसल से किसानों को जितना फायदा हुआ है उससे कहीं अधिक फायदा मिडिल मैन को हुआ है। मगर हमारी सरकार कैसे गवारा कर सकती है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वह ऐसी बात लिखवा दे। क्या वह हमारी मुसीबतों, दुश्वारियों और समस्याओं से परिचित नहीं हैं? लेकिन पता नहीं उसका क्या विचार रहता है। शायद उसका यह विचार रहता हो कि उस क्षेत्र का जानकार कोई सदस्य यहां नहीं होगा, हुआ तो बोलेगा नहीं और अगर बोला भी तो क्या है। हम तो बहुमत में हैं ही।

इसके बाद राज्यपाल महोदय ने जो सब से खतरनाक बात लिखी है वह शिक्षा विभाग के बारे में, यूनिवर्सिटियों की प्रगति के बारे में है। यदि आप १५वें पन्ने पर देखेंगे तो उसमें आप फरमाते हैं कि हमारे यहां यूनिवर्सिटियों में बड़ी तरक्कियां हुई हैं। वह वास्तव में क्या तरक्कियां हुई हैं यह तरक्कियां यह हैं, जैसा कि राज्यपाल महोदय स्वयं कहते हैं:—

"An Original improvement has been made in University education. The Agra University has now ceased to be purely affiliating University."

[श्री सुरथबहादुरशाह]

वह तो "has now ceased to be a purely affiliating University" हमारे प्रदेश में दो यूनिवर्सिटी एक इलाहाबाद की और दूसरी लखनऊ की। यह दोनों रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी हैं लेकिन उनको एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बना दिया है। क्या यह यूनिवर्सिटी की उन्नति है और जो एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी थी उसको रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। यह किस तरह से किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो रेजिडेन्शियल थी उसको एफिलियेटिंग बना दिया है। उसके साथ कानपुर के कालेज नत्थी कर दिये गये हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। ऐसे कालेजों को नत्थी कर दिया गया है जो उसके साथ नहीं होने चाहिये थे। ऐसे कालेज भी हैं जिनको नत्थी किया गया है, जिनके पास बिल्डिंग नहीं है और जिनकी बिल्डिंग में कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है यानी कि वह मोतीमहल की बिल्डिंग। तो क्या इस तरह से युनिवर्सिटी की उन्नति होगी और एजूकेशन का उत्थान होगा। असलियत में तो यह है कि यह जो स्टेट्यूट बनाया गया है और यह ऐक्ट बदला गया है उसकी एक खास बात यह रही है कि वाइस चांसलर को साल बसाल जीवन दान दिया गया है और वह लगातार तीन साल तक दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उसको अपनी मुट्ठी में रखा जाय। अगर आप देखेंगे तो जो ऐक्ट बनाया गया है उसमें अध्यापकों के प्रति सन्देह प्रकट किया गया है। इसके सिवाय और कुछ नजर नहीं आता है। वाइस चांसलर, डिसिप्लिनरी कमेटी को बनायेगा। जो उसका वाइस चांसलर होगा वह एक जज को नियुक्ति करेगा और वह दोनों मिल कर एक और आदमी की नियुक्ति करेंगे। वाह क्या उम्दा यह कमेटी बनी है जिसमें वाइस चान्सलर प्लस वाइस चान्सलर, प्लस वाइस चांसलर ही रखा गया है। वह एक जज को लेंगे और वह दोनों मिलकर एक और आदमी की कमेटी बनायेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद के लिये कुछ चीज लागू है और लखनऊ के लिये कुछ चीज लागू है। इलाहाबाद में जो कोर्ट की एक्जिक्युटिव कौंसिल है उसका चुनाव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से होगा और लखनऊ में ऐसा नहीं है। यहां पर तो सिम्पिल मेजारिटी है जो एक गुट की शकल में है वही बरकरार रहे। इसलिये यहां पर यह किया गया है। कोषाध्यक्ष के लिये बात यह है कि वहां इलाहाबाद में तो यह है कि वह वहीं का निवासी हो लेकिन लखनऊ के लिये यह बात नहीं है कि वह यहीं का निवासी हो। इसका मतलब यह है कि वह कानून इसलिये बनाया गया है कि बाहर के आदमी को भत्ता दिया जाय और इस प्रकार से बाहर के आदमी को भत्ता दिया गया है।

दूसरी चीज यह है कि जिसको केंद्रीय सरकार बरती है और जिसका खयाल केन्द्रीय सरकार रखती है। बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ युनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स बनाते समय वहां के प्रोफेसरों को वह कंसल्ट करती है और उसके लिये वह एकेडमिक बाडीज की राय लेना मुनासिब समझती है लेकिन हमारी सरकार यहां की एकेडमिक कौंसिल को इस काबिल नहीं समझती कि वह राय देने के काबिल है। क्या यह प्रदेशीय सरकार के लिये उपयुक्त है। यह तो उसी तरह से है जैसे कि उद्योग में हैवी इंडस्ट्री का स्थान है उसी प्रकार से शिक्षा में यूनिवर्सिटी का स्थान हुआ करता है। उसको इस प्रकार से लाइटली ट्रीट करना किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां के भूतपूर्व मंत्री अब यहां यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी के चयरमैन बनाये जा रहे हैं। तो यह क्या है ? जब यह स्टेट्यूट बुक पर आ जायगा तो उनको दो हजार रुपया वेतन दिया जायगा। वाह खूब है। अरे अन्धो, चील के घर में मांस की धरोहर वहां आज कल एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है और उस षड्यन्त्र के बल पर वहां किसी को वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय नवलकिशोर जी के संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं। यह मानते हुये भी कि जो प्रगति हमारे प्रदेश में हुई उससे अधिक होना असंभव नहीं था, मेरा विश्वास

है कि जो कुछ भी हम पिछले पांच वर्षों में कर सके उससे इस माननीय सदन को और जनता को संतोष ही नहीं, गौरव हो सकता है। यदि हम संसार के किसी कुशल से कुशल भी टाउन प्लानर की सहायता से एक टाउन का निर्माण करें तो उसमें विशाल भवनों, उपवनों, जलाशयों के साथ नालियां और मैले के स्थान भी होंगे। यदि कोई व्यक्ति सुन्दर वस्तुओं को छो कर केवल नालियों पर ही अपनी दृष्टि रखता है तो यह उसकी दृष्टि का भी दोष होगा। मेरी आशा थी कि नवनिर्वाचन के बाद विरोधी दल नव शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी लायेगा। कल मैंने माननीय नेता विरोधी दल का भाषण आदर और श्रद्धा से सुना परन्तु मैं तो इसी निष्कर्ष पर आया कि कोई ठोस बात निकलने के बजाय हमें केवल भावनाओं को अपील करने वाली बातें सुनने को मिलीं। उन्होंन कहा कि हमारे प्रदेश में कोई आदमी चोरी करके जेल जाय तो उस पर अधिक खर्चा होता है बजाय इसके कि वह बाहर रह कर अपनी जीविका कमाये। उसका माननीय शुक्ल जी उत्तर दे चुक हैं यद्यपि एक माननीय सदस्य ने उसे नाटकीय उपहास मान लिया। मैं उनके लिये केवल यही कह सकता हूं कि वह नाटकीय परम्पराओं में अधिक विश्वास रखते होंगे यद्यपि संसदीय परम्पराओं के अनुसार वह सक्रिय उत्तर था ही।

इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि माननीय राज्यपाल ने काजेज आफ़ समन्स नहीं बतलाये। मैं मानता हूं कि हमारे नियमों के अन्दर १४ वीं और संविधान में १७६वीं धारा में गवर्नर के सम्बोधन के साथ ये शब्द प्रयोग हुये हैं कि वह काजेज आफ समन्स बतलावेंगे लेकिन ये शब्द हाउस आफ कामन्स की परिपाटी से उधार लिये गये हैं और इनका केवल एक फारमल या टैक्निकल प्रयोग है। यह सारा सम्बोधन ही काजेज आफ समन्स नहीं तो क्या हो सकता है। मुझे तो विस्मय हुआ कि आपत्ति की गई कि सम्बोधन में मेरी सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है और यह भी संसदीय परम्परा का उल्लंघन है। इसका तर्क यह था कि आज की सरकार और कल की सरकार में कोई संबंध नहीं है। किसी राजनीति के प्रगाढ़ पंडित के लिये एक छोटे से राजनीति के विद्यार्थी को कुछ कहने में संकोच मालूम होता है लेकिन सीधी सी बात है कि आज की और कल की, दोनों सरकारों के नायक वही व्यक्ति थे जो सम्बोधन कर रहे थे। यदि हम जानबूझ कर ऐसी प्रवृत्ति बना लें कि अच्छाइयों की तरफ देखें ही नहीं बल्कि केवल बुराइयों की ओर ही निगाह रखें तो उसकें आगे क्या कहा जा सकता है। आज इस सदन में हमारे एक मित्र ने यह कह दिया कि हमारे यहां खाद्यान्न में कमी हो गयी है और उससे करोड़ों रुपया बाहर मुल्कों को भेजना पड़ता है। अगर वास्तविकता को इस समय तक हम नहीं जान पाये तो फिर क्या कर सकते हैं। सत्य तो यह है कि पिछली पंचवर्षीय योजना के पहले कितना रुपया हमारे देश से इसके लिये बाहर जाता था और हमने अपने टारगेट से भी आगे बढ़ कर उस रुपये को जाने से बचाया है।

आज हमारे बीच में माननीय बापू जी नहीं हैं। वे तो सांप्रदायिकता के शिकार हो गये। आज जवाहरलाल जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने काश्मीर का मसला यू० एन० ओ० में भेज दिया, इस पर भी आज इस सदन में आलोचना सुनी गयी। श्रीमन्, मैं क्या कहूं कि यू० एन० ओ० में एक चीज अगर हम भेज सकते थे तो क्या दूसरे के लिये उसका दरवाजा बन्द था? अगर यू० एन० ओ० हमारे लिये इतनी खतरनाक चीज थी तो दूसरी पार्टी वाले उससे फायदा उठा सकते थे। इन बातों की ओर मैं नहीं जाना चाहता, मैं केवल उन्हीं बातों की ओर अपना ध्यान सीमित रखना चाहता हूं जिनका संबंध इस प्रदेश से है।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार कितनी ही प्रगति क्यों न करें, कितने भी अच्छे कार्यक्रम का पालन करे लेकिन यह ठीक ह कि और अधिक उन्नति करने की गुंजाइश तो रहती ही है। कोई कैसा ही सुन्दर प्रासाद खड़ा करे लेकिन उसम् भी और अधिक सुन्दरता लाने, लालित्य लाने, कला कौशल से और अधिक

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

सुन्दर बनाने की गुंजाइश रहती है उन कमियों को दूर करने का और उसी प्रकार से राज्य को और अधिक उन्नत करने का कर्त्तव्य दोनों ओर के माननीय सदस्यों का होता है। मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार एक दो बातों की तरफ, समय के अभाव का ध्यान रखते हुये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय राज्यपाल ने अपने इस संशोधन में जिक्र किया है कि हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी गयीं और यह भी ठीक है कि संविधान में भी और अपनी नीति में भी हम यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि भावी भारतवर्ष का ढांचा कोआपरेटिव्स के आधार पर होगा। यह एक अच्छा कदम है, मैं उसके लिये संबंधित मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज इन कोआपरेटिव्स की दशा वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिये।

एक सदस्य—आप क्या कह रहे हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मेरे एक मित्र पूछते हैं कि मैं यह क्या कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिये और आपको भी कहना चाहिये। मैंने कहा कि अगर कोई प्रासाद बने और उसमें कोई कमी हो तो उसकी तरफ हमें ध्यान दिलाना चाहिये। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छाइयों की तरफ से आंख मींच ले तो वैसी चीज नहीं होनी चाहिये। कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि जो कुछ वह करती है वही ठीक है और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे प्रदेश में हैं मैं उनकी कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगा कि भ्रष्टाचार का जिक्र इस सदन में बार बार आता रहा है। केवल भ्रष्टाचार का जिक्र किया लेकिन किसी तथ्य की बात को नहीं कहा गया। 'यथा राजा तथा प्रजा' कहिये या 'यथा प्रजा तथा राजा' कहिये इन बातों को केवल कहने से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मेरे मत में तो आज राजा और प्रजा दोनों एक हैं। अगर समाज में कोई खराबी है तो उसका उत्तरदायित्व सारे समाज पर ही है। समाज का प्रतिबिम्ब ही सरकार में और सरकार के कर्मचारियों में दिखायी देता है। इस बारे में सरकार को मैं कुछ सुझाव देने की धृष्टता करना चाहता हूं। वह यह है कि मेरा अनुभव है कि आज लोगों को कोआपरेटिव्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोग नहीं जानते इसलिये सरकारी कर्मचारी अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। मेरी सूचना मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि जो नगर-नगर में सूचना केंद्र हैं वह इस काम के लिये प्रयोग में लाये जायं। वह सूचना केंद्र न रह कर पूछताछ के दफ्तर का काम करे। वह आगे चलकर जनता और सरकार के बीच में लियाजन आफ़िसेज का काम करे। जो सूचना अधिकारी होते हैं उनको माननीय मंत्री जी की तरफ से यह हिदायत हो, यह आदेश हो कि वे जनता से सम्पर्क ज्यादा बढ़ावें और जनता के प्रतिनिधि चाहे वे किसी दल के भी हों उनसे सम्पर्क बढ़ावें, तभी वे जनता के लिये ज्यादा लाभप्रद होंगे।

आखिर में मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि निम्न वर्ग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ हमारी सरकार को शीघ्र से शीघ्र ध्यान देना उचित होगा। समाजवादी ढांचे को लाने के लिये मैं सबसे पहला कदम इस तरफ उठाना उचित होगा। आज सुबह श्रीमन्, एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ढाई करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है अगली पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार की ओर से यदि हमारी सरकार डेढ़ करोड़ रुपया दे सके। तो यदि हम यह समझते हैं कि हमारे निम्नवर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कम है और उनके स्तर को ऊंचा उठाना है तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा

मौका कहां मिल सकता है कि आधा से ज्यादा रुपये का बोझ केंद्रीय सरकार अपने कंधे पर उठाने के लिये तैयार है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें कि कहीं ऐसा न हो कि जो ढाई करोड़ रुपया हमको मिल रहा है वह लैप्स हो जाय और हमारे लिये शिकायत ही बाकी रहे। जब हम इस बात को मानते हैं कि निम्नवर्ग के कर्मचारियों के स्तर को ऊंचा उठाना है तो उसके लिये हमको यह एक अवलम्बन हो सकता है।

*श्री असलम खां (जिला रामपुर)--सदरे मुहतरम, गवर्नर साहब का जो ऐड्रेस इस ऐवान में इस वक्त जेरे बहस है उस पर तकरीर फरमाने के लिये मजीद मेम्बरान ने जनाबवाला से एक्स्ट्रा टाइम के लिये दरख्वास्त की है। मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं।

जो सुन सको तो मेरी दास्तां खत्म न हो, न सुन सको तो कोई हद्दे इख्तसार नहीं।

बहरहाल, मैं जनाबवाला की इजाजत से कहना चाहता हूं कि मुहतरम गवर्नर साहब ने जो खुतबेबे आला इस हाउस में दिया है वह इस ऐवान के तवारीख में अपनी एक खास जगह रखता है। ऐसा मालूम होता है कि उसने पांच साल के कारनामों का जायजा लिया जा रहा है, यहां की सरकार के ऐचीवमेंट्स का तजकिरा किया जा रहा है। जनाबवाला, पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी के कन्वेन्शन के एतबार के साथ ही साथ जुमला मेम्बरान की ख्वाहिशात को ख्याल में रखते हुये मैं इस बात का ख्वाहिशमन्द हूं कि गवर्नर साहब ने जो आइन्दा पांच सालों के लिये तजकिरा फरमाया है उसमें आगे के लिये क्या पालिसीज होंगी क्या इस सूबे की तरक्की के लिये तजवीजात होंगे उसके फुलप्रूफ टेक्नीक पर रायजनी करने के लिये हम यहां पर हैं। मुखालिफ पार्टी के मेम्बरान के लिये उस तरफ के नुमाइंदों की शिकायत है कि वे महज तनकीद करने के एतबार से तनकीद कर रहे हैं। उनकी नुक्ताचीनी महज इस बिना पर मबनी है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह बयान करना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक किताब में शाया किया है कि जब अंग्रेज यहां हुक्मरां थे तो पोलिटिकल डिपार्टमेंट का कोई अंग्रेज किसी देशी रियायत में जाता था तो वहां पर आफटर डिनर स्पीचेज होती थीं और खुशामद में देशी रियासतों के रईस यह फरमाया करते थे "कि आप देवता हैं आप की वजह से ही हिन्दुस्तान में बड़ा अमन है। अगर आप यहां से चले गये तो खुदा जाने क्या हश्र इस मुल्क का हो।" उसके जवाब में वह अंग्रेजी में यह फरमाते थे कि योर हाईनेस आप की रिजीम में ही बड़ी तरक्की हुई है, कुत्तों के वास्ते इतने केनल तैयार किये गये हैं और रेस के घोड़ों के वास्ते इतने अस्तबल तैयार किये गये हैं और इस तरह की म्यूचुअली काम्पलीमेंटरी स्पीचेज होती थीं और तमाम बात बड़ी आसानी और बगैर किसी दिक्कत के तय हो जाती थी।

हम यहां की बरसरेइकतदार पार्टी के कारकुनों से इल्तजा करेंगे कि अब हमारा मुल्क आजाद हो गया है और अब हमारा भी दिल चाहता है कि रस्मी बातों से उठकर दिल की गहराइयों से और कल्ब से जो आवाज निकले उसका हम इजहार करें। इसमें कोई शक व शुबहा नहीं कि वोट आफ थैंक्स जो है वह एक बीच की चीज है और सदियों की गुलामी के बाद मगरिब के असरात हमारे ऊपर इतने तारी हैं कि हमारी आदत सी हो गई है कि दिल की आवाज और उस की गहराइयों की पुकार को रूपोश करके और दबा कर रस्मी तौर पर थैंक्स अदा करें। इस पसेमंजर के बाद मैं अर्ज करूंगा कि मैं चाहता था कि गवर्नर साहब के एड्रेस में इन बातों का जिक्र होता कि हमारे सूबे के किसानों के मफाद के लिये, यहां के मेहनतकश तबके के लिये, उनके मयारे जिन्दगी को बालातर बनाने के लिये, उनको जिन्दगी में एक सहारा देने के लिये, कैसे उनको अपनी गन्दगी और मायूसी से जात मिले, कैसे उन की जिन्दगी में सहूलियत और शादमानी पैदा हो। इधर हम लोग अपोजीशन में हैं और उधर ट्रेजरी बेंचेज पर मेंबर ऐवान तशरीफ रखते हैं और मुख्तलिफ पार्टियां यहां मौजूद हैं लेकिन सही बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है उस में सबसे ज्यादा असर सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री असलम खां]

मातहत जो उसके चन्द मुलाजमीन हैं, उसके मातहत जो उस की ब्यूरोक्रेसी है, मेरा इशारा इस तरफ है कि अगर सरकार की जानिब से कोई ऐसी स्कीम या तजवीज पेश होती हैं तो नीचे पहुंचते-पहुंचते उनके जनता तक पहुंचते-पहुंचते असर जायल हो जाता है और वह अपना असर खो देती हैं और वह प्रोग्राम उन मातहत मुलाजमीन के हाथों कम्पलीट नहीं हो पाता और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कमजोर किस्म की डी० सी० करेंट बहुत फासले पर पहुंचाई जांय तो उस का वोल्टेज कम हो जाता है और बावजूद इसके कि सरकार और सरकारी पार्टी का यह कहना है कि पिछले ५ साल में उसने जो तजवीज और स्कीम सूबे के सामने रखी हैं वह बहुत उम्दा थीं लेकिन उस पर जो वर्डिक्ट जनता का आया वह सरकार के लिये ज्यादा उम्मीदअफजां और हिम्मतअफजां नहीं हैं। इससे जाहिर है कि वह तजवीज इस सूबे के लोगों के मफाद के लिये नहीं थीं।

इतना कहने के बाद अब मैं जनाब वाला की इजाजत से जो ऐड्रेस जनाब गवर्नर साहब ने दिया है उस पर मजमुई हैसियत से ऐवान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । अव्वलीन इस ऐड्रेस में यह कहा गया है कि साबिक एलेक्शंस में निहायत सहूलियत और ईमानदारी से सरकारी अहलकारान ने काम किया है और किसी किस्म के बेउनवानी वगैरा की शिकायत नहीं मिली है और सूबे के अफसरान ने बहुत बेहतरीन काम अन्जाम दिया है । इस पर ज्यादा नुक्ता-चीनी न करने के बजाय मैं यह अर्ज करूं कि मौजूदा सेट अप में गालिबन हमारे लिये यह चीज मुमकिन नहीं है । जनाब वाला, मैं रामपुर का रहने वाला हूं जो पहले एक देशी रियासत थी। वहां क्या हुआ वहां पर इसी एलेक्शन के जमाने में साबिक नवाब साहब ने खुद अपनी जनरैली की वरदी पहन कर तमाम देहात-देहात जाकर दौरा किया और तमाम शहरों का दौरा किया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान में जाकर जनता में बराबर यह कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है कि हमें कांग्रेस को जिताना है लिहाजा हुक्म की तामील होनी चाहिये और सब को कांग्रेस को वोट देना होगा। उन्होंने पूरी तरह से सवारी पर निकल कर, मुहल्ले-मुहल्ले जाकर काम किया । यही नहीं बल्कि उसमें करप्ट प्रेक्टिसेज का भी निहायत हंगामा और जोर रहा यहां तक कि नवाब साहब के मकान की जगह मकान, बरतनों की जगह बरतन, कालीन की जगह कालीन, फर्श की जगह फर्श सभी चीजें हैं, वहां पर बड़े-बड़े मिनिस्टर साहबान जाते हैं । इन लोगों की अजीब टेकनिक है । एक किस्म का पैक्ट है वहां के अफसरान में और जो मौजूदा नवाब हैं उनमें। जिस वक्त कोई बहुत दयानतदार, ईमानदार अफसर पहुंच जाते हैं और उनके अहकाम की तामील करने में ताम्मुल करते हैं तो यह तरीका अख्तियार किया जाता है कि यहां से मिनिस्टर साहबान बुलाये जाते हैं या खुद जा कर वहां ठहरते हैं । कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जूनियर आई० ए० एस० अफसर के लिये जो कनफर्म न हो, या किसी आई० पी० एस० अफसर के लिये जो कनफर्म न हो कि जब वजीर नवाब साहब के यहां ठहरते हैं, वहां न जाय। उस मौके पर तमाम बातें वह कर लेते हैं जो करना चाहते हैं। मैं आपको अभी एक मिसाल दूं जिसको सुनकर ताज्जुब होगा। हमारी सरकार के एक वजीर अभी हाल में रामपुर गये हुये थे। बिलासपुर तहसील की टाउन एरिया के चेयरमैन जिस पर वोट आफ नो कान्फीडेन्स आया हुआ है उनसे नवाब साहब ने कांग्रेस का काम लिया और एलेक्शन में यह उन्होंने वादा लिया था कि आप एक मेंबर को मेरे हक में तोड़ेंगे ताकि मेरे खिलाफ वोट आफनो कान्फीडेंस नहीं आये। नवाब साहब ने वादा कर लिया। जब नवाब साहब ने उसमें दुश्वारी देखी तो हमारी सरकार के वजीर साहब.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य जो व्यक्ति यहां मौजूद न हों उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से न कहें।

श्री असलम खां—मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो जनरलाइजेशन करके अर्ज कर रह हूं।

रामपुर की हालत जैसा आप सब साहबान को मालूम है एक मखसूस हालत है और इस ऐतबार से कोई नवाब या वजीर जा कर एक्सप्लायट करें तो एक्सप्लायटेशन जहां हो, आप साहबान को मालूम है कि वह एक खास तौर पर तवज्जह की मोहताज हैं। वह देशी रियासतें जिनमें एक खास किस्म का आर्थिक ढांचा था वह आर्थिक ढांचा दरहमबरहम हो गया। यही हालत रामपुर की हुई। रामपुर में रामपुर के ही रहने वाले पंद्रह बीस हजार लोग मुलाजिम थे। कहा गया था कि कतरा दरिया में मिल रहा है और इस उम्मीद से कहा था कि हम नहीं चाहते थे कि देशी रियासतें जहां तानाशाही है वह रहें। हम चाहते थे कि जमहूरियत में रह कर अपनी जिन्दगी सहूलियत से बसर करें। लेकिन हम यह जानते हैं कि जहां १५-२० हजार मुलाजमान बयक जुम्बिशे कलम अलहदा कर दिये जायं वहां कितनी बेरोजगारी होगी। इसलिये हम उम्मीद करते थे कि एक पोलिटिकल नेसिसिटी के तौर पर जो हमारे सूबे की तीन देशी रियासतें हैं यानी टेहरी गढ़वाल, बनारस और रामपुर, उनके वास्ते खास तौर पर रोजगार का इन्तजाम किया जाय। यही नहीं हुआ कि वहां बेरोजगारी इस वजह से हुई कि वहां के पंद्रह बीस हजार मुलाजमीन बयक जुम्बिशे कलम रोजगार से अलहदा कर दिये गये बल्कि यह भी हुआ कि वहां जो और तरीके की रोजी थी वह भी तमाम खत्म हो गयी। इसलिये हम मुतवक्के थे कि गवर्नर साहब अपने ऐड्रेस में जो देशी रियासतें हैं और जहां का आर्थिक ढांचा दरहमबरहम हो गया है उसका इस खुतबे में तजकिरा करेंगे।

खुतबे में दूसरी बात जिसके मुताल्लिक जिक्र किया है वह है रिश्वत लेना। मैं जनाबवाला की इजाजत से सरकार की तवज्जह इस तरफ मबजूल करूंगा कि रिश्वत के मुताल्लिक पहले यह गौर किया जाय और किया जाना चाहिये कि आया रिश्वत किस तरह से ली जाती है। और आप को सुन कर इंतहा से ज्यादा ताज्जुब होगा। एक मिसाल अदालतों की दूंगा और एक मिसाल पुलिस की दूंगा। अदालत में जब किसी काबिल जमानत दस्तअंदाजी जुर्म का मुलजिम की अदालत में रिपोर्ट पेश होती है तो कानूनन कोई एक दस्तावेज ऐसा नहीं होता है जो सिवा उस अदालत के वहीं दुनिया में मौजूद हो। रिपोर्ट रिमांड के साथ होती है। इंट्रीज आफ डायरी जो दफा १६७ जाब्ता फौजदारी की रू से मैंडेटरी प्रोविजन है, उनके सामने होती हैं। जब दरख्वास्त जमानत की मुलजिम की तरफ से जाती है तो बावजूद इसके कि तमाम दस्तावेज के अदालत के सामने मौजूद होते हैं उसपर आदालत की तरफ पहले यह हुक्म लिखा जाता है, पी० आई० टु रिपोर्ट। मैं अब यह अर्ज करूंगा कि जब बावजूद इसके कि जो मवाद उस मुलजिम के खिलाफ है तमाम वहां मौजूद है और बावजूद इसके कि कहीं और नहीं है फिर भी वह दरख्वास्त पी० आई० के दफ्तर में हर्गिज नहीं जा सकती जब तक कि मजबूर हो कर हेड इजलास साहब की खिदमत में कुछ पेश न करें और जब मजबूर हो कर पेश करें तो वापस नहीं हो सकती जबतक कि वहां के हेड इजलास को तो रुपये न दिये जायं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में जो मजबूर इन्सान है वह क्यों कर ऐसा करने पर मजबूर न हो जायगा।

फिर जब जमानत हो जाती है तो उसके बाद जो जामिन पेश किया जाता है उसके मुताल्लिक यह होता है कि आया बकदरे जमानत है या नहीं और तहसील में जब तस्दीक करने के वास्ते भेजा जाता है कागज तब वह कागज वापस नहीं आता जब तक कि कुछ रुपया न दे दिया जाय।

इसी तरह से पुलिस की बाबत हुजूरवाला के जरिये कुछ अर्ज करना चाहता हूं। दफा १४७ के अन्दर जुर्म की रिपोर्ट अव्वलन तो सब इंसपेक्टर को पास आन कर दी जाती है कि वह रिपोर्ट दें तो वह ५ आदमी न लिख कर ४ आदमी ही लिखता है। इसी तरह से ४५२ का जुर्म घर के अन्दर घुस कर मारना नहीं लिखता। यह सब तकलीफात जनता की हैं

[श्री असलम खां]

और वह अपनी जगह पर बदस्तूर रहती हैं। और यही वजह है कि जो आज नुमाइन्दे बैठे हैं वह अपनी तकलीफों का इजहार कर रहे हैं। काफी अरसा अंग्रेजों को छोड़े हुए हो गया। लेकिन वह रवायात अभी तक मौजूद हैं, धांधलियां हैं।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक नया निर्वाचित सदस्य हूं इसलिये ऐसा हो सकता है कि अपने ख्यालात के इजहार में कहीं सदन के आदाब से बाहर निकल जाने की बात हो जाय तो उसके लिये मैं माफी चाहूंगा। बहरहाल मैं कल से माननीय गवर्नर साहब के खुतबे पर दोनों पक्षों के बयानात और तनकीदात सुन रहा हूं। मुखालिफ पार्टियों की तरफ से, चाहे नेताओं का बयान हो, या सदस्यों की तकरीर हो करीब-करीब सब एक ही बात पर ज्यादा जोर देते रहे कि राज्यपाल महोदय के भाषण में फलां-फलां तफसीलात क्यों नहीं है। हुजूरवाला, मैं आपकी इजाजत से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि राज्यपाल का यह खुतबा जो इस नये चुनाव के बाद आया, इसमें अगर आने वाले पांच सालों के तमाम कामों की जुजबी तफसील अगर लिखी जाय तो वह खुतबा किता बड़ा हो, कितनी देर तक उसे पढ़ा जाय, इसका अन्दाज सभी लगा सकते हैं। और फिर यह क्या जरूरी है कि आने वाले पांच सालों की जुजबी तफसील दी ही जाय, जब कि उसमें साफ दिया हुआ है कि हमारा नसबुलऐन क्या है, इस राज्य का लक्ष्य क्या है। इस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी में ५ साल के मनसूबे मुश्तहिर हैं तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगले ५ सालों में हमें अपने प्रदेश में एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें ऊंच-नीच न हो, जिसमें कोई बेरोजगार न हो, तालीम का बन्दोबस्त हो। यह सारी तफसीलात उस एक लफ्ज में आ जाती हैं अपने आप। इन सारी तफसीलात को अलग-अलग से बयान करने की जरूरत नहीं रहती। बड़े आश्चर्य की बात है कि सदन में मेम्बरान जब बोलने खड़े होते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां उनके सामने नहीं होती हैं। अभी मुझसे पहले विरोधी दल के एक मेम्बर ने तकरीर करते हुए यहां तक कह दिया कि मऊ में एक कोआपरेटिव सोसायटी है जिसमें ३० लाख का गबन हुआ और इन्क्वायरी के बाद उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई वाकया नहीं है। मुमकिन है उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो तो भले ही ऐसा हो सकता है। ३० लाख तो बहुत बड़ी चीज है। एक कौड़ी का तीसवां हिस्सा भी गबन नहीं हुआ। मऊ की कोआपरेटिव सोसायटी आपको मालूम होना चाहिए इस प्रदेश की तमाम हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसायटी में सबसे बेहतर सोसायटी है। उसका इन्तजाम सबसे अच्छा है। मगर उसके अन्दर एक कसर है। सन् ३९ में कम्युनिस्ट पार्टी ने बुनकरों की एक यूनियन बनाई और चार आना उनसे दाखिला लिया। वह सारा रुपया कहां गया मालूम नहीं। तो अब उसके मुकाबिले में बुनकरों को इस हमारी सोसायटी से बिचकाने के लिए यह कह दिया करते हैं कि २० लाख का गबन हुआ, ३० लाख का गबन हुआ, इतने का गबन हो गया, हालांकि यह बात बिलकुल गलत है। अपनी बात वह दूसरे के ऊपर कह कर और अपनी गन्दगी दूसरों के ऊपर उछाल कर अपने को पाक व साफ बताने की कोशिश करते हैं और ऐसी कोशिश बार-बार हुई। मैं जानता हूं इससे पहले हाउस में काम रोको प्रस्ताव भी इसी सवाल पर आया था और उसकी तहकीकात भी हुई और वह तहकीकात के बाद वह बात बिलकुल गलत साबित हुई।

बहरहाल मुझे कहना यह है कि हमारे प्रदेश ने पिछले पांच सालों में जो काम किया उन कामों के ऊपर हमें फख्र हो सकता है, इस राज्य को फख्र करने का मौका है। हमने बिला शुबहा गल्ले की पैदावार में इजाफा किया, बिला शुबहा सिंचाई का अच्छे से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छा इन्तजाम किया नलकूप और नहरों का जाल बिछाया, यह बिलकुल सही है। लेकिन इन चीजों का जितना असर अवाम पर पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच सका है और हर बड़े मनसूबे में यही बात होती है। जब बड़े मनसूबे बनाये जाते हैं तो उसका असर और फायदा जनता तक पहुंचते-पहुंचते काफी देर लगती है। अभी तक तो वह यही सोचता है कि नहरों में उसका खेत ले लिया गया है, नलकूप की नहरों में उसका खेत ले लिया गया है, नहर से और नलकूप से फायदा कितना होगा इसका तजुर्बा उसको नहीं है। इस लिए उसमें असंतोष है और यह असन्तोष बढ़ जाता है उस वक्त जब दूसरी पार्टियां जनता जाकर के इन चीजों के फायदे के बजाय बिलकुल उसके मुखालिफ अन्दाज की बातें जनता के दिमाग में घुसाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि सदन में यह कह दिया गया कि मऊ की सोसायटी में ३० लाख का गबन हो गया। तो जब ऐसी जिम्मेदार जगहों में ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें कही जाती हैं तो जनता के जलसों में क्या कहा जाता होगा उसका आप अन्दाज कर सकते हैं। बहरहाल मैं इन लफ्जों के साथ श्री नवलकिशोर जी की तरफ से जो शुक्रिया का रेजोल्यूशन और प्रस्ताव आया है उसकी ताईद करता हूं और उसी पर समाप्त करता हूं। जय हिन्द !

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपलक्ष्य में शासक दल की ओर से धन्यवाद के प्रस्ताव में श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी इच्छा थी कि जिस तरह से कांग्रेस दल की ओर से कुछ तथ्य और डेटाज को देकर प्रस्ताव का समर्थन किया गया था मैं भी डेटा देकर उसका विरोध करता। परन्तु कांग्रेस के ही एक सदस्य श्री गोविन्दसहाय ने अपने कांग्रेस के अनुशासन से भय न खाकर स्वयं कह दिया कि उन्हीं की सरकार की गवर्नमेंट की दी हुई पुस्तकों में जो डेटा है वह विश्वास के योग्य नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। किसी हद तक वह सही भी हो सकती है। सब सही नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो अवश्य सही होंगी। इसलिए उन्होंने जो डेटा गलत बताये हैं उनकी बात को आगे रख कर उन्हीं के सिलसिले में कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने चार निर्णय हम विरोधी दलों के भाषणों के उपरान्त दिये। पहले निर्णय में उन्होंने यह मान लिया कि हम सब सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को मानते हैं। उन्होंने भूल की। हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को समझ ही नहीं पाये हैं इसलिये कि इसकी कोई परिभाषा उन्होंने नहीं की है। एक सदस्य ने यह भी कहा कि परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं। जो वस्तुस्थिति में हो रहा है उसको जानकर ही हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह एक अच्छी वस्तु है। किसी बात को न बता कर, उसको गोपनीय रख कर, उसको छिपाकर उसकी अच्छाइयां बताना यह प्रगट करता है कि इसमें रहस्य है और रहस्य में ही बवंडर उठता है और रहस्य में ही भ्रष्टाचार होता है, यह स्पष्ट बातें है जो सही है। उसको बताना चाहिए था। उनका यह निर्णय कि हम सब ऐसे समाजवाद से सम्बन्धित हैं और मानते हैं, गलत है। एक बात और उन्होंने यह कही कि अब वह जनसंघ के अखंड भारत इत्यादि संस्कृत के तत्सम शब्दों को न सुन कर बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें बड़ी खुशी है कि जनसंघ भी अब प्रगतिशील हो रहा है। मैं एक बात यह कहूंगा कि जब तक वह कांग्रेस से अलग रहे तब तक श्री गोविन्दसहाय जी यह न जान पाये कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी क्या है और न तब तक समझ ही पाये कि जनसंघ क्या है। अब जहां एक मास पहले से उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को समझ लिया और जब कांग्रेस में आ गये तब जनसंघ को भी समझ लिया। मैं इतना समझता हूं। कि वे अब ठिकाने पर आ गये कि दोनों को समझ लिया जो दोनों कि एक दूसरे के विरोध में थ। गोविन्द सहाय जी की इस समझ के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि वे ठिकाने पर

[श्री राजेन्द्रसिंह]

आये और हम जनसंघियों को उन्होंने समझने की कोशिश की और साथ ही साथ खुद भी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को जान लिया ।

उसके बाद उनको इस बात को न मानते हुए कि सभी डेटाज गलत हैं मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से रक्खे हुए श्री नवल किशोर जी के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ ऐसे फीगर्स दिये गये हैं उनके विषय में कहूंगा । उन्होंने कहा है कि ३,१५२ ट्यूबवेल्स बनाये गये लेकिन वास्तव में स्थिति यह है । जैसा कि पंचवर्षीय योजना की जो पुस्तिका हमको दी गई है । उसके पृष्ठ २० पर साफ दिया गया है कि ३,१५२ का प्रस्ताव था लेकिन बने केवल २,८६४ हैं । अगर कांग्रेसी सदस्य की यह बात मान लो जाय कि सभी डेटाज गलत हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर कांग्रेस के दूसरे सदस्य की यह बात मान ली जाय कि सभी डेटाज सही हैं । तब तो वे आपस में ही डिफर करते हैं और वस्तुस्थिति कुछ और है ।

सभी दल, खास तौर से कांग्रेस समाजवाद के नारे का ढोल पीटती है । वह यह भी कहती है कि इसमें गरीबों को बहुत आराम व धन प्राप्त होगा । चाहिये यह था कि वे अपने अर्थ शास्त्र के नियमों को ग्रामों में ले जाते नगरों से हटा कर--उन ग्रामों में जहां कि ९० प्रतिशत जनता बसती है और जहां ७५ प्रतिशत कृषक बसते हैं । यह तभी हो सकता है जब हम देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये, देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये नगरों को छोड़ कर देहात में, गांवों में उद्योग स्थापित करें और देहात में जो बेकार हैं, जिनके डेटाज कांग्रेस सरकार अभी तक एकत्रित नहीं कर सकी है उन भूमिहीनों, गरीबों और बेकारों को आश्रय देने के लिये कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग स्थापित करें ।

अपने बजट का जो रुपया हम खर्च करते हैं उसका बहुत थोड़ा अंश हम देहातों पर खर्च करते हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर जहां २८९.५४ लाख रुपया खर्च किया गया वहां हेवी इंडस्ट्रीज पर ३४५.०५ लाख रुपया खर्च किया गया । अगर प्रथम पंच वर्षीय योजना में हम कुटीर उद्योग और हेवी इंडस्ट्रीज का मुकाबला करते हैं । तो हम पाते हैं कि हेवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा खर्च किया गया । यह स्पष्टतया नगरों की ओर बढ़ावा दिया जा रहा था और देहातों की ओर नहीं, जो कि चाहिये था । कृषकों की संख्या सबसे अधिक देहातों में है और उन्हीं को अधिक महत्व दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया । एक विचित्र और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी अधिक महत्व दिया गया है बड़े उद्योगों पर । एक और बड़ी विचित्र बात है कि १००८.३८ लाख रुपये कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग पर खर्च करने के लिये रक्खे गये हैं । अब १००८.३८ लाख जो रुपया है उसमें कितना अजायबघर पर खर्च होगा, कितना उद्योग धंधों पर खर्च होगा । यह मैं जानना चाहता हूं । पृष्ठ २४ पर जो विवरण दिया गया है उसको अगर गौर से देखा जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि १००८ कुछ रुपया जो उद्योग धंधों के लिये निश्चित किया गया है उसका आधे से कम रुपया उद्योग-धंधों पर व्यय होगा और आधे से अधिक रुपया उन उद्योग धंधों से बनायी हुई चीजों को अजायबघर में रखने के लिए उस अजायबघर पर होगा जो कानपुर और लखनऊ में होगा । विचित्र बात यह है कि कुटीर उद्योगों पर जहां अधिक रुपया खर्च होना चाहिये था वह न करके उसका उल्टा यह किया कि कुटीर उद्योगों पर खर्च करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी अवश्य, लेकिन जितनी रकम तय की है उसका आधे से कम, यानी ४१९ लाख रुपये के लगभग केवल इसलिए है कि कुटीर उद्योगों को प्रारम्भ किया जाय, या सहायता दी जाय और इससे अधिक रुपया उन उद्योग-धंधों में पैदा की हुई, या बनायी हुई वस्तुओं को अजायबघर में रखने के लिए, अजायबघर कायम करने में खर्च किया जाय, यह २४ पृष्ठ पर दूसरी प्लान की किताब में दिया हुआ है । विशेषता तो तब थी जब अपने देश की स्थिति को देखते हुए जहां कि ग्राम अधिक हैं, कृषक अधिक हैं, कृषकों की दशा खराब है, हमारे सभी प्लानिंग देहात में होते, लेकिन ऐसा नहीं है । जो भी रुपया मंजूर किया है, या मंजूर करने का इरादा है उसका आधे से कम वहां खर्च होगा और आधे से अधिक अजायबघर पर होगा ।

श्री अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त हो गया ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ;
१६ चैत्र, शकाब्द १८७९,
(१६ अप्रैल, १९५७ ई०) ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान भवन